राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ६] तृतीय विधान सभा के छठे सत्र, १९६४ का १६ वां दिवस [संख्या १५

शुक्रवार, दिनांक २१ अगस्त, १९६४

विधान सभा की बैठक म. पू. ८. २ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[गृह, अकाल सहायता, स्वायत्त शासन, खाद्य, राजस्व, स्वास्थ्य, सिंचाई, सामान्य प्रशासन, राजस्थान कैनाल, पशुपालन, चिकित्सा, खनिज एवं मंत्री-मण्डल-विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

पुलिस विभाग के कर्मचारियों का पोस्टिंग गंगानगर

३७७. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) [श्री केदारनाथ (गंगानगर) द्वारा पूछा गया] : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि गंगानगर के मूल निवासी पुलिस विभाग के कर्मचारियों का पोस्टिंग गंगानगर में नहीं किया जाय ? यदि हां, तो क्या इस निर्णय या नीति का पालन हो रहा है ?

(२) क्या अन्य जिलों के लिये भी इस प्रकार का कोई निर्णय लिया गया है ? यदि नहीं, तो यह भेदभाव क्यों है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां। इसका पालन हो रहा है।

(२) जी हां। फिलहाल जिला अलवर, बाड़मेर और जैसलमेर के लिए ही यही निर्णय ले लिया गया है और शेष जिलों में यह निर्णय लागू करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : यह निर्णय क्यों लिया ? स्थानीय आदमी हो तो क्या इमदाद नहीं मिलती ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : शिकायत थी कि इन जिलों में करप्शन ज्यादा रेम्पेन्ट हैं।

श्री रावतराम (सादूलपुर) : इनको अपनी रेन्ज से बाहर लगाने का निर्णय क्यों लिया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने बताया न।

श्री केदारनाथ : यह निर्णय कब लिया गया और दूसरे जिलों में यह कब लागू होगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह निर्णय २१-१०-६२ को गंगानगर के लिए और उसके बाद दूसरे जिलों के लिए लागू किया गया।

श्री केदारनाथ : क्या यह सही है कि दूसरे जिलों में गंगानगर जिले के अलावा यह निर्णय लागू नहीं हुआ ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : दूसरे जिले जो मैंने अभी बताये हैं अलवर है, बाड़मेर है और एक और जिला है।

श्री भीमसेन : जैसलमेर।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जैसलमेर। इन जिलों के लिए यह प्रारम्भ में लागू किया गया था और उनमें यह लागू हो गया है। कहीं कुछ कम है तो सम्पन्न होने जा रहा है।

श्री रावतराम : क्या यह सही है कि इन जिलों के लोगों के अब तक ट्रान्सफर हुए हैं बीकानेर रेन्ज के बाहर हुए हैं, जयपुर या कोटा में हुए हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : गंगानगर के लिए जिले और रेन्ज से बाहर कहीं भी करने का प्रावधान था।

श्री भीमसेन : सरकार ने तीन जिलों के लिए निर्णय लिया है। इन जिलों का कोई भी एस. आई. सरकारी सेवा में नहीं है इसलिए यह निर्णय लिया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सरकारी सेवा में नहीं होता तो ऐसा नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरदत्तसिंह।

श्री केदारनाथ : एक प्रश्न है। उपाध्यक्षजी, इन लोगों को भेजा जा रहा है वे डिस्ट्रिक्ट गंगानगर के न हो यह फोर्मूला लागू हुआ है। या तो माथुर साहब का सारे डिस्ट्रिक्ट्स में यह फार्मूला लागू हो या न हो फिर ....

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्न के रूप में ही पूछें।

श्री केदारनाथ : हमारे एस. एच. ओ. दूसरे एस. एच. ओ. से कम करप्ट हैं इसका क्या निर्णय है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह निर्णय डिस्ट्रिक्ट गंगानगर में पूर्णतया लागू हुआ है। दो तीन अफसर जरूर वहां पर लगे

Page No.3

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

हुए हैं उनके लिए भी निर्णय लागू हो जायगा।

श्री हरदत्तसिंह (नौहर) : पुरानी सर्विस के एस. आई. गंगानगर से बाहर भेजे गये उनके बाद बाहर के गंगानगर जिले में रखे गये उनकी शिकायतें पहले बीकानेर की सर्विस के एस. आई. से ज्यादा हैं क्या यह सही नहीं है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : मैं यह स्पष्ट कर दूं कि जो यह स्टेप लिया गया है गंगानगर के जितने एस. आई. थे सब ही करप्ट थे और उनकी जगह दूसरे लगाये गये हैं उनके बारे में कहें कि कोई शिकायत नहीं है, वह मूल प्रश्न नहीं है। दर असल में काफी शिकायतें आती थीं वहां के होने की वजह से बहुत से काम्पिलकेशन्स खड़े होते हैं इसलिए वहां का रहने वाला उस डिस्ट्रिक्ट में एस. आई. न रहे तो उचित होगा। इसलिए गंगानगर के लिए यह फोर्मुला लागू किया गया और आगे विचार कर रहे हैं कि इस फार्मुले को सारे राजस्थान के लिए लागू किया जाय तो किस प्रकार इम्प्लीमेंट हो सकता है, कोई एडिमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी तो खड़ी न होगी। वैसे सरकार पसन्द करेगी कि एस. आई. जहां तक हो सके उसे डिस्ट्रिक्ट का वहां न लगे दूसरी जगह का लगे। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एडवान्टेजेज भी है। सारे रेन्ज में वह न लगे उस फार्मुले को रिवाइज कर रहे हैं। रेन्ज भर में न लगे यह शायद आवश्यक न हो। जिस जिले का रहने वाला है उस जिले के लिए, शायद उतना ही रेस्टिकेशन पर्याप्त हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : Next question Please !

श्री हरदत्तसिंह।

तहसील भादरा एवं नौहर में तकावी वितरण

३७८. श्री हरदत्तसिंह (नौहर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील भादरा और तहसील नौहर को अलग अलग कुल कितनी कितनी राशि किसानों को फसल सावणी की तकावी के लिये राज्य सरकार द्वारा भेजी गई और वितरित की गई ?

(२) क्या सरकार ने सिर्फ उन्हीं गांवों को उपरोक्त दोनों तहसीलों में तकावी देने का निर्णय किया है जो अकाल क्षेत्र घोषित किये जा चुके हैं ?

(३) अगर हां, तो उपरोक्त दो तहसीलों में अकाल क्षेत्र घोषित गांवों की संख्या क्या है और इस क्षेत्र से बाहर गांवों की संख्या क्या है ?

(४) सरकार ने अकाल क्षेत्र घोषित किये गये गांवों के अलावा बाकी गांवों की सहायता (तहसील नौहर व भादरा) के लिये तकावी की क्या व्यवस्था की है ?

उप-मन्त्री, अकाल सहायता (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) सावणी फसल के

Page No.4

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

लिए (खरीफ सम्वत् २०२०) भादरा तहसील के लिये ६५,०००) रु० तथा नौहर के लिये ६५,०००) रु० की धन राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें से भादरा तहसील में ४५,०००) रु० तथा नौहर तहसील में ८०,०००) रु० की धन राशि वितरित की जा चुकी है।

(२) जी हां।

(३) तहसील भादरा के ४७ गांवों में खरीफ की फसल संवत् २०२० के नष्ट होने से अभाव की स्थिति घोषित की गई है तथा ६३ गांव ऐसे हैं जहां अभाव की स्थिति नहीं थी। तहसील नौहर के ४० गांवों में अभाव की स्थिति घोषित की गई है तथा १२० गांवों में अभाव की स्थिति नहीं थी। रबी में किसी भी गांव में अभाव की स्थिति नहीं थी।

(४) ऐसे गांवों में पंचायत समितियों द्वारा तकावी वितरण की व्यवस्था की जाती है।

श्री हरदत्तसिंह : पंचायत समिति भादरा और नौहर में तकावी के लिए एक पैसा नहीं है। इसलिए क्या यह सरकार उचित नहीं समझती कि काश्तकारों को काश्त करने के लिए रबी और खरीफ दोनों के लिए तकावी की व्यवस्था करें ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो खरीफ की फसल के लिए तकावी दी गई वह मैंने बतायी और रबी की इस वक्त तकावी दिये जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री हरदत्तसिंह : मैं एक पॉइन्टेड क्वेश्चन पूछता हूं। क्या ४७ गांव तहत के तहसील भादरा के बताये हैं उनके लिए ६५ हजार रुपया तकावी के लिए काफी समझती है ? उनके लिए क्या खरीदा जा सकता है उन रुपया में। २०) और १८) रुपया पर काश्तकार परिवार तकावी आती है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : ६५ हजार में से ४५ हजार तकसीम किया जा चुका है।

श्री हरदत्तसिंह : वह तकसीम करने की ओर मैं ध्यान दिलाऊं कि तहसील की ओर से दिया नहीं जा रहा है, काश्तकारों को परेशान किया जा रहा है। तीन हजार दर्ख्वास्तें थीं। थोड़ी दर्ख्वास्तों पर तकावी दी और बाकी को नहीं दी। आप जानकारी कर लेंगी। जिन बाकी लोगों ने दर्ख्वास्तें भेजी उन सब को तकावी मिल जाय। एक मात्रा निश्चित करें कि किसी को भी सौ रुपये से कम तकावी न दी जावे।

श्रीमती कमला बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में यह कहना जिनको तकावी दी जाय उनको १०० रुपये कम न दी जाय यह संभव नहीं है। किन अधिकारियों के पास कितनी दर्ख्वास्तें आयीं और कितनों को तकावी दी गई इस बारे में जांच की जा सकती है।

श्री हरदत्तसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वहां के मुकामी अधिकारियों से बातचीत की

(श्री हरदत्तसिंह)

है उन्होंने कहा कि रुपया बहुत थोड़ा है इसलिए हम सबको नहीं दे सकते। जितनी दरख्वास्तें आयी है यदि उन सबमें रुपया बांटा जाय तो १५ रुपये से अधिक नहीं दे सकते। क्या १५ रुपया तकावी देना वाजिब है क्या यह सहायता है या मजाक है ?

श्रीमती कमला बेनीवालः हमारे पास सम्बन्धित अधिकारियों से इस प्रकार की कोई मांग नहीं आयी है कि धन राशि कम है अतः अधिक प्रधान की जावें।

श्री हरदत्तसिंहः माननीय कृषि मंत्री महोदय, से तहसील भादरा पंचायत के प्रधान मिले थे और उन्होंने मांग की थी कि तकावी की रकम बहुत थोड़ी है उसको बढ़ाया जाय।

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : उनकी तकावी के लिए मांग नहीं थी।

श्री हरदत्तसिंह : वे जबानी तौर पर आकर मिले होंगे लिखित में इस बारे में इस विभाग को कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

क्या आप यह समझते हैं कि जो भी मांग की जाय और जिम्मेवार तहसील पंचायत के पदाधिकारी द्वारा ही की जाय लिखित में की जाय उसके बारे में जबानी बात पर ध्यान देने को तैयार नहीं, मंत्री महोदय ने यह कहा कि वह गंगानगर का इलाका है इसलिए वहां के लिए जरुरत नहीं है।

श्री दलपतसिंह : क्या मंत्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे कि नकद रुपया देने के बजाय यदि उनको सीड या इम्प्लीमेन्टस दे दें इस पर सरकार क्या विचार रखती है ?

श्रीमती कमला बेनीवालः बहुत संभव नहीं हुआ था इसीलिए यह प्रोवीजन किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

कपड़े और तम्बाकू पर आक्ट्राय

३७६. **श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा):** क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

।१। टोंक, निवाई और जयपुर में कपड़े और तम्बाकू पर आक्ट्राय की क्या-क्या दरें हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

।२। क्या यह सही है कि टोंक की जनता और व्यापारियों द्वारा सामूहिक रूप से व कपड़ा व्यापारी एसोसियेशन टोंक ने व्यक्तिगत रूप से सरकार से मांग की है कि टोंक में कपड़े पर आक्ट्राय कीमतों की प्रति सैकड़ा पर लिया जाता है उसे रोका जाय और प्रतिमन पर लिया जाय ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाया है ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां। उक्त मांग की प्राप्ति पर सम्बन्धित नगरपालिका को उनके विचार प्रकट करने हेतु लिखा गया। नगरपालिका टोंक से

Page No.6

(श्री दौलतराम सारण)

विचार प्राप्ति के पश्चात ही आवश्यक कार्य-वाही सम्भव हो सकेगी ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री अब्दुल जब्बार: कौनसी तारीख को लिखा गया विचार करने के लिये ?

श्री दौलतराम सारण: ३-६-६४ को ।

श्री अब्दुल जब्बार: सरकार यह जानती है कि वहां पर जो टेक्सेशन है वह अधिक है इससे मण्डी का व्यापार डाउन हो रहा है तो सरकार म्युनिसिपैलिटी को क्यों नहीं बाध्य करती टेक्सेशन में चेन्ज़ेज करने के लिये ?

श्री दौलतराम सारण: सरकार द्वारा म्युनिसिपैलिटी के विचार जानने को लिखा गया है ।

श्री अब्दुल जब्बार: यह कब तक आशा की जा सकती है जिसके बारे में सरकार निर्णय ले लेगी ?

श्री दौलतराम सारण: उनके विचार प्राप्त होने पर ही विचार किया जायेगा ।

श्री अब्दुल जब्बार : म्युनिसिपैलिटी आजाद है वह जवाब देने की परवाह नहीं करती, म्युनिसिपैलिटीज सरकार और कलेक्टर की परवाह नहीं करती । तम्बाकू पर जहां जयपुर में ५ परसेन्ट टैक्स है वहां टोंक में ३।। परसेन्ट लग रहा है वहां सरकार को विचार करना चाहिये ?

श्री दौलतराम सारण: म्युनिसिपैलिटीज निर्वाचित संस्थायें हैं, उसमें स्थानीय व्यापारी और आम जनता के प्रतिनिधि होते हैं वे जनता का ज्यादा हित सोच सकते है बनिस्बत सरकार के । उनके विचार जब प्राप्त होंगे उसके बाद उस पर निर्णय लिया जायेगा ।

श्री अब्दुल जब्बार: क्या कारण है कि वहां के कपड़ा एसोसियेशन, किराना एसोसियेशन के रिप्रेजेन्टेशन हैं कि म्युनिसिपैलिटी हमारे साथ ज्यादति कर रही है ?

श्री दौलतराम सारण: म्युनिसिपैलिटी निर्वाचित है ।

श्री अब्दुल जब्बार : जनता ने रिप्रेजेन्टेशन क्यों दिया ?

श्री दौलतराम सारण: अपने अपने हितों का रिप्रेजेन्टेशन करते हैं लेकिन हरेक रिप्रेजेन्टेशन पर मेरिट के आधार पर विचार किया जाता है । नगरपालिका के सामने उनके रिप्रेजेन्टेशन विचाराधीन है । नगरपालिका की राय आने पर सरकार निर्णय लेगी ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं है कि जो नगरपालिका अपने अधिकारी का दुरुपयोग करे अच्छी तरह काम न करे उसको सरकार भंग क्यों नहीं कर देती ?

श्री दौलतराम सारण: यह केवल प्रिजम्प्शन है ।

श्री उपाध्यक्ष: नेक्स्ट ।

Page No.7

क्रय विक्रय संघ करौली के कार्य व्यवहार की जांच

३८०. श्री बृजेन्द्रपाल (करौली) : Will the Minister for Food pleased to state—

I. What was the puota of Khandsari sugar alloted to Kraya Vikraya Sangh Karauli from February to July, 1964 ?

2. Is it a fact that since the S. D. M. and the Municipal Board Karauli are not sonsulted the distribution is done by the Karaya Vikraya Sangh, Karauli, pripafely resulting in irregularities and black marketing ?

3. Does the Government intend to institute an inqulry in the dealings of the Kraya Vikraya Sangh Karauli ?

उपमन्त्री, खाद्य (श्रीमती कमला बेनीवाल) : [१] करौली क्रय विक्रय संघ को अब तक कोई खंडसारी चीनी का कोटा नहीं दिया गया है।

[२] प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[३] प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री बृजेन्द्रपाल : खंडसारी का डिस्ट्रीब्यूशन किसने किया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : कुछ कोटा हलवाई एसोसियेशन ने अपने तत्वावधान में मंगाया था। हलवाई एसोसियेशन ने डिस्ट्रीब्यूट किया है केवल ६६ क्विन्टल खंडसारी का कोटा था।

श्री बृजेन्द्रपाल : क्या गुड़ का कोटा दिया गया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह प्रश्न अलग से है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : खंडसारी का कोटा आया वह जो हलवाई एसोसियेशन द्वारा वितरित करवाया गया तो क्या खंडसारी का कोटा जो भीलवाड़ा के लिये मिला था वह विजयनगर के व्यापारी को वितरण करने के लिये दिया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह अलग से प्रश्न है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने फरमाया कि जो स्पेशल कोटा आया राजस्थान में यह हलवाई एसोसियेशन को दिया गया। आप यह जो फरमा रही हैं कि भीलवाड़ा के के लिये जो कोटा दिया गया वह हलवाई एसोसियेशन को न देकर विजयनगर के व्यापारी को दिया गया ?

खाद्यमन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : यह कतई गलत है। सिर्फ एक हजार टन का कोटा एक बार राजस्थान को अलॉट हुआ था। इसके अलावा राजस्थान को और कोई कोटा अलॉट नहीं हुआ। एक हजार का जो कोटा मिला वह हलवाई एसोसियेशन को दिया गया। हलवाई एसोसियेशन ने इसको अलग अलग जिलों में बांटा। जो आप कह

Page No.8

(श्री नाथूराम मिर्धा)

रहे हैं विजयनगर के व्यापारी को दिया गया वह खंडसारी का कोटा नहीं था और दूसरी तरह को शूगर का कोटा है।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : हलवाई एसोसियेशन को खंडसारी का कोटा वितरण करने के लिये दिया गया तो उसने बनने वाली मिठाई का भी भाव आपने निर्धारित किया क्या ? उन्होंने उसका ब्लेक किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें ब्लेक में बेचने का सवाल नहीं है रेगुलर कोटा जो उनके लिये फिक्स है वही दिया गया।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : खंडसारी शूगर के अलावा कौनसी शूगर होती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह क्रिस्टल शुगर होती है।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : इसके डिस्ट्रिब्यूशन में घोटाला हुआ है क्या सरकार उसकी जांच करेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : खंडसारी के डिस्ट्रिब्यूशन का काम सरकार का नहीं था हलवाई एसोसियेशन ने लिया था और उनके द्वारा बराबर डिस्ट्रिब्यूशन किया गया है। एक भी शिकायत हमारे पास इसके बारे में नहीं आयी है।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : परमिट सरकार देती है लेकिन जो मिठाई हलवाइयों ने उस खंडसारी से तैयार की, उसको मन चाहे भाव से बेचा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हलवाई एसोयेशन ने इसका डिस्ट्रीब्यूशन खूबसूरत ढंग से किया है कोई शिकायत इस बारे में हमारे पास नहीं आयी है।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : क्या हलवाइ ने उसी खांड से निर्मित मिठाई को पांच रुपये साढ़े पांच रुपये प्रति किलो बेचा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं कह चुका हूं कि मिठाई का भाव कोई निर्धारित नहीं किया गया था।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Dees the Government intent to institute an enquiry into the Kraya-Vikraya Sangh Karauli ?

इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उत्तर दिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सवाल पैदा नहीं होता।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सुव्यवस्थित और ढंग से यह सब चल रहा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता ने कहा कि यह बेबुनियादी और झूंठ है तो क्या उन्होंने सही नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री भीमसेन ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : क्या प्रश्नकर्ता ने गलत बात कही है ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please, order ! I have called another question.

पानी की दर

३८२. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

[१] क्या यह सही है कि बीकानेर स्टेट के वक्त पानी की फ्लैट रेट प्रति परिवार तीन रुपये थी, जो बाद में ६) कर दी गई तथा प्रति अतिरिक्त टोंटी के तीन रुपया महावारी रेट ओर कायम कर दी गई ?

[२] क्या यह सही है कि बीकानेर शहर में अब तक पानी प्रैशर ऐसा रहता आया है कि घरों में एक टोंटी के अलावा अधिक टोंटियों में पानी वेग से नहीं आ सकता ? अगर हां, तो ऐसी अतिरिक्त टोंटियों पर अतिरिक्त शुल्क क्यों लगाया गया है ?

[३] बीकानेर में ऐसे कितने लोग हैं। जिन्होंने फ्लैट रेट पर नल ले रखा है और जिनके घरों में एक से अधिक टोंटियां लगी है।

[४] क्या यह सही है कि स्थानीय जनता द्वारा प्रतिवेदन किये जाने पर उक्त अतिरिक्त टोंटियों पर अतिरिक्त शुल्क की वसूली स्थागित कर रखी है ? अगर हां, तो सरकार इस मसले को अन्तिम रूप से कब तक तय करना चाहती है ?

उप मन्त्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : [१] जी हां।

[२] जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

[३] इस समय बीकानेर में फ्लैट रेट कनेक्शनों की संख्या १८६८ है तथा जिनके घरों में एक से अधिक टोंटियां हैं उनकी संख्या केवल ७१ है।

[४] अतिरिक्त नलों के शुल्क के पानी के बिल लगातार पूर्ण रूप क्रम से बनाये जाते हैं किन्तु उपभोक्ता अभी अतिरिक्त टोंटियों के पैसे जमा नहीं करवा रहे हैं। वसूली पर जोर दिया जायगा। सरकार यह प्रयत्न कर रही है कि इन अतिरिक्त नलों पर मीटर लगा दिए जावें व नलों पर मीटर, आशा है, ६ माह के अन्दर लग जावेंगे। मीटर लगने पर यह दिक्कत समाप्त हो जायगी।

श्री भीमसेन : जो अतिरिक्त शुल्क टोंटियां का लिया जाता है उसका अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जावेगा।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने निवेदन किया कि ६ महिनों में जब कि मीटर लग जावेंगे तो सब ठीक हो जावेगा।

तालाबों का सर्वे, तहसील शाहबाद व किशनगंज

३८३. **श्रीमती नगेन्द्रबाला** (छबड़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

शाहबाद तहसील व किशनगंज तहसील में कितने तालाबों की सर्वे हुई और उनमें से किन किन को बनवाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

शिष्ट अ, ब, स, च, द देखिये। इस अभियान को और भी उग्र करने के लिये हाल ही में डाइरेक्टर आफ पब्लिक ग्रीवान्सेज व विजिलेन्स कमीशन की नियुक्ति की गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : समझ में नहीं आया। धीरे से माइक के सामने मुंह रखकर जोर से बोलें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपके इन्स्ट्रक्शन्स का पालन नहीं करने वाला हूं।

श्री विजयसिंह झाला : यह तो हम जानते हैं कि आप जिद्दी हैं। मैं आप से (चेयर से) निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्रीजी माइक के सामने मुंह रखकर जरा जोर से बोलें तो सुनाई दे सकेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : (१) राज्य में भ्रष्टाचार मिटाने के लिये सरकार ने काफी सक्रियता से काम किया है। भ्रष्टाचार विरोधक विभाग द्वारा अनुसन्धान करने पर न्यायालयों में मुकदमें पेश किये गये हैं। अथवा विभागीय जांच द्वारा पदच्युति, पदावनति, तन्ज्जुली, वेतन में कमी आदि सजाएं दिलवाई गई हैं। पूर्ण विवरण के लिये परिशिष्ट अ ब स च द देखिये इस अभियान को और भी उग्र करने के लिये हाल ही में डाइरेक्टर, पब्लिक ग्रीवान्सेज व विजिलेन्स कमीशन की नियुक्ति की गई है।

श्री हरदत्तसिंह (नौहर) : विजिलेन्स कमीशन के पास आपने भ्रष्टाचार के मामलों की एन्क्वायरी के लिये क्या साधन दे रक्खे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : विजिलेन्स कमीशन के पास स्वतः जनता भी शिकायत भेज सकती है, सरकारी विभाग भी भेज सकता है, कमीशन स्वयं भी जांच के लिये इनीशियेटिव ले सकता है।

श्री हरदत्तसिंह : मेरा प्रश्न यह नहीं है। पूछ रहा हूं कमीशन के पास जांच के क्या तरीके और क्या साधन हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : विजिलेन्स कमीशन कैन अन्डरटेक।

The Commission can-undertake any inquiry into any transaction in which a public servant is suspected or alleged to have acted for an improper purpose or in a corrupt manner. (2) cause an inquiry or investig ation to be made into any complaint that a public servant has exercised or has refrained from exercising his powers for improper or corrupt purposes, any complaint of corruption, misconduct lack of integrity or other kind of malpractices or misdemeanour on the part of a public servant,......

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : Has the Government provided some vehicle to the commission to reach on the spot of the complaints......

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : शाहबाद व किशनगंज में कुल ६ योजनाओं का सर्वे सिंचाई विभाग द्वारा किया गया और इनमें से किसी की स्वीकृति नहीं हुई है ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : स्वीकृति नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री दिनेशराय डांगी : मीडियम स्कीमें प्लानिंग कमीशन को रेफर की हैं और बाकी स्कीमें ०.७५ से कम रिटर्न का अनुमान होने से विचाराधीन पड़ी हैं ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : क्या ऐसा भी एक सक्यूलर सरकार ने निकाला है कि माइनर इर्रिगेशन से रिटर्न नहीं भी आए, या कम आए निश्चित है उससे, तो भी विचार किया जाना चाहिए ।

श्रीदिनेशराय डांगी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के जवाब में साफ कह दिया है कि कम रिटर्न है जिनका ०.७५ से भी कम है तो भी ऐसी स्कीमें जिनकी सर्वे हो चुकी हैं, सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : जो बिल्कुल बैकवर्ड एरिया है और जहां रिटर्न ०.७५ भी नहीं है, वहां भी क्या सरकार विचार करेगी किसी स्कीम के लिये ? जो बैकवर्ड एरिया हैं वहां ऐसी छोटी छोटी स्कीमों की बहुत आवश्यकता है । शाहबाद और किशनगंज ऐसी तहसीलें हैं जहां सिंचाई की तो आवश्यकता है ही, पर पीने के पानी की भी आवश्यकता है, वह भी कुओं में उपलब्ध नहीं होता । वहां तालाब ही ऐसे जरिये हैं जहां से पानी मिल सकता है ।

मैंने इस बारे में द्वितीय और तृतीय सत्र में भी कहा था और उस पर भीखाभाई ने जवाब दिया था कि खटका, कलोनी, सहरोल तलेटी के तालाब स्कीमों के अन्तर्गत स्वीकृत हुए हैं । इनके बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री दिनेशराय डांगी : खटका, जिसके बारे में आप फर्मा रही हैं, का रिटर्न ०.७५ का आता है और इसकी ८.७३ हजार कीमत है । तो ऐसी दशा में वे जितनी स्कीमें हैं जो इस बैकवर्ड एरिया में हैं या आसपास है सरकार के विचाराधीन हैं । उम्मीद है जल्दी डिसीजन हो जावेगा ।

भ्रष्टाचार मिटाने हेतु उठाये गये कदम

३८४. **श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा)** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

राज्य में भ्रष्टाचार मिटाने के लिये सरकार ने अब तक सक्रिय रूप से क्या कदम उठाये हैं तथा भविष्य में क्या कार्यक्रम है ?

उप मन्त्री गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : राज्य में भ्रष्टाचार मिटाने के लिये सरकार ने काफी सक्रियता से काम किया है । भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा अनुसन्धान करने पर न्यायालयों में मुकद्दमे पेश किये गये हैं । अथवा विभागीय जांच द्वारा पदच्युति, पदावनति, तन्ज्जुली, वेतन में कमी आदि सजाए दिलवाई गई हैं । पूर्ण विवरण के लिये परि-

श्री निरंजननाथ आचार्य : This is a separate question.

इनके पास एजेन्सियां हैं और एन्टी करप्शन विभाग के माध्यम से जांच करवा सकते हैं और करा सकते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या यह बताएंगे कि सारी शिकायतों के बाद कितनी कमी भ्रष्टाचार में हो सकेगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आंकड़े परिशिष्ट में दिये हैं।

श्री विजयसिंह झाला : हजारों केस अभी तक भी पेन्डिंग में पड़े हैं वे कब तक निर्णित हो जावेंगे ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : उनमें एक्शन लेंगे या नहीं।

श्री विजयसिंह झाला : उपाध्यक्ष महोदय, सन् १९५७ में ११२९ कमप्लेन्टस हुई।

मुख्यमन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न जालौर से आने वाले माननीय सदस्य के द्वारा पूछा गया है। विजिलेन्स कमीशन को जो मुकर्रर किया गया है उसके बारे में यह व्यवस्था रखी गई है कि जो भी शिकायतें गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी व्यक्ति की तरफ से आवे उसके बारे में वह एन्टीकरप्शन विभाग के द्वारा या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफसर के जरिये जिससे भी चाहे एन्क्वायरी करा सकता है और उसके बाद उस पर आगे प्रोसीक्यूशन लान्च किया जावे या विभागीय जांच की जावे, इसके बारे में वह गवर्नमेन्ट को अपनी सिफारिशें करेगा। और उन सिफारिशों पर गवर्नमेंट सहमत नहीं होती है तो उसका कारण देकर जिस प्रकार पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट सदन में पेश होती है कि जहां पब्लिक सर्विस कमीशन की राय से अगर सरकार डिसएग्री करती है तो रीजन्स के सहित इस सदन को बताती है उसी प्रकार अगर विजिलेन्स कमीशन की राय से किसी भी राय से गवर्नमेंट एग्री नहीं करेगी तो उसके रीजन्स के साथ एन्युअल रिपोर्ट इस सदन के समक्ष पेश की जावेगी कि जिससे मालूम हो सकेगा कि विजिलेन्स कमीशन की राय की कहीं भी गवर्नमेंट अवहेलना तो नहीं कर रही है, ताकि यह सदन पूरी तौर से जानकारी में रखा जा सके।

श्री विजयसिंह झाला : एक प्रश्न का जवाब और दे दें। विजिलेन्स कमीशन के सामने एक कम्पलेन्ट की एन्क्वायरी के लिये और उसका निर्णय होने के लिये अधिक से अधिक कितने समय की लिमिट होनी चाहिये। क्या इसकी भी कोई सीमा निर्धारित की है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं ऐसा समझता हूं कि विजिलेन्स कमीशन को जितनी आउटराइट इन्डिपेन्डेन्स देकर मुकर्रर किया गया है उससे माननीय सदस्यों को सन्तोष होना चाहिये। उनको रिमूव सरकार नहीं कर सकती जितने समय और टर्म के लिये उनको रखा गया है उनकी ओपीनियन को डिसएग्री करें तो यह रीजन के साथ हमें बताना है यह मैं पहले निवेदन कर चुका हूँ। अब यह कितना टाइम लेगा कितना नहीं लेगा जब हमने इतनी सीनियर रैंक के ऑफिसर को

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मुकर्रर कर दिया है और स्पेसिफिक्ली इसी काम के लिये मुकर्रर किया गया है तो अलग अलग केस के लिये टाइम मुकर्रर कर दें कि इस नेचर के केस के लिये इतना समय और इस समय में वे डिस्पोज आप हो जाने चाहिये यह सम्भव नहीं हो सकता। यह मैं समझता हूं कि उन्हीं पर छोड़कर चलना होगा क्योंकि उनका डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन इसी परपज के लिये है सारा का सारा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमन्त्रीजी के कथनानुसार क्या मैं यह समझूं कि विजिलेन्स कमीशन के फाइन्डिन्ग्स को राज्य सरकार रिजेक्ट भी कर सकती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जैसे पी. एस. सी. की ओपीनियन बाई कन्वेंशन्स रिजेक्ट नहीं किया जाता है लेकिन अगर कहीं पर भी किसी रीजन से डिस्एग्री करते हैं तो वह डिस्एग्री करने के बाद इस सदन को उसको जानकारी दी जाती है कि किन रीजन्स की वजह से हमने डिस्एग्री किया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : डिस्एग्रीमेंट और रिजेक्शन में क्या फर्क है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : रिजेक्शन ही हुआ लेकिन उसके बाद में उसका काज देकर इस सदन को सूचित करने की जिम्मेदारी कितनी आती है उसको आसानी से समझा जा सकता है।

श्री विजयसिंह झाला : उपाध्यक्ष महोदय, विजिलेन्स कमीशन का अपाइन्टमेंट भी गवर्नमेंट द्वारा होता है तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट के विरुद्ध कोई शिकायत होगी तो उसकी वह सही फाइन्डिंग्स निकालकर आगे विश्वास हमें नहीं होता। तो क्या कोई जुडीशियल आफिसर या सेशन्स जज जैसा आदमी नियुक्त करने का मुख्यमन्त्रीजी आश्वासन दे सकते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप जुडीशियल आफिसर या सेशन्स जज की केटेगरी के आदमी को अपॉइन्ट करने की बात लेकर चलते हैं लेकिन हमने बहुत ही सीनियर आई० सी० एस० आफिसर को नियुक्त किया है जिसके बारे में केवल जुडीशियल आफिसर के नाम से ही किसी भी सर्विस का आदमी हो वह ठीक हो ही नहीं सकता। यह मानकर नहीं चलना चाहिए।

श्री विजयसिंह झाला : जिनको आप अपॉइन्ट करते हैं उनके सामने ही आपके खिलाफ शिकायत पेश की जाये तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या वह सही रिपोर्ट आगे देगा ? तो ऐसी स्थिति में इन्डिपेन्डेन्टली वे कुछ काम कर सकें उसके लिए क्या कोई स्टैप सरकार उठाना चाहती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस तरह से तो आपका उद्देश्य जज मुकर्रर करने से भी पूरा नहीं हो सकता।

श्री विजयसिंह झाला : आप जगत नारायणजी को कर दीजिए सब हो जायेगा।

Page No.14

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उनके जूरिस्डिक्शन में नहीं है। माननीय सदस्य को मालूम हो तो जो मिनिस्टर्स और दूसरे लोग है नॉन-आफिशियल्स उनके बारे में क्या व्यवस्था हो यह सन्थानाम कमेटी की रिपोर्ट पर सोच विचार चल रहा है वह अलग विषय है। यह गवर्नमेंन्ट सर्वेन्ट्स के बारे में जो शिकायतें हैं उनके लिए हैं।

श्री विजयसिंह झाला : विजिलेन्स कमीशन के सामने कोई शिकायत की जाये और उसकी फाइन्डिंग्स वह जल्दी से जल्दी दे, इसके ऊपर आप इन्सट्रक्शन्स दे सकते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं कि मैंने जो कुछ कहा है वह काफी स्पष्ट है। यह एक आर्गेनाइजेशन ही उसके लिए है और हर एक चीज में अविश्वास मानकर क्यों चलते हैं।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : ऐसा है कि यह प्रश्न भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए पूछा गया है और इसमें मेरा यह प्रश्न है कि क्या एन्टीकरप्शन विभाग जो कि इसी परपज के लिए खोला गया है और उसके बाद में सरकार ने विजिलेन्स कमीशन बनाने की क्यों आवश्यकता महसूस की क्या इसका जवाब मुझे मिलेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह इसलिए मुकर्रर किया गया है कि एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट के समक्ष पेश किया करता था और यह प्रश्न कई बार उठा करता था देश के अन्दर की एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट क्योंकि सीधे गवर्नमेंट के सामने पेश करता है और एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के अण्डर में इस तरह से फंक्शन करता है और उसकी वजह से कुछ शिकायतें थीं कि वहां वाजिब न्याय नहीं होता है इसलिए कोई ऐसी इन्डिपेन्डेन्ट एजेन्सी हो कि जिसकी राय को पी० एस० सी० के मेम्बर्स की राय का स्टेटस देकर कायम रखा जाये उस प्रकार के आफिसर को इन्डिपेन्डेन्टली फंक्शन करने के लिए नियुक्त किया गया है कि जिससे जो एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है या डिपार्टमेन्टल जांच करके विजिलेन्स कमीशन किसी राय पर पहुंचे तो उस राय को वह भेजे और उस राय के भेजने के बाद कोई भी गवर्नमेंट विजिलेन्स कमीशन जैसी अथॉरिटी की राय को रिफ्यूट करने के लिए कितना जोर आयेगा कितने उसके बारे में रीजन्स देने पड़ेंगे उसको माननीय सदस्य आसानी से समझ सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : पब्लिक सर्विस कमीशन की राय को सरकार ने अनेकों बार तोड़ा है और लगातार तोड़ती आ रही है तो इसके बावजूद जो विजिलेंस कमीशन है उसकी राय भी उसी तरह से होगी क्योंकि दोनों का स्टेटस एक करना चाहते हैं तो उसकी राय को भी उसी प्रकार से तोड़ेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करूं कि पी० एस० सी० की राय स्पेसिफिट केस के बारे में जैसे पी० एस० सी० सिलेक्ट करके कोई लिस्ट भेजे और गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है या पी० एस० सी० ने पनिशमेन्ट एनहान्स करने के लिए की अमुक को क्या सजा दी जाये उसके बारे में गवर्नमेन्ट

...लाल सुखाड़िया)

...कर दिया हो ऐसे इन्सटान्सेस बहुत ...गे।

...मुरलीधर व्यास : बहुत सी हैं ।....

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट । श्रीमती सुमित्रा.

...मिटों से मिलने वाली वस्तुओं में धांधली

...८५. **श्रीमती सुमित्रा** (झुंझुनू) : क्या ...मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) झुंझुनू की जनता की तरफ से परमिट से ...ने वाली वस्तुओं के वितरण में होने वाली ...ली के संबंध में राज्य सरकार को तथा ...मंत्रीं को कुल कितने प्रार्थना-पत्र (...यत-पत्र) अबतक प्राप्त हुए ?

(२) उन शिकायतों पर राज्य सरकार ने ...तक क्या कार्यवाही की है ?

उप-मंत्री, खाद्य (श्रीमती कमला बेनी-...) : (१) अब तक कुल ७ शिकायती पत्र ...प्त हुए हैं।

(२) इनकी जांच करने के लिए एक ...रेक्ट अधिकारी को लगाया गया है। उनकी ...र्ट आने पर समुचित कार्यवाही की जावेगी।

श्रीमती सुमित्रा : राज्य में परमिट व्य-...था प्रारम्भ हुए कितना अर्सा हो गया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : कोई परमिट ...स्था ऐसी नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा : मैं पूछ रही हूं कि चीनी और गुड़ कब से परमिटों द्वारा मिलना प्रारम्भ हुआ ? मैंने समय पूछा है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : सालभर हो गया होगा।

श्रीमती सुमित्रा : सालभर से ज्यादा हो गया है। राज्य सरकार के पास ७ शिकायती पत्र आ चुके हैं कि वहां पर वितरण व्यवस्था में इतनी धांधली हो रही है मेरे ख्याल से उनकी शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इस काम में इतना डिले क्यों किया है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, शिकायती पत्र आने के बाद ही एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है और वह अधिकारी वहां जाकर भी आया है। सारे केसेज की फाइन्डिंग्स करके आया है और उनकी रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जायेगी। बहुत डिले तो नहीं की गई है।

श्रीमती सुमित्रा : पहला शिकायती पत्र सरकार को कब मिला था ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जून के आखिर सप्ताह में।

श्रीमती सुमित्रा : किस जून में ? शिकायती पत्र ७ आये हैं सरकार के पास।

श्रीमती कमला बेनीवाल : ६४ का ही कह रही हूं।

श्रीमती सुमित्रा : उनका आखिरी शिकायती पत्र है जून में तो ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : पहला भी ६४ का है, दूसरा भी ६४ का है और सभी सन् ६४ के हैं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, क्या ऐसे मामलों को विजिलेन्स कमीशन को सुपुर्द करने के बाबत सरकार विचार करेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मंत्री) : यह मामला उनके लायक अभी नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह.

श्री अब्दुल जब्बार : उपाध्यक्ष महोदय, यह इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है इसका जवाब आना चाहिए ।

खण्ड गांवड़ी की भूमि के फर्जी पट्टे

३८६. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) [श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि कोटा कलेक्ट्रेट के पीछे खण्डगांवडी की भूमि को सन् १६५८ में ग्राम पंचायत से यू० आई० बी०, कोटा को स्थानान्तरित किये जाने की कार्यवाही की गई ?

(२) क्या यह सही है कि जिस समय इस भूमि को स्थानान्तरित किया जाने लगा यू० आई० बी० सेक्रेटरी तथा पंचायत के सेक्रेटरी ने मिलकर उस भूमि में कई व्यक्तियों के नाम अनधिकृत रूप से तथा फर्जी पट्टे बना दिये ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त भूमि की कीमत के रुपयों का भी गबन किया गया ?

(४) क्या यह सही है कि यू० आई० बी० के तत्कालीन सेक्रेटरी श्री दौलतसिंह ने अपने पुत्रों के नाम भी फर्जी पट्टे बनाये ?

(५) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम पंचायत के नाम से यह जो फर्जी पट्टे बनाये गये उनमें मरे हुए पंचों के दस्तखत भी है ?

(६) क्या यह सही है कि पूछताछ करने पर उक्त पंचायत सेक्रेटरी ने मजिस्ट्रेट के समक्ष सब राज खोल दिया तथा यह सारा फर्जी काम यू० आई० बी० के सेक्रेटरी के सहारे से किया जाना स्वीकार किया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) खण्डगांवडी की भूमि राजाज्ञा द्वारा दिनांक १६–१०–५८ को कोटा नगरपालिका में शामिल की गई ?

(२) यह सही है कि यू० आई० बी० के सेक्रेटरी तथा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ फर्जी पट्टे बनाने आदि की शिकायत हुई थी । जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । मामले जेर कार्यवाही अदालत हैं ।

(३) यह मामला सबजुडिस है ।

(४) यह मामला भी सबजुडिस है ।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(५) यह मामला सबजुडिस है ।

(६) यह मामला भी जेर तजवीज़ है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला सन् ५८ से चल रहा है और अभी तक यह मामला सब-जुडिस है और कोर्ट के विचाराधीन है। यह तो मेरे ख्याल में एक दुर्व्यवस्था सी मुझे लगती है।

श्री अब्दुल जब्बार : उपाध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही कहा गया है कि सब-जुडिस है, लेकिन उसमें कई प्रोवीजन हैं कि मरे हुए सरपंच के दस्तखत करके, इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है इतना अलग से बता दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मामला ४०६ के तहत चल रहा है और वह डिफेन्स की स्टेज पर है और उप-सरपंच रामनारायण सक्सेना के खिलाफ कार्यवाही होना कहा जाता है जो चल रही है। मैं उसके अन्दर अपने कोई कमेन्ट्स नहीं दे सकता।

श्री अब्दुल जब्बार : जो फर्ज़ी पट्टे दिये गये हैं....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : और दूसरा मामला जेर दफा ४०६, ४२०, ४६४ और ४६८ आई० पी० सी० के तहत चल रहा है और कमिटल केस होने की वजह से सेशन्स में चल रहा है। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता और जिन जिन लोगों के खिलाफ माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं वह सारे ट्रायल स्टेण्ड कर रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता।

श्री विजयसिंह झाला : सरकार ने जो कोर्ट के सामने दावा प्रस्तुत किया है उसमें कितने रुपये गबन किया है या आंकड़े क्या बताये हैं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ये सारी चीजें ज़ेर कार्यवाही हैं।

श्री विजयसिंह झाला : इसके बारे में हम आपकी ओपीनियन नहीं जानना चाहते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी ओपीनियन का प्रश्न नहीं है। चार केसेज़ पुलिस प्रोसीक्यूशन में चल रहे हैं और पुलिस प्रोसीक्यूशन के आधार पर कार्यवाही चल रही है उस कार्यवाही में कितना गबन हुआ और कितना नहीं हुआ, कल क्या फाइडिंग हो या नहीं हो, इस मसले पर ज्यादा नहीं जाना चाहता।

श्री विजयसिंह झाला : कुछ दिन पहले इसी प्रकार की आपत्ति यहां सदन में उठाई गई थी, उसके बारे में यह निर्णय दिया गया था कि जो केसेज़ कोर्ट में चल रहे हैं उसके बारे में जब फेक्ट्स मांगे जाते हैं तो यह कह कर सरकार नहीं टाल सकती है कि मामला कोर्ट के अन्दर चल रहा है। उसको कहकर आप अपनी राय मत जाहिर करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कितने रुपये का गबन हुआ है या नहीं हुआ है, यह मामला अदालत में चल रहा है।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : गवर्नमेंट ने ४२० और ४०६ में जब केस दायर किया तो यह बताया होगा कि इतने रुपये का मिसयूज़ हुआ है, फ्रॉड किया गया है, कुछ तो बताया होगा ? कितने पट्टे हैं जिनका वेलुएशन किया गया होगा। कितने पट्टे हैं और क्या कीमत है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : प्रश्न नं० २ में यह पूछा गया है कि जो अनधिकृत रूप से पंचायत के सेक्रेटरी ने जमीन दे दी है तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किन किन को पट्टे दिए गए ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिनको दिये हैं उनकी लिस्ट इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन करीब २०० प्लॉट्स बेचे जाने का सवाल सामने था जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इन लोगों ने मिल कर, पंचायत के एरिया को म्युनिसिपेलिटी में सम्मिलित हो जाने के बाद, पुरानी तारीखों को लगा कर, बेचे जाने की बात सामने आई है और उसी शिकायत पर यह सारा मामला चल रहा है और जो कुछ हुआ है वह अदालत के अन्दर ज़ेर कार्यवाही है।

श्री विजयसिंह झाला : २०० प्लॉट्स के कितने रुपये लिये गये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यहां पर रुपये का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि उनका ट्रान्ज़ेक्शन नाजायज था या नहीं ? अगर नाजायज था तो वह क्रिमिनल एक्शन के लायेबल हैं कि नहीं, इतनी चीजें अदालत के अन्दर चल रही हैं। डिफेन्स स्टेज पर हैं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : किस रेट पर बेचे गये ?

श्री मुकुटबिहारी लालगोयल (बयाना): प्रश्न संख्या ६ में यह बात कही गई है कि सेक्रेटरी ने मजिस्ट्रेट के सामने पूरा भेद खोल दिया है। इसमें यह पूछा गया है कि इसके बाद सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यह स्पष्ट हो गया है कि वह भेद खुल जाने के बाद यह मामला सब-जुडिस नहीं है और मामला साफ है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य को मालूम नहीं है कि इस मामले में उसके बयान हुए हैं। वही तो मामला सब-जुडिस है और उसी पर बयानों की बात है तो मैं क्या कमेन्ट कर सकता हूं।

प्रश्न संख्या ३८७

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री मूलचन्द चौधरी !

वाटर वर्क्स, दौसा

३८८. **श्री मूलचन्द चौधरी** (दौसा) : क्या जन-- स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

क्या यह सही है कि दौसा वाटर वर्क्स के लिए धन-राशि स्वीकृत हो चुकी है ? यदि हां, तो कार्य शुरू नहीं करने का क्या कारण है ?

Page No.19

उप-मंत्री, जन-स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मूलचन्द चौधरी : यह तीन लाख रुपये दिये गये हैं वे किस विषय के दिए गये हैं?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जरा ज़ोर से बोलिये और साफ बोलिये।

श्री मूलचन्द चौधरी : यह जो ३ लाख रुपये दिये गये हैं वह किस सम्बन्ध में दिये हैं?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : किस तीन लाख का जिक्र कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम है।

श्री मूलचन्द चौधरी : दौसा वाटर वर्क्स के लिए।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने उत्तर में स्पष्ट कहा है कि इसका प्रश्न नहीं उठता है। कोई रुपया नहीं दिया गया है।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : स्वीकृति तो हो चुकी है वाटर वर्क्स के लिए पैसा देने के लिए?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

बनजारों का पुनर्वास

३८६. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : Will the Revenue Minister please reply:—

1. Since how long the Banjaras of village Kalia-Kheri Tehsil Ramganj Mandi have taken possession of the Revnue land in that village for cultivation and how much area is possessed?

2. Is it a factthat the Government has 'ordered' these Banjaras to vacate their cultivation, their wells and the hutments to allow the cultivators of the submerged villages of Rana Pratap Sagar to settle there?

3. In how many other villages of Tehsil Ram Ganj Mandi, District Kota the Government has to get the land vacated from the local inhabitants in favour of the displaced persons and how much land would be recovered from them?

4. Has the Government any plan to settle or rehabilitate this population? If so where?

उप मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) ग्राम कालियाखेड़ी, तहसील रामगंज मंडी में बनजारों ने गत ४ वर्ष अर्थात् सम्वत् २०१७ से ४२५ बीघा ५ बिस्वा भूमि पर कब्जा व काश्त किया है।

(२) बनजारों ने कब्जा नाजायज तौर पर किया था परन्तु उसको भी रेगुलेराइज़ करने के आदेश दिये जा चुके है।

(३) तहसील रामगंज मंडी के ग्राम भटवाड़ा मोतीपुरा, कालियाखेड़ी, में राणाप्रतापसागर के विस्थापितों के लिए सुरक्षित भूमि में अतिक्रमण हुआ जो क्रमशः १५५

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

बीघा, १०१ बीघा १६ बिस्वा व ४२५ बीघा ५ बिस्वा है। ग्राम भटवाड़े में करीब ३५ बीघा भूमि पर कीरों का अनाधिकृत कब्जा था, इस कब्जे को रेगुलेराइज़ किया जा रहा है। बाकी १२० बीघा पर सिन्धियों ने कब्जा किया था जो स्वयं ही गांव छोड़ कर चले गये हैं।

ग्राम मोतीपुरा में अनधिकृत कब्जों के मुकदमें में कार्यवाही अपील अदालत में जारी हैं।

कालियाखेड़ी में अनाधिकृत कब्जे का नियमन किया जा रहा है।

(४) मोतीपुरा के मुकदमें में अपील अदालत के निर्णय के बाद इस प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : यह प्रश्न २ में आपने बताया कि रेगुलेराइज़ किया गया है, तो कब्जा कौन से सन् का किया हुआ रेगुलेराइज़ किया गया है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किये जाने का सवाल नहीं है किये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं और यह मैंने कहा और इसके सम्बन्ध में ऑलरेडी एक सक्यूलर एग्ज़िस्ट करता है १-२-६२ का जिसमें २१-१२-६१ तक के नाजायज कब्जों को रेग्युलेराइज़ करने के आदेश हैं। तो उस सक्यूलर के अन्तर्गत उन नाजायज कब्जों को रेगुलेराइज़ किया जायगा।

श्री अब्दुल जब्बार : ६०-६१ में किये हैं बनजारों ने या ६२ में किये हैं? यह बता दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सैकड़ों आदमी हैं उन्होंने कब कब कब्जा किया है, किस किस तारीख को किया, किस जरिये से किया है, यह सारी बातें बताने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि बनजारों ने जिस जमीन पर नाजायज कब्जा किया है उसको रेग्युलेराइज़ किया गया है। बनजारों ने जिस जमीन पर कब्जा किया है वह सुरक्षित जमीन थी। उन्होंने नाजायज कब्जा किया उस पर तो उनको हटाना जरूरी था, लेकिन हमने उनको नहीं हटाकर उनको रेग्युलेराइज़ करने के आदेश दिये हैं जिसका मकसद यह है कि यद्यपि उनका एक्शन नाजायज है और उनके एक्शन को वैधकरण नहीं करना चाहिए फिर भी उसको जायज कर रहे हैं और जितनी सुरक्षित भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया है उतनी भूमि और किसी इलाके में निकाल कर जो राणा प्रतापसागर के विस्थापित लोग हैं उनको देने की कार्यवाही कर रहे हैं। यह कन्सेशनल चीज है। इन्होंने कब कब्जा किया और कब कब्जा नहीं किया, उसका प्रश्न नहीं है। इसमें बता दिया है कि सम्वत् २०१७ से पहले से काश्त करते हैं तो माननीय सदस्य स्वयं ही सोच सकते हैं।

श्री अब्दुल जब्बार : यह निवेदन किया जा रहा है कि इसमें राणा प्रतापसागर बांध में केवल भवानीमण्डी, रामगंजमण्डी या झालावाड़ के ही गांवों का सवाल नहीं है इसमें चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट भी पूरा इन्वोल्व्ड

Page No.21

(श्री अब्दुल जब्बार)

है, तो क्या राजस्थान सरकार जिस प्रकार के नियम या पॉलिसी झालावाड़ या इस तरफ के बनजारों के लिए एप्लाई करती है या एडोप्ट करती है वही क्या राजस्थान के अन्य जिलों में भी, जहां कि इस प्रकार से बन्जारे बसे हुए हैं ? इस प्रकार से राणा प्रतापसागर की डूब में जो गांव आये हैं उनको खास प्रायोरिटी दी जायगी ?

दूसरी चीज यह भी क्लीयर करदें कि राणा प्रतापसागर के आदमियों के रिज़र्वेशन के ऑर्डर हो गये हैं। फिर भी उस जमीन पर कब्जा कितने बनजारों ने कर रखा है। अगर उनको रेग्युलेराइज़ किया है जो पहले के थे यानी स्कीम के पहले के थे तो उनको भी रेग्यु-लेराइज़ करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष, यह प्रश्न वास्तव में हमारी नीति का है कि जो बांध हमारे सारे राजस्थान को बिजली देगा और लाभान्वित करेगा उस बान्ध के बन्धने पर जिन लोगों को तकलीफ होती, जिनको बेघरबार होना पड़ता है उनके रहने और बोने के लिए जमीनों की व्यवस्था करेंगे। इसी वजह से यह एरिया सुरक्षित किया गया था। यदि सुरक्षित एरिया में नाजायज कब्जा करते हैं तो उनको हटाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन इन बनजारों के प्रश्न में एक ऐसा मामला सामने आया कि इन्होंने करीब मकान बीसों बना लिये हैं और मकान बने होने की वजह से और कब्जा कुछ पुराना होने की वजह से हमने उनके कब्जों को रेग्युलेराइज़ करने के आदेश दिये हैं और साथ ही उतनी भूमि और किसी जगह से निकाल कर इन विस्थापितों को देने की व्यवस्था की गई। इस सारे मसले को, इस मामले के महत्व को समझा जा सकता है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा) : सुरक्षित एरिया में कितने पहले से बनजारे बसे हुए थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पहले से बसे हुए थे अथवा नहीं, यह अब प्रश्न पैदा नहीं होता जब कि उनके मामले को रेगुलेराइज़ करने का सवाल आ चुका है और आदेश दिये जा चुके हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : बनजारों के अलवा दूसरे वर्ग के लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने सुरक्षित एरिया में नाजायज कब्जा कर लिया था, उनको बेदखल किया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जितने सवाल इन चार जगहों के सामने आये हैं हर गांव में जो ऑक्युपेशन हुआ है वह सदन के सामने रख दिया हैं।

सरकार द्वारा संचालित होटलों एवं सर्किट हाउसेज़ के लिए कॉरपोरेशन

३६०. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा संचालित होटल और सर्किट हाउसेज़ सुचारू

Page No.22

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं और जितना लाभ होना चाहिये नहीं हो रहा है ?

(२) क्या सरकार इनका एक कॉरपोरेशन बनाने का विचार रखती है ?

(३) यदि हां, तो क्या टूरिस्ट बंगलों को भी इस कॉरपोरेशन में सम्मिलित करने की योजना है ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) फिलहाल, कॉरपोरेशन को सर्किट हाउस ही देने का प्रस्ताव है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : टूरिस्ट बंगलोज़ क्यों नहीं शामिल किये गये इसके अंदर ?

श्री परसराम मदेरणा : सरकार ने अभी जो निर्णय लिया है कि वह लिया प्रस्तावित कॉरपोरेशन को आस-पास के सर्किट हाउसेज़ ट्रान्सफर किये जांय। फिलहाल टूरिस्ट बेंगलोज़ ट्रान्सफर करने का विचार नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : इसके ऑफिस बेयरर्स कौन कौन हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : अभी तो कॉरपोरेशन बनाने का सरकार ने निर्णय लिया है, रजिस्टर नहीं हुआ है। उसका मेमोरन्डम ऑफ आर्टिकल्स नहीं बना है, इसके एम्स एण्ड ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, इसका अभी निर्णय नहीं लिया है। ये सभी चीजें अभी विचाराधीन हैं इसलिये इम्पलीमेंटेशन का प्रश्न नहीं उठता।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सर्किट हाउसेज़ लोस में चल रहे हैं इसका क्या कारण है ?

मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री बरकतुल्ला खां) : सर्किट हाउसेज़ दूसरी स्टेट्स में भी इसलिये रखे जाते हैं कि टूरिंग ऑफिसर्स जो वहां पहुंचते हैं उनको सहूलियतें मिलें। सर्किट हाउसेज़ की रेट्स होटल्स की तरह नहीं होती हैं बल्कि सबसिडाइज्ड एमिनिटीज़ टूरिस्ट ऑफिसर्स और दूसरे लोगों को दी जा सकें, इसलिये सर्किट हाउसेज़ में फायदा दूसरी किसी स्टेट में भी नहीं होता है।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : आपने कोरपोरेशन बनाने का निर्णय ले लिया है तो सेक्रेटरी या चैयरमेन किसी को तो बनाया होगा, वे कौन हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : अभी तक बनाये नहीं हैं। इंडियन कम्पनीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट की तहत उसका रजिस्ट्रेशन होगा। अभी तक तो रजिस्ट्रेशन भी विचाराधीन है, क्या उसका आर्टिकल ऑफ मेमोरेन्डम होगा, क्या एम्स एण्ड ऑब्जेक्ट्स होंगे, यह सब विचाराधीन हैं इसलिये चैयरमेन वगैरा बनाने का अभी प्रश्न नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : जो मैनेजर बनाये जायेंगे उनके क्या क्वालिफिकेशन्स होंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : यह भी विचाराधीन है।

श्री फूलचन्द जैन : क्या आप स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अभी तक किसी व्यक्ति को नहीं बनाया है ?

श्री परसराम मदेरणा : हां, स्पष्टरूप से कह रहा हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : क्या अखबारों में निकला है कि अमुक व्यक्ति को बनाया जायगा, इसमें कहां तक सच्चाई है ? यदि सच्चाई नहीं है तो क्या इसको डिनाई किया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : अखबारों में मैंने पढ़ा था लेकिन सरकार ने निर्णय लिया नहीं है। सरकार को पता तब चला जब सरकार के पास अखबारों का कटिंग पहुंचा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या उसका कॉन्ट्राडिक्शन पब्लिक रिलेशन्स ऑफिस द्वारा किया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : कॉन्ट्राडिक्शन कई बातों का निकलता है। आपके म्युनिसिपल चुनावों को लेकर खबरें निकलेंगी लेकिन सब का कॉन्ट्राडिक्शन करने की जरूरत नहीं है। किसी व्यक्ति का नाम प्रकाशित हो जाता है तो कॉन्ट्राडिक्शन निकालने की जरूरत नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जो सरकार की तरफ से कोरपोरेशन बन रहा है उसके ये ये ऑफिस बेयरर्स बन रहे हैं, ऐसी खबर निकले तो जनता में गलतफहमी नहीं फैलने देने के लिये क्या आवश्यक नहीं है कि उसका कॉन्ट्राडिक्शन निकाला जाय।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : इसमें जन हित को हानि नहीं है जिससे कि कॉन्ट्राडिक्शन निकालना आवश्यक हो।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : क्या मैनेजर की टेक्निकल क्वालिफिकेशन होगी ?

श्री परसराम मदेरणा : यह प्रिज्यूम करने की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया।

श्री जेठमल बरवड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका उत्तर दिलवा दिया जाय।

लिफ्ट प्रणाली योजना

३६१. **श्रीमती गौरी पूनिया** (डेगाना) [श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर) द्वारा पूछा गया] : क्या मंत्री राजस्थान कैनाल यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राजस्थान नहर से लिफ्ट प्रणाली से पानी लाने की योजना राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ?

(२) अगर हां, तो वह कब तक क्रियान्वित की जायगी और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्रीदौलतराम सारण) : (१) लूणकरणसर क्षेत्र एवं बीकानेर जिले के

(श्री दौलतराम सारण)

अन्य कुछ भाग की सिंचाई हेतु राजस्थान नहर से लिफ्ट द्वारा पानी लेने की योजना है।

(३) उपरोक्त योजना के विस्तृत सर्वेक्षण हेतु इन्वेस्टिगेशन डिवीज़न खोल दिया है। सर्वेक्षण पूर्ण होने के पश्चात् ही योजना के समय आदि के सम्बन्ध में निश्चित तौर से कहा जा सकता है।

श्री जेठमल बरवड़: क्या मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि नागौर के लिये लिफ्ट इर्रिगेशन की योजना है ?

श्री दौलतराम सारण: अभी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोविन्द सहाय

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : लिफ्ट इर्रिगेशन से बीकानेर के कितने लोगों को फायदा होगा ?

श्री दौलतराम सारण अभी सर्वेक्षण हो रहा है। गांवों के बारे में निश्चित नहीं कहा जा सकता।

श्री भीमसेन: इसके लिए कितनी धन-राशि निश्चित की है।

श्री दौलतराम सारण: धन-राशि निश्चित करने और गांवों का क्षेत्र बताने का प्रश्न अभी पैदा नहीं होता, क्योंकि अभी तो सर्वेक्षण हो रहा है।

श्री रावतराम: सर्वेक्षण किस स्टेज पर है ? प्रिलिमिनेरी रिपोर्ट तो मिली होगी ?

श्री दौलतराम सारण : इस वर्ष से शुरू हुआ है। इसमें अभी समय लगेगा।

श्री भीमसेन: सरकार के पास कितना पानी है ?

श्री दौलतराम सारण : जितनी भूमि सिंचाई योग्य होगी उतना पानी है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोविन्दसहाय।

करौली के इलाके में डकैतियां

३९२. **वैद्य श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि करौली इलाके में एक वर्ष से बराबर डकैतियां होती रही हैं ? यदि हां, तो कुल कितनी डकैतियां पड़ी और इनके पीछे मुख्यतय क्या कारण रहा है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : जी नहीं।

गत वर्ष की अवधि में ६ डकैतियां हुई। उन डाकों का मुख्य कारण यह है कि डकैतों के पास धन और खाद्य पदार्थों का अभाव हो जाता है या बदले की भावना से वे डकैती करते हैं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): तब तो उपाध्यक्ष महोदय, सीरियस सवाल उठ गया। आप कहते हैं कि डकैतियां इसलिये होती है कि खाद्यान्न का अभाव है तो उसको मिटाने के लिये सरकार की तरफ से क्या हुआ ?

Page No.25

श्री निरंजननाथ आचार्यः खास एब-नोरमल स्थिति में अभाव होता है। दूसरा कारण मैंने बताया द्वेष होना या द्वेषा लेना और इस द्वेष के कारण डकैत हो जाते हैं तो खाने का भी अभाव हो जाता है।

श्री विजयसिंह झालाः ६ डकैतियां कुल हुई उनमें से खाने के अभाव में कितनी हुई ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): खाने के अभाव से मतलब यह नहीं ले लें कि इस वक्त जो फूड शोर्टेज है उस कारण हुई हों।

श्री विजयसिंह झालाः यह तो आपके उप-मंत्रीजी का जवाब है।

श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः समझने की भी जरूरत है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): इस इलाकेमें डकैतियां क्यों पड़ती हैं, इसकी जांच करने के लिये मैं निवेदन करूंगा कि एक जांच कमीशन बैठा दिया जाय। खाने का अभाव बताना ही पर्याप्त नहीं है और परिस्थितियां है, मंत्रीजी चाहें तो मैं अलग से उनको बतला सकता हूं। मैं चाहूंगा कि इस अहम समस्या का हल राजस्थान के इस हिस्से में हो उसके लिये क्या क्या किया जाय, इसके लिये जांच कमीशन नियुक्त करने के लिये मैं मांग करूंगा या कंसल्टेटिव बॉडी नियुक्त करने के लिए सरकार विचार करें।

वैद्य श्री गोविन्दसहायः करौली की डकैतियां.......

श्री उपाध्यक्षः इस प्रश्न का जवाब देने दीजिए।.

श्री निरंजननाथ आचार्यः डकैतियों का कारण धौलपुर सब-डिविजन और करौली सब-डिविजन चंबल एरिया के पास है जहां उनको शेल्टर लेने का प्रमुख स्थान मिलता है और दूसरी ओर जब इधर से ढ़केले जाते हैं तो मध्यप्रदेश में प्रवेश कर जाते हैं। दोनों तरफ से ढकेलने पर डकै। बीच में चले जाते हैं। इससे बेहतर शेल्टर लेने का उनके लिये कोई दूसरा स्थान नहीं है। यहां जो हाईडिंग प्लेसेज़ हैं उनमें इनको शेल्टर मिल जाता है। डकैत होने का कारण मैंने निवेदन किया, डकैत जिन कारणों से होते है वे विशेष परिस्थितियां पारिवारिक परि-स्थिति, जैसे आपसी जैलेसीज़ वगैरा परिस्थि-तियां होती हैं जिनसे डकैत बनते हैं।

वैद्य श्री गोविन्दसहायः ये डकैतियाँ कहां कहां हुई और कितने केसेज़ हुए ?

श्री निरंजननाथ आचार्यः कलतरा, होतीपुरा, अटेवरा, चम्बलपुरा, खोरा इत्यादि इत्यादी स्थानों पर हुई।

श्री मुकुटबिहारीलाल : कितने आद-मियों का अपहरण किया ?

श्री निरंजननाथ आचार्यः चैनपुरा में रामसिंह का अपहरण हुआ।

श्री मुकुटबिहारीलालः कितने आदमी गिरफ्तार हुए ?

Page No.26

श्री निरंजननाथ आचार्य: दो डकैत गिरफ्तार किए गये हैं। एक डकैत के खिलाफ मामला चल रहा है, बाकी एब्सकॉन्डिंग हैं, आउट लॉज़ और एब्सकोन्डर डिक्लेयर किये गये हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल : क्या यह शिकायत सही है कि पुलिस के कनाइवेन्स से डाके पड़ते हैं ?

(६.०० म० पू०)

श्री निरंजननाथ आचार्य : पुलिस की नहीं है। इस प्रश्न को, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन नहीं करना चाहता कि किनकी कनाइवेन्स है। लेकिन इस प्रश्न को सम्मुख रखा गया है और हम इसे परस्यू करते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं निवेदन करूं कि क्या यह....

एक माननीय सदस्य : आपने कहा कि मध्य प्रदेश से राजस्थान में आ जाते हैं और राजस्थान से मध्य प्रदेश चले जाते हैं ? क्या दोनों ने सोचा नहीं कि डकैतियां नहीं हों ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं समझ गया आपका प्रश्न। मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकारियों की मीटिंग हुआ करती है। एक्शन होते हैं और इसी कारण से कई डकैतियों का माल पकड़ा गया है। इस समस्या का हल करने का प्रश्न होता है उस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकारियों की बातचीत होती रही है।

श्री मुकुटबिहारीलाल : मंत्री महोदय ने कहा कि वे बताना नहीं चाहते कि किनकी कनाइवेन्स है, क्या पब्लिक हित में इसे रखना वे उचित नहीं समझते या जिनका हाथ इसके अन्दर है उनके खिलाफ वे कार्यवाही नहीं करना चाहते ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसकी इन्वेस्टीगेशन हो रही है। आप पूछते हैं एसोसियेशन किनका क्या रहा। जो सामने आ चुके हैं उनके खिलाफ हम कार्यवाही करते हैं और बाकी को स्पोट आउट करते हैं, पकड़ते हैं। लेकिन अभी यह जनहित में और तफतीश की दृष्टि से नहीं बताया जा सकता।

श्री गोविन्दसिंह : आर्म्स एण्ड एम्यूनीशन किस टाइप के हैं ? क्या ये लोग प्राइवेट आर्म्स एण्ड एम्यूनीशन काम में लेते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आर्म्स एण्ड एम्यूनीशन अलग अलग टाइप के हैं। जिस तरह के लोग रखते हैं उसमें के भी हैं और कन्ट्री मेड भी मिलते हैं। अमूमन जो लूट कर ले कर जाते हैं वे भी हैं। इनमें मॉडर्न भी हैं, अर्वाचीन हैं और पूर्वाचीन हैं।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : जो इत्तला आपने दी है कि ६ डकैतियां पड़ीं। वह छः नहीं बल्कि बारह हैं। ६ की इत्तला आपको नहीं है। छः डकैतियों में, जो आपकी लिस्ट में नहीं हैं, करीब तीन लाख का नुकसान हुआ है। लेकिन अभी तक कोई डकैतों का गैंग पकड़ा नहीं गया है। पुलिस सर्तकता से काम नहीं लेती है। एक डकैती हुई तो दो मील तक आठ सिपाहियों के साथ गये लेकिन

(वैद्य श्री गोविन्द सहाय)

उनको पूर्व में बताया तो वे पश्चिम की ओर गये।

श्री मुकुटबिहारीलाल : एक और चीज है, डकैती का मामला ३९५ के तहत दर्ज होनी चाहिए लेकिन कोई डकैती हो जाय और भीषण डकैती हो जाय तो उसको ४०८ और ४१० में डाल कर गोल कर देते हैं।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : उपाध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय ने बतलाया कि चम्बल और मध्य प्रदेश के बोर्डर के कारण डकैतों को शेल्टर मिलता है। मैं पूछना चाहती हूं कि डाकू-ग्रस्त क्षेत्र हैं, वहां से डाकुओं को पकड़ने और उनका एन्काउन्टर करने के अन्दर मध्य प्रदेश की ज्यादा शक्ति है या राजस्थान की ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं ! दोनों की पुलिस सशक्त और सतर्क है। हम ज्यादा सतर्क हैं अपने बोर्डर पर और उनको भी सतर्क करते रहते हैं।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : क्या यह सही है कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने ज्यादा डकैतियां पकड़ी हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : There is very little time please.

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : मंत्री महोदय को पूरी जानकारी नहीं है। आपने डकैतियां बतलाई छः जबकि वहां निरन्तर बारह डकैतियां पड़ी हैं और पुलिस वहां पर कोई काम नहीं कर पाई है। इसका क्या जवाब है। भुखमरी तो गई साल भी थी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह एक ही प्रश्न बार बार आया और मैंने जवाब दिया है और जो सप्लीमेन्ट्री किये उनका भी जवाब दिया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

गऊशाला की भूमि, कस्बा कुम्हेर

३६३. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन): क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में कुम्हेर कस्बे के पास एक गऊशाला थी जिसके अधीन लगभग १४,००० बीघा जमीन थी ?

(२) क्या यह सही है कि भरतपुर में केबिनेट मीटिंग के समय इस गऊशाला को मय १७०० बीघा जमीन के सरकार को भेंट कर दी गई ?

(३) क्या यह सही है कि सरकार ने वहां मेवाली नसल के मवेशियों का ब्रीडिंग सेन्टर खोलने की आज्ञा जारी की परन्तु वह अमल में नहीं आई ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) इस गऊशाला की भूमि में किस किस के अधिकार में कितनी कितनी भूमि कब कब से और किस किस की आज्ञा से है ?

उप-मंत्री, पशु पालन (श्रीभीमसिंह) : (१) जी हां, इस गऊशाला के अधीन लगभग

(श्री भीमसिंह)

१७०० बीघा जमीन थी। यह पशु प्रजनन केन्द्र के लिये ले ली गई।

(२) जी हां। केन्द्र खोल दिया गया व १ मई, १९६१ से चल रहा है।

(३) जी हां।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री श्रवणलाल : जमीन किसकी थी?

मंत्री, पशुपालन (श्री नाथूराम मिर्धा) : गऊशाला की।

श्री भीमसिंह : पहले गऊशाला चलती थी उसकी थी।

श्री श्रवणलाल : क्या यह जमीन जो सरकार ने एलॉट की थी वह गऊशाला पर्पज़ के लिए थी।

श्री भीमसिंह : भरतपुर स्टेट के टाइम से चलती आ रही थी और जमीन उसके पास में थी। उसके बाद गऊशाला अव्यवस्थित रूप से चलती रही तो वहां पर प्रजनन केन्द्र खोल दिया गया।

श्री श्रवणलाल : आपके कब्जे में गऊशाला आई, भूमि आई उसके पहले कितनी जमीन का अलॉटमेंट हो चुका था?

श्री भीमसिंह : यह फीगर नहीं मांगे गये इसलिए नहीं दिये। गऊशाला, गऊशाला की जमीन, सारी सम्पत्ति, सारी चीजें केन्द्र के पास आईं।

श्री श्रवणलाल : जिन लोगों के नाम जमीन है उनको नोटिस मिल चुका है क्या?

श्री नाथूराम मिर्धा : जमीन किसी के नाम नहीं। ४५ बीघा का झगड़ा है। जिनके पास ४५ बीघा जमीन है, उनमें दो औरते हैं और चार आदमी हैं, उनका कब्जा कितना जायज है, कितना नाजायज है- इसका कोर्ट में केस चल रहा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल : पुरानी गऊशाला की गऊएं थीं, बूढ़ी, लूली और लंगडी थी, जो इनके शेल्टर में थीं उनके बारे में क्या व्यवस्था की है?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह लूली-लंगडी गायें नहीं थी। वह एक आदर्श गऊशाला थी और उसमें अच्छे जानवर थे।

श्री मुकुटबिहारीलाल : इस गऊशाला का पैटर्न था वह यह है कि जो गऊ वृद्ध हो जायं, नाकाबिल हो जायं, उनको इसमें शेल्टर मिले और उनके लिए १४०० बीघा का रकबा था। बाहर ले जाने पर म्यूनिसिपेलिटी से चुंगी अभिभार के रूप में ली जाती थी ताकि गऊ अनधिकृत रूप से बाहर नहीं चली जाय। इस जन भावना के लिए क्या व्यवस्था की है।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस गऊशाला को चलाने वाले ट्रस्ट के लोगों ने यह उपयुक्त समझा कि वहां ब्रीडिंग सेन्टर चले। इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट को दे दिया। गऊओं

(श्री नाथूराम मिर्धा)

के लिए अलग व्यवस्था है। गऊशाला काम कर रही हैं वे तीन हैं, उनके लिए काफी जमीन उपलब्ध है। इसलिए इन गऊशालाओं के इस प्रकार के लूले, लंगड़े और अपाहिज जानवरों को कहीं भेजने की आवश्यकता होती है तो गऊ सदनों में भेज देते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : Questio hour is over. It is extended upto 9. 20.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : दूसरा प्रश्न था, जिस वक्त केबिनेट मीटिंग हुई उस वक्त कुछ लोगों ने इस भूमि को और गऊशाला को सरकार के सुपुर्द करने की बात कही। मैं यह पूछना चाहता हूं कि मत्स्य का जब फॉर्मेशन हुआ था उस वक्त यह गऊशाला और यह जमीन सरकार की थी। उस समय एक तहसीलदार ने दूसरे लोगों को जमीन दे दी और उस सारी जमीन में से पांच सौ बीघा जमीन भी सरकार के कब्जे में नहीं आई और बीच में लोगों ने हड़प कर ली। उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह गलत है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह गलत है, तो सरकारी रिकार्ड के आधार पर सही साबित किया जा सके तो उसके बाद क्या जवाब देंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि ४५ बीघा का टंटा है। इसके सिवाय कुछ नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं पूछना चाहता हूं कि जमीन और गऊशाला जो गवर्नमेंट की प्रोपर्टी थी, उसे कुछ लोगों ने लेकर सरकार के सुपुर्द करने की बात कही, यह कहां तक सही है ?

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि जमीन के दिये जाने पर कलेक्टर के सामने जनता ने विरोध किया है और एक विरोध-पत्र लिख कर सरकार को भेजा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई विरोध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न का समय समाप्त हुआ।

श्री श्रवणलाल : मंत्री जी घोषणा कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं है। वहां पर काफी विरोध हुआ, आन्दोलन किया और भूख हड़ताल की।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न का समय समाप्त हुआ।

श्री भैरोंसिंह : ४०२ बहुत इम्पोर्टेन्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नों में बहुत समय लेते हैं। माननीय सदस्यों को मैं निवेदन कर चुका हूं कि चेअर से कोऑपरेट कर घंटे में ही सब प्रश्न समाप्त करने का प्रयत्न करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल : ४०२ बहुत इम्पोर्टेन्ट है। मंत्री महोदयों की दृष्टि से भी इम्पोर्टेन्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : order please ! Let me call the name.

श्री भैरोंसिंह : पांच मिनट का सवाल है।

एक माननीय सदस्य : यह क्वेश्चन इम्पोर्टेन्ट है क्योंकि इससे मालूम होगा कि मंत्री महोदय नंदा साहब के सामने क्या उत्तर देंगे और यहां क्या दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३६५

श्री जोधसिंह।

(कृपया आगे देखिये)

श्री विजयसिंह झाला : ४०२ बहुत इम्पोर्टेन्ट है।

श्री भैरोंसिंह : श्री जोधसिंह अपना प्रश्न फारगो करते हैं, आप ४०२ ले लीजिये।

प्रश्न संख्या ३६६.

श्री उपाध्यक्ष : श्री भानुप्रसाद करा-डिया।

(प्रश्न नहीं पूछा गया-कृपया आगे देखिये)

श्री देवीलाल।

(शोरगुल 'प्रश्न संख्या ४०२ का उत्तर दिला दिया जाए' की ध्वनि)

जयसमन्द झील से सिंचाई

३६७. श्री देवीलाल (सराड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) उदयपुर जिले की जयसमन्द झील से कुल कितनी सिंचाई हो सकती है ?

(२) अभी इससे कितनी सिंचाई हो रही है ?

(३) क्या यह सही है कि जयसमन्द का पानी उदयपुर के पास स्थित जिंक स्मेल्टर के लिये ले जाने की योजना बनाई जा रही है ?

(४) जयसमन्द का लेवल जिंक स्मेल्टर के लेवल से कितना नीचा है ?

(५) इस योजना पर कुल कितना खर्चा होगा ?

(६) क्या जिंक स्मेल्टर के लिये पानी देने से सिंचाई होने वाली भूमि का पानी देना बन्द कर दिया जायेगा ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) लगभग २३००० एकड़।

(श्री दिनेशराय डांगी)

(२) १७,००० एकड़।

(३) इस विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

(४) करीब ८५० फीट।

(५) इस विभाग को कोई सूचना नहीं।

(६) प्रश्न नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भीमसेन।

मैडिकल कॉलेज, बीकानेर में एम. डी. के अध्यापन की व्यवस्था.

३९८. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--राज्य सरकार सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में एम. एस. तथा एम. डी. के अध्यापन की व्यवस्था के संबन्ध में क्या कदम उठा रही है?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा): इस विषय में अब तक कोई कदम उठाने का प्रश्न पैदा नहीं होता, क्योंकि मैडिकल कॉलेज की बीकानेर में इसी साल एम. बी.बी. एस. की फाईनल परीक्षा हुई है और पहला बैच निकला है। भविष्य में यदि किसी विषय को पोस्ट ग्रेज्यूएट के लिए काफी स्टूडेन्टस (विद्यार्थी) होंगे तो विचार किया जायेगा।

श्री भीमसेन : क्या सरकार के पास ऐसे आदमियों के प्रार्थना-पत्र नहीं आये हैं जो एम. एस. और एम. डी. का अध्यापन करना चाहते हैं?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : पोस्ट ग्रेजुएट के लिये एम. बी. बी. एस. करने के बाद रूरल सर्विस करनी पड़ती है और उसमें तीन साल लगते हैं। इसलिए यह भी जरूरी होता है कि यूनिवर्सिटी से परमिशन ली जावे और इन्सपेक्टर इसके लिये जांच करता है और उसके बाद में अपनी राय देता है कि आया एम. एस. या एम. डी. की क्लासेज़ चालू की जावे या नहीं। अभी तो पहला बैच एम. बी. बी. एस. का निकला है।

श्री भीमसेन : आपने कहा कि तीन साल लग जाते हैं, तो क्या इसके लिए पहले आपने इसके लिए तैयारी करने के सम्बन्ध में कोई कदम उठाया या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री जोधसिंह।

प्रश्न संख्या ३९९।

श्री जोधसिंह चौहान।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

श्री चतुर्भुज उपाध्याय।

भूगर्भ अन्वेषण कार्य

४००. श्रीचतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले का भूगर्भ अन्वेषण हो रहा है? अगर

(श्री चतुर्भुज उपाध्याय)
हां, तो पूरे जिले का अन्वेक्षण कब तक हो जायेगा ?

(२) अब तक के अन्वेक्षण से किस किस प्रकार की धातुओं का कहां कहां होना पाया गया है और उनमें से कौन सा धातु अधिक लाभ-प्रद सिद्ध होता है ?

(३) क्या यह सही है कि कहीं पर ऐसी मिट्टी अथवा पत्थरों का अन्वेक्षण भी किया गया है जिससे कि जिले में लघु उद्योग को प्रोत्साहन मिल सके ? अगर हां, तो ऐसे कौन कौन से मिट्टी व पत्थर हैं और कहां कहां पाये जाते हैं ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां। यह कहा नहीं जा सकता कि पूरे जिले का अन्वेक्षण कब तक पूरा हो जायगा।

(२) लाइम स्टोन के भण्डार पाए गए और कोई अन्य लाभदायक धातु खनिज की होना नहीं पाया गया।

(३) जी हां। विनौता और एराल में चिकनी मिट्टी का अन्वेक्षण किया गया।

श्री भीमसेन : कौन कौन से उद्योग कहां २ स्थापित किये जा सकते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : चितौड़गढ़ का प्रश्न था और उसका मैंने उत्तर दिया है ?

प्रश्न संख्या ४०१

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्द्रसिंह बर्फा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री विजयसिंह झाला।

मन्त्रियों की सम्पत्ति

४०२. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

मंत्रियों की सम्पत्ति की बारे में राजस्थान सरकार क्या कदम उठा रही है ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : इस प्रश्न पर अखिल भारतीय आधार पर सोचा जा रहा है।

श्री विजयसिंह झाला : क्या आप उसे राजस्थान पर लागू करने जा रहे हैं और क्या आपने ऐसा किया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने पूछा है उसका मैंने जवाब दिया है कि इस प्रश्न पर अखिल भारतीय आधार पर सोचा जा रहा है।

श्री विजयसिंह झाला : प्रश्न में मैंने यह पूछा है कि राजस्थान सरकार मन्त्रियों की सम्पति की घोषणा के बारे में क्या कदम उठा रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने कहा कि यह ऑल इण्डिया वाइज् प्रश्न है।

श्री विजयसिंह झाला : क्या के० संथानम् कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार विधान सभा में इसको रखने और डिस्कस करने का अधिकार है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने कहा कि इस पर अखिल भारतीय आधार पर सोचा जा रहा है।

Page No.33

श्री भैरोंसिंह : क्या राजस्थान के मंत्री मंडल के सदस्यों ने अपनी सम्पत्ति का डिक्लेरेशन आपको दे दिया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : राजस्थान के मंत्रियों की सम्पत्ति का डिक्लेरेशन राजस्थान के मुख्य मंत्री के पास नहीं आता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने सारे मंत्रियों को आदेश देकर उनसे सम्पति का स्टेटमेंट मांगा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो आॅल इन्डिया कांग्रेस कमेटी की पॉलिसी के अनुसार उनको भेजा जाता है। मैंने भेज दिया है। दूसरों ने भी भेज दिया होगा।

श्री भैरोंसिंह : दूसरों ने भी भेज दिया होगा। आपने कितनी सम्पत्ति का स्टेटमेंट भेजा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह मुझे कहने की यहां जरूरत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जब सदन में आपने कहा है तो यह पूछा है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो डिक्लेरेशन किया है वह बता दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसको बताने की जरूरत नहीं है।

एक माननीय सदस्य : यह पोलिटिकल पार्टी की बात है।

श्री विजयसिंह झाला : जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर दें। मैंने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दें। मैंने प्रश्न पूछा कि मंत्रियों की सम्पति की घोषणा के बारे में राजस्थान सरकार ने क्या कदम उठाया है ? आप स्वयं मानते हैं कि आपने भेज दिया है। अगर हाउस में उस पर डिस्कशन होता है तो यह आपके लिये अच्छी बात होगी और साथ ही साथ दूसरों को भी बाध्य करेंगे........

श्री उपाध्यक्ष : आपने कह दिया कि मैंने स्टेटमेंट दे दिया है और दूसरों ने भी दे दिया होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : जैसा आपने कुछ दिन पहले बताया था कि उदयपुर में मकान है उसका भी उसमें उल्लेख है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पूरी तरह से उसका उल्लेख है।

श्री मुरलीधर व्यास : उसकी क्या कीमत लगाई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे कहने की जरूरत नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : आप लोग चाहे लाखों की भूमि में रहें मगर हम यह नहीं चाहते कि दो लाख की सम्पत्ति हो और पांच लाख के चार्जेज आप पर लगें। अगर आप बता दें तो यह साफ हो जाएगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपकी इस सद्भावना के लिये धन्यवाद। इस संबंध

Page No.34

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

में जो जानने का अधिकारी है उसको बता दिया गया है, क्योंकि यह पार्टी के रूल्स के अनुसार डिसाइड किया गया है और उन रूल्स का हमने पालन किया है। अगर ऑल इण्डिया लेबल पर इस बात का फैसला कर दिया जायेगा कि इसको सदन के समक्ष रख दिया जावे तो हमें इसको सदन के समक्ष रखने में कोई एतराज नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : सदन के नेता को हर बात का अधिकार है और आप सदन के नेता हैं और हम मानते हैं। इसलिये हम भी इस बात के जानने के अधिकारी हैं इसलिये यह कहना कि हमें अधिकार नहीं है आप हमें भी बता दें।

श्री भैरोंसिंह : जब सरकारी अधिकारियों को डिक्लेरेशन देना पड़ता है तो राज्य सरकार के मन्त्री भी सरकार की हैसियत से इसको देने से वंचित नहीं रह सकते और माननीय मन्त्रियों को भी डिक्लेरेशन देना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि इस प्रश्न के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है और दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें इस प्रकार की व्यवस्था है उसमें इसको सदन के समक्ष रखने की व्यवस्था नहीं है। इस प्रश्न के बारे में विचार किया जा रहा है और अगर इस सम्बन्ध में कोई इस प्रकार का फैसला कर दिया जावे कि मिनिस्टर इसको सदन में रखा करें तो मुझे कतई इसको रखने में एतराज नहीं होगा, लेकिन यह सारी बातें देश में तय होने पर है।

श्री भैरोंसिंह : मैंने यह नहीं पूछा कि विधान सभा में डिक्लेरेशन दें। मैंने पॉलिसी के बारे में पूछा है। मैंने पूछा है कि जब राज्य के कर्मचारी और उच्च अधिकारियों के डिक्लेरेशन लेते हैं तो मन्त्रियों के क्यों नहीं लिये जाते ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने अपनी राय दी है और जिस जगह मुझे इसके बारे में विचार करना है उसके बारे में पहले राय दी है।

श्री विजयसिंह झाला : यह जो डिक्लेरेशन दिया गया है वह सही है या गलत है; इस बात की गारन्टी क्या हो सकती है? जब आप कहते हैं कि यह सही है तो आप उसको बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री विजयसिंह झाला : एक प्रश्न और है; आधा मिनट। हमारे मुख्यमन्त्रीजी ने जो, प्रोग्रेसिव कदम उठाये हैं दूसरे मामलों में और वे प्रोग्रेसिव कहलाते है, उन्होंने पंचायती राज्य को भी सबसे पहले हमारे यहां लागू किया, इसलिये मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि वे दूसरों की राय क्यों देखते हैं ?

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ३९६ का उत्तर रह गया है। एक छोटा सा प्रश्न है इसका उतर दिला दिया जाए। यह बहुत इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : यह हो चुका है।

Page No.35

(श्री उपाध्याय)

It has been done.

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

माधोगंज मण्डी की सरकारी दुकानें, बांदीकुई

३८१. श्री मथुरेशविहारी माथुर (बांदीकुई) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

तहसील बांदीकुई में माधोगंज मण्डी की सरकारी दुकानों को पुराने काबिज लोगों को कीमत पर देने की योजना कब बनी और उस पर क्या निर्णय हुआ है ? कब तक यह दुकानें काबिजों को दे दी जावेंगी ?

उत्तर

कुछ समय से इस सम्बन्ध में प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

ट्रेसपासर भूमिहीन किसानों को खातेदारी अधिकार, जिला बूंदी

३८७. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने ३१ दिसम्बर, १९६१ तक के ट्रेसपासर भूमिहीन किसानों के १५ एकड़ भूमि तक खाते बांधने का निर्णय लिया था ?

(२) क्या यह सही है कि रेवेन्यू की भूमि पर बने हुए मकानों को आबादी में मुन्तकिल करके पट्टे देने सम्बन्धी नियम बनाये गये थे ?

(३) यदि हां, तो बूंदी जिले की कौन सी तहसीलों में कितने ट्रेसपासर किसानों को खातेदारी दी जा चुकी है तथा कितने मकानों की कौन सी तहसील में पट्टे देकर कार्यवाही पूर्ण करदी गई ? तालिका सदन की मेज पर रखें।

(४) क्या यह सही है कि बूंदी जिले की कितनी ही पंचायतों ने पड़त भूमि को किसानों को बेचकर पट्टे जारी कर दिये किन्तु आबादी में मुन्तकिल नहीं करवाने के कारण तहसीलदार के द्वारा उनको बेदखल करके रकम की वसूली की जा रही है ?

(५) यदि हां, तो केशवराय पाटन तथा नेनवा तहसील में ऐसे कितने व्यक्तियों को पंचायतों के द्वारा भूमि बेचकर पट्टे दे दिये गये तथा तहसील के द्वारा कितने किसानों पर मुकदमें दायर किये हुए हैं ?

उत्तर

(१) ३१-१२-६१ तक के अतिक्रमणकारियों को १५ एकड़ भूमि तक नियमन राजस्व (ख) विभाग के आदेश संख्या एफ. ३-६६- राज।ख। ६२ दिनांक १.६.६२ के अन्तर्गत किये जाने का प्रावधान है।

(२) राजस्व (ख) विभाग के आदेश संख्या. एफ. ३(१६)राज।ख। ६३ दिनांक २४.४.६३ के अनुसार, ३१-१२-६२ तक अनधिकृत रूप से मकान बनाये जाने पर नियमन किये जाने का प्रावधान है।

(श्री राजस्व मन्त्री)

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) ३१-१२-६२ तक जो पट्टे दिये गये हैं उनके सम्बन्ध में बेदखली की कार्यवाही नहीं की जा रही है परन्तु ३१.१२.६२ के बाद में जिन ग्राम पंचायतों ने आबादी के बाहर की भूमि किसानों को अनाधिकार रूप से बेची है उनके मुकदमें तहसील में चालू है।

(५) लगभग सभी पंचायतों ने राज्य की पड़त भूमि बेच कर पट्टे जारी किए हैं उनमें से कुछ मामले तहसील में विचाराधीन हैं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

लिफ्ट प्रणाली योजना

३६१. श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना) : क्या मन्त्री, राजस्थान कैनाल यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राजस्थान नहर से लिफ्ट प्रणाली से पानी लाने की कोई योजना राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ?

(२) अगर हां, तो वह कब तक क्रियान्वित की जायगी और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) लूणकरणसर क्षेत्र एवं बीकानेर जिले के अन्य कुछ भाग की सिंचाई हेतु राजस्थान नहर से लिफ्ट द्वारा पानी लेने की योजना है।

(२) उपरोक्त योजना के विस्तृत सर्वेक्षण हेतु इन्वेस्टिगेशन डिवीज़न खोल दिया है। सर्वेक्षण पूर्ण होने के पश्चात् ही योजना के समय आदि के सम्बन्ध में निश्चित तौर से कहा जा सकता है।

मुजराई

३६४. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में नम्बरदारी प्रणाली खत्म कर दी गई फिर भी सरकार ने किसानों से नम्बरदारों की मुजराई वसूल की है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) इस तरह की मुजराई से इस वर्ष कितनी धन-राशि सरकार के खजाने में आई ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(३) इस मुजराई की प्राप्ति धन राशि को सरकार ने किस हेड में जमा किया है ?

उत्तर

(१) जी हां, सिर्फ अलवर व भरतपुर जिलों में वसूल की गई है क्योंकि यह रकम बन्दोबस्त द्वारा किये गये असेसमेंट का भाग है और राजस्थान डिसकन्टिनियेन्स ऑफ सेसेज़ एक्ट, १६५६ के अन्तर्गत इस वसूली का प्रावधान है।

(श्री राजस्व मन्त्री)

(२) माह जुलाई, सन् ६४ तक अलवर, भरतपुर जिलों में निम्नलिखित रकम खजाने में जमा हुई है :—

अलवर रु० १,०२,६०३.०० पै०

भरतपुर रु० ७६,४२२.५५ पै०

(३) इस वसूल शुदा रकम को अलवर जिले में नौ–भूराजस्व भू-मि पर स्थानीय कर एवं उप-कर (IX Land Revenue Rates and Cess on Land) के हैड में जमा की गई है व भरतपुर जिले में अमानतः माल के हैड में व कहीं कहीं किस तहसील में यह सीगा "मालमुतफर्रिक" में भी जमा की गई है।

डामाखेडा बांध में आई भूमि का मुआवजा

३६५. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि कपासन तहसील में कोई डामाखेडा नाम का बांध बांधा जा रहा है ? यदि हां, तो उसमें कितनी रकम खर्च होगी और वह कब तक बन कर तैयार हो जावेगा ?

(२) उसमें कितने किसानों की कितनी भूमि आई है और क्या उनको मुआवजा दे दिया गया है ?

(३) क्या यह सही है कि बांध बनाने से जितनी रकम व्यय होगी और जितने किसानों की भूमि डूब में आ जावेगी उसे देखते हुए सरकार को इस बांध से हानि होगी और भूमि भी उससे अधिक सिंचित नहीं होगी ? यदि हां, तो फिर यह बांध क्यों बांधा जा रहा है ?

उत्तर

(१) डामाखेडा बांध इस वर्ष सम्पूर्ण हो चुका है। इस पर करीब १,१३,१५०) व्यय हुए हैं।

(२) बान्ध में ३५ काश्तकारों की ११० बीधा भूमि डूब में आई है। उनको भूमि के बदले भूमि भी दी जा चुकी है।

(३) जी नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है।

गौचर भूमि पर नाजायज कब्जे, जिला जयपुर

३६६. श्री भानुप्रसाद कराड़िया (चौमू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जयपुर जिले में कुल कितनी गौचर भूमि पर किस किस तहसील के लोगों ने नाजायज कब्जे कर रखे हैं और उनके खिलाफ आज तक क्या कार्यवाही की गई है और कार्यवाही का क्या परिणाम रहा है ?

उत्तर

जयपुर जिले में कुल ५४६६ बीघा १२ बिस्वा गोचर भूमि पर नाजायज कब्जा किया गया। तहसीलवार सूची सदन की मेज पर

Page No.38

(श्री राजस्व मन्त्री)

रख दी गई है। अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही की गई। २५८८ बीघा ३ बिस्वा भूमि पर से बेदखल करने के आदेश किये जा चुके हैं एवं शेष के लिये कार्यवाही जारी है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गिरवा तहसील में सिंचाई कार्य

३६६. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गिरवा तहसील में कुल कितने तालाब हैं जिनका उपयोग माइनर इर्रिगेशन की दृष्टि से लिया जा सकता है ?

(२) गिरवा तहसील में कितने गांवों में सिंचाई विभाग नहरों द्वारा पानी दे रहा है, व उनसे प्रत्येक गांव में कितनी सिंचाई हो रही है ?

(३) ऐसे कौन से तालाब गिरवा तहसील में हैं जिनसे लघु सिंचाई हो सकती है परन्तु उनको अभी तक योजना में नहीं सम्मिलित किया गया है ? कृपया सूची सदन में प्रस्तुत करें।

(४) गिरवा तहसील में ऐसे कितने गांव हैं जिनमें नये तालाब सर्वे करवा कर बनाये जा सकते हैं ?

(५) गिरवा तहसील में क्या प्रत्येक लघु सिंचाई योजना में शामिल हो सकने वाले तालाब की सर्वे कराली गई है ? अगर नहीं, तो कब तक हो जावेगी ?

उत्तर

(१) ऐसे ६ तालाब हैं।

(२) कृपया संलग्न सूची का अवलोकन करें।

(३) कोई नहीं।

(४) कोई नहीं।

(५) कोई नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

रेखचाकरी की रकम, ठिकाना पोकरण

४०१. श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पोकरण ठिकाने में रेख चाकरी के पांच लाख रुपये एक लम्बे अर्से से बकाया हैं ?

(२) क्या सरकार इस रकम को ठिकाने के मुआवजे की रकम में से काटने का विचार रखती है ? यदि हां, तो आज तक इस ठिकाने को कितना मुआवजा मिला और ऐसी बकाया रकम मुआवजे में से कितनी बाद देकर वसूल की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां।

(श्री राजस्व मन्त्री)

(२) जी हां, १,६४,३५३.१८ न० पै० अन्तरकालीन मुआवजे के रूप में तीन किश्तों में किया गया है। ठिकाने ने बकाया रकम की अदायगी के लिये उज्र पेश किये हैं जो अभी तक सरकार के विचाराधीन हैं। जो भी ट्रिब्यूट की रकम बकाया वाजिब होगी नियमानुसार मुआवजे को रकम में से काटली जायेगी।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्लाटों का वितरण, चित्तौडगढ़

८६. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़): क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चित्तौड़गढ़ नगरपालिका क्षेत्र में आधुनिक दृष्टि से नगर विकास हेतु कितने प्लॉट मकान बनाने के लिए किस किस बस्ती में जनता को दिये जा चुकें हैं और उन्हें कितना राज्य सरकार से लोन मिल चुका है ?

(२) ये प्लॉट नीलाम किए गए अथवा रियायती कीमत पर जनता को दिए गए ? अगर रियायती कीमत पर दिए गये, तो रियायत देने का क्या प्रावधान रखा गया ?

उत्तर

(१) चित्तौड़गढ़ नगरपालिका क्षेत्र में निम्न बस्तियों में मकान बनाने हेतु प्लॉट दिये गये हैः-

नाम बस्ती	प्लाट संख्या जो दिये गये
१. कुम्भा नगर	२८१
२. प्रतापनगर	९८
३. मीरां नगर	११
४. प्रेम नगर	३८
५. गाड़ी लोहार कालोनी	२८
कुल योग	४५६

राज्य सरकार से भवन निर्माण हेतु ६,२५,०२० रुपये ऋण स्वरूप दिये गये हैं।

(२) उक्त प्लॉट नीलाम से व निर्धारित कीमत पर ही जनता को दिये गये हैं। रियायती दर से प्लॉट नहीं दिए गए हैं।

तालाब का सर्वे, ग्राम सोभागपुरा

८७. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम सोभागपुरा, तहसील गिरवा में कोई पुराना टूटा हुआ तालाब रत्नाकर सागर या मन्डोपो नाम का है जिसमें अब खेती हो रही है ?

(श्री जोधसिंह चौहान)

(२) क्या यह सही है कि इसमें पानी की आव बहुत है ?

(३) क्या सरकार इसका सर्वे करवा कर इसे बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) सर्वे के पश्चात उसके पुनर्निर्माण का निर्णय लिया जा सकेगा।

रसायनिक खाद का उपयोग

८८. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सन् ६३—६४ के वर्ष में रसायनिक खाद के उपयोग कराने का लक्ष्य क्या था और वास्तव में कितना उपयोग में लिया गया।

उत्तर

सन् १९६३-६४ के वर्ष में रासायनिक खाद का लक्ष्य ५६००० टन का था उसमें से ४५००० टन उपयोग में लाया गया।

घानीणा तालाब के लिए श्रमदान और स्वीकृति धन-राशि

८९. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील गंगरार में घानीणा तालाब सिंचाई विभाग द्वारा बनाया गया ? अगर हां, तो कब और इसके लिये कितनी धन-राशि की स्वीकृति हुई है ?

(२) क्या यह सही है कि इस तालाब के बनाने में ग्रामीणों से श्रमदान भी लिया गया है ? अगर हां, तो कौन कौन से गांव से कितना श्रमदान दिया गया ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त श्रमदान इस आश्वासन पर दिया गया था कि इन गांवों से तालाब की नहर निकाली जावेगी ? अगर हां, तो क्या नहर निकाली गई ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि नक्शे में नहर दिखाते हुए भी और तालाब में पानी होते हुए भी गांवों को नहर नहीं दी गई ?

(५) श्रमदान का मूल्यांकन किस तरह, किसने शुमार किया गया ?

उत्तर

(१) जी हां, सन् ५४--५५ में लगभग ५६०००) की स्वीकृति से।

(२) जी हां। करीब ५०००)रु० का श्रमदान ग्रामीणों द्वारा किया गया। श्रमदान किन २ गांव वालों ने दिया इसका कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं है।

(३) जी नहीं। ऐसा कोई आश्वासन दिये जाने की जानकारी विभाग को नहीं है।

(श्री सिंचाई मन्त्री)

(४) जी नहीं, नहर के नक्शे के अनुसार ही बनाई गई है। तालाब का पूरा पानी सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। कोई शेष नहीं रहता।

(५) एस्टीमेट मंजूर कराते समय श्रमदान में किए हुए मिट्टी के काम को कम करके तभी मंजूर कराया था।

गंदे पानी की नालियां

६०. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर में जितनी भी गन्दे पानी की नालियां पीछोला झील की ओर हैं उनका गन्दा पानी पीछोला झील में गिरता है ?

(२) क्या यह सही है कि गर्मियों में गन्दा पानी गिरने से वहां के पानी में कीड़े पड़ जाते हैं और जिससे शहर के निवासियों को बीमारी का शिकार बनना पड़ता है ?

(३) क्या उदयपुर नगर में सिटी पैलेस से घनघोर घाट, गडिया देवरा, चान्दपोल और जाटावाड़ी होती हुई एक गन्दे पानी की अन्डर ग्राउन्ड नाली बनाने की योजना है ? अगर नहीं है, तो क्या उसकी सर्वे करा कर योजना में शामिल करने का सरकार विचार है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

कृषि फार्म-ग्राम भाटीवाड

६१. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या ग्राम भाटीवाड तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू में कोई सरकारी कृषि फार्म है ?

(२) यदि हां, तो जिस वर्ष से उक्त फार्म स्थापित हुआ है उस वर्ष से लगाकर आज तक प्रत्येक वर्ष में कितना घाटा या मुनाफा रहा है ? सूचि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) उक्त फार्म में सरकार ने कितनी पूंजी लगा रखी है ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

पे-फिक्सेशन के मामले, फर्राशखाना, उदयपुर

६२. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर फर्राशखाना के फर्राश व आर्टीजन स्टाफ का पे-फिक्सेशन यूनिफाइड, रेशनेलाइज्ड व रिवाइज्ड पे-स्केल्स में नहीं हुआ है ? यदि हां, तो ऐसे कुल कितने व्यक्ति हैं ?

(श्री जोधसिंह चौहान)

(२) क्या यह सही है कि इसकी कार्यवाही चलते हुए कई वर्ष निकल गये हैं लेकिन इनका मसला अभी भी तय नहीं हो सका है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और यह मसला किस स्टेज पर है ?

(३) क्या यह सही है कि अभी भी इन कर्मचारियों को २५-१-३० की ग्रेड ही मिल रही है ?

उत्तर

(१) यह सही नहीं है। केवल दो अर्डीजन का रेशनेलाइज़ व रिवाइज़्ड पे स्केल में फिक्सेशन बाकी है।

(२) सभी का फिक्सेशन करा दिया गया है। केवल २ का बाकी है। जिनके लिए कार्यवाही चालू है। और चीफ इन्जीनीयर को ताकीद की गई है।

(३) जी नहीं।

(६. २० म० पू०)

याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री उपाध्यक्ष : Presentation of Petitions.

श्री रावतराम !

श्री रावतराम (सादूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, भाखरा और राजस्थान कैनाल कोलोनाइजेशन विभाग के एरिया में आने वाली नगर पालिका व पंचायतों को रिहायस के कितेयात देने लगभग १२ वर्ष से बन्द कर रखे हैं जिसका नतीजा यह है कि इन नगरपालिका क्षेत्रों में नाजायज कब्जे लोगों ने कर रखे हैं और टाउन प्लानिंग बिलकुल अस्त-व्यस्त हो गई है। अतः कॉलोनाइजेशन एरिया में आने वाली मंडियों तथा नगरपालिका एरिया में आने वाली मंडियों तथा नगरपालिका के क्षेत्रों को कितेयात प्लानिंग विभाग की सलाह से अलॉट करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। उत्तर याचिका दो हस्ताक्षरकर्ताओं के हस्ताक्षरों द्वारा मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापना करता हूं :—

१) जुलाई, १९६४ में घग्घर नदी की बाढ़ से डूबने वाले गांवों को सहायता देने के सम्बन्ध में दो याचिका देने वालों से हस्ताक्षरित याचिका।

२) राजस्थान कैनाल कोलोनाइजेशन विभाग द्वारा जमीन की नीलामी व अलॉटमेंट में अनियमितताओं की जांच किये जाने के सम्बन्ध में दो याचिका देने वालों से हस्ताक्षरित याचिका।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला !

श्री विजयसिंह झाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापना करता हूं :—

(श्री विजयसिंह झाला)

१) नाथद्वारा में श्री नाथजी के मन्दिर की व्यवस्था के सम्बन्ध में दो याचिका देने वालों से हस्ताक्षरित याचिका ।

२) उदयपुर डिवीज़न में विरोधी दलों की नगरपालिकाओं व पंचायतों के साथ सरकारी अधिकारियों के रवैये के सम्बन्ध दो याचिका देने वालों से हस्ताक्षरित याचिका ।

(६. २२ म० पू०)

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : Presentation of select committee Report.

श्री बरकतुल्लाखां (स्वायत्त शासन, मंत्री) उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान म्युनिसिपैलिटी (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं ।

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेंट (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं ।

(६. २२ म० पू०)

राजस्थान प्राथमिक शिक्षा विधेयक, १९६३ (विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री उपाध्यक्ष : Bills for consideration.

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप--मंत्री, शिक्षा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान प्राइमरी एजूकेशन बिल, १९६३--१९६४ as reported by Select Committee, को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह झाला ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) :

[प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान प्राथमिक शिक्षा विधेयक, १९६३ को छः माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये ।"]

उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक सदन के अन्दर अभी माननीय उपशिक्षा मंत्री ने रखा है, मैं उसके उद्देश्य का स्वागत करता हूं । लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज दिन तक राजस्थान सरकार, जो एक वैधानिक अधिकार राजस्थान के नागरिकों को मिला हुआ था, यहां विगत १० सालों के पहले से ही कम्पल्सरी प्राइमरी एजूकेशन राजस्थान सरकार को देना चाहिये था, उसका प्रावधान नहीं किया, एक प्रकार से जो शीघ्रतिशीघ्र कदम उठाना चाहिये था वह नहीं उठा कर इस वर्ष उठाया गया है, मैं समझता हूँ यह राजस्थान के नागरिकों के साथ में विश्वासघात और धोखा किया गया है । इसलिये

(श्री विजयसिंह झाला)

राजस्थान सरकार ने जो राजस्थान की जनता के साथ गद्दारी की है उसके सम्बन्ध के उप शिक्षा मंत्री माफी मांगे कि आज से बहुत पहले जो स्टेप उठाना चाहिये था वह क्यों नहीं उठाया गया।

उसके बाद भी जो मौजूदा प्रावधान है, जिस उद्देश्य को लेकर यह बिल पेश कर रहे हैं, वह उद्देश्य इन प्रावधानों से सफल होगा इसमें सन्देह है। आज की जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए इस बिल को प्रस्तुत करने के बाद भी जो धन-राशि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये रखी गई है, उससे हम इस उद्देश्य में सफल हो सकेंगे, ऐसी मुझे आशा नहीं है। जो सरकारी रेकार्ड के अनुसार विद्यार्थियों की संख्या है, ५१ से ६४ तक जो राजस्थान में विद्यार्थियों की संख्या है, उसको देखें तो मालूम होगा कि प्राइमरी एजूकेशन में पढ़ने की रूचि है, संख्या के बढ़ने की गति है वह कम होती जा रही है और इसके कुछ आंकड़े मैं सदन के समक्ष रखूंगा।

१९५०–५१ में पहली से पांचवीं कक्षा तक २.७५ विद्यार्थी थे, जीरो पोइन्ट ५५ लड़कियां थीं।

१९५६–५७ में ४.३९ लड़के और ०.९८ लड़कियां।

१९६०–६१ में ८ लाख पोइन्ट ९९ थे।

१९६१–६२ में १० लाख पोइन्ट १२ थे।

एक लाख विद्यार्थी और बढ़े तो ऐसा मालूम पड़ता है कि प्राइमरी एजूकेशन में पढ़ने की जो रूचि है वह कम होती जा रही है। रूचि कम क्यों होती जा रही है यह एक सीरियस समस्या है। इसके कारण पर हमें विचार करना चाहिये, मैं सरकारी आंकड़ों के आधार पर बताऊंगा कि किस अनुपात में यह रूचि प्रगति कर रही हैं।

१९६१–६२ में ५.३ परसेन्ट विद्यार्थी वहां, ६२–६३ में ५.३ परसेन्ट विद्यार्थी ही बढ़े हैं। यह बहुत कम क्यों होती जा रहे हैं? इसका एक मात्र कारण यह है कि आज शिक्षा दी जाती है वह जीवन का अंग नहीं है जीवन से परे हो गई है। आज की शिक्षा जीवन में उपयोगी हो इस बारे में राजस्थान सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है, इसी कारण शिक्षा के प्रति उदासीनता होती जा रही है। वह वास्तव में सोचनीय है। एम. ए. पास करने के बाद विद्यार्थी के सामने समस्या खड़ी होती है कि उसको क्या करना चाहिये? मैं समझता हूँ इस प्रश्न का समाधान जब विद्यार्थी प्राइमरी शिक्षा प्रारम्भ करता है तभी होना चाहिये। मैंने कल एक अमेरिकन से बातचीत की जो पी. एच. डी. करने भारतवर्ष में आये हैं, उसने कहा कि जब मैं ५ वर्ष का था तभी मैंने ध्येय बना रखा था कि मुझे पी. एच. डी. करना है और पी. एच. डी. भारत में जा कर करना है। इस वर्ग के अलावा, वकीलों का वर्ग है, डाक्टरों का वर्ग है आई. ए. एस. हैं, आइ. पी. एस. हैं इनमें से किसमें जायेंगे इस प्रकार का वर्गीकरण प्राइमरी एजूकेशन के समय में ही करके सरकार की ओर से विद्यार्थियों को सहायता नहीं दी जायगी तब तक शिक्षा जीवन

(श्री विजयसिंह झाला)

का अंग नहीं बन सकेगी और जो लोगों में शिक्षा के प्रति उदासीनता है वह नहीं मिटेगी। इसलिये मैं समझता हूँ, आज जिस समय हम राजस्थान में प्राइमरी एजूकेशन कम्पल्सरी देने जा रहे हैं तो हमें सोचना होगा कि किस उद्देश्य को लेकर के उनको आगे बढ़ना है, किस लाइन में उनको आगे जाकर जाना है ! इसका वर्गीकरण प्राइमरी एजूकेशन में ही हो जाना चाहिये। इस प्रकार का कोई प्रावधान मौजूदा विधेयक में नहीं रखा गया है।

दूसरा कारण उदासीनता का जो जनता के अन्दर बढ़ती जा रही है यह है कि विद्यार्थियों का नैतिक स्तर हम नहीं उठा पाये हैं। आज प्राइमरी एजूकेशन के लड़के अंखियां मिलाने का गाना गाते है....

श्री दलपतसिंह (आबू) : आपको कौनसा गाना याद है ?

श्री विजयसिंह झाला : मुझे बहुत से गाने याद हैं, यह सिनेमा हाऊस नहीं है। मैं आपको सिनेमा के गाने बाद में सुनाऊंगा। तो मैं कह रहा था कि नैतिक स्तर जो विद्यार्थियों का है वह ऊंचा उठना चाहिए। इस बारे में हमारी सरकार उदासीन है और इसका सबसे बड़ा उपाय यह है कि अध्यापकों में जो संतोष होना चाहिए, वह संतोष नहीं है। और जब तक अध्यापकों में संतोष नहीं होगा तब तक अध्यापकों का स्टैंडर्ड ऊंचा नहीं होगा। आज आपने प्राइमरी एजूकेशन पंचायत समितियों के अधीन दे रखा है। जो आपने मायर कमेटी बिठाई, उसने रिपोर्ट दी है कि आप प्राइमरी एजूकेशन जल्दी जल्दी पंचायत समितियों से ले लो क्योंकि पंचायत समितियों के पास जब से प्राइमरी एजूकेशन गई है तब से विद्यार्थियों का नैतिक स्टेन्डर्ड गिरा है, विद्यार्थियों का नैतिक स्तर उठे उससे पहले अध्यापकों का नैतिक स्तर क्या है, इस पर हमें सोचना पड़ेगा। आज प्राइमरी एजूकेशन में कौन से लोग जाते हैं, वे ही जाते है जिनको दूसरी नौकरी किसी भी प्रकार की नहीं मिलती, उनके सामने यह साधन हो जाता है कि अपना काम चलाने के लिए प्राइमरी अध्यापक बनें। तो ऐसी स्थिति में आप जो तनख्वाह दे रहे हैं, आज उनको जो फैसिलटीज़ दे रहे हैं, उन पर आपको पुनः सोचना पड़ेगा। यदि आप उनके स्टैंडर्ड को ऊंचा उठाना चाहेंगे तो आपको उनकी तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेगी, तो फिर जो आपका मौजूदा प्रावधान है शिक्षा के लिए उसको बढ़ाना पड़ेगा। सारे भारतवर्ष के आंकड़ों को यदि आप देखें तो पर कैपीटा ७.७. रुपया खर्च होता है और हमारे राजस्थान में ७.६ रुपया खर्च होता है और कई दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में भी कम खर्च होता है और १९६४-६५ के जो आपने आंकड़े रखे हैं, उनके अनुसार आपके विद्यार्थी बढ़ेंगे और उसके साथ साथ आपका बजट कम होगा। १९६० के अन्दर जो बजट था वह २४ परसेंट था, उसके बाद १९६१ में २३ परसेंट था, १९६२ में २१ परसेन्ट रह गया और सन् १९६५ के अन्दर जो आपके एस्टीमेटेड आंकड़े हैं वह केवल २० परसेन्ट है तो विद्यार्थियों की संख्या तो बढ़ रही है और आपके बजट के अन्दर जो प्रावधान है वह धीरे धीरे नीचे जाता रहा है तो जो पर कैपीट खर्चा ७.६ था वह १९६५ में जाकर ७.० रह जायेगा, तो जो स्टैंडर्ड आप भविष्य में अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का ऊंचा उठाने जा रहे है वह केवल मौजूदा प्रावधान से नहीं उठ

Page No.46

(श्री विजयसिंह झाला)

सकेगा, वह स्टैंडर्ड और नीचे गिरेगा और रुचि में भी कमी आयेगी।

इसके अलावा जो पाठ्य पुस्तकें हैं प्राइमरी एजूकेशन के अन्दर उन पाठ्य पुस्तकों का स्टैंडर्ड भी उठाना पड़ेगा। आज क्यों मीनिस्टरों के लड़के सरकार द्वारा चलाए गए प्राइमरी स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं, उप-मंत्री आचार्य साहब का लड़का कहां पढ़ता है...

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : आचार्य खुद घर पर पढ़ाता है और शहर के मामूली स्कूलों में पढ़ता है।

श्री विजयसिंह झाला : तब तो प्राइमरी एजूकेशन का स्टैंडर्ड आपको मालूम होगा। मैं समझता हूं कि आज कई आई. ए. एस. अफसरों और मिनिस्टरों के लड़के मिशनरी स्कूलों में, जैसे सेंट जेवियर और कई प्रकार की प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स आज चल रही हैं, वहां पढ़ने जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों में जाना क्यों पसन्द करते हैं। इसका कारण यह है कि जो स्टैंडर्ड प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स का है वह ऊंचा है और सरकारी स्तर पर जो स्कूल आपके चलते हैं उनका स्तर नीचा है। तो एक तरफ मिनिस्टर का लड़का मिशनरी स्कूल में पढ़े और गरीब का लड़का सरकारी स्कूल में पढ़े, यह उचित नहीं। स्टैंडर्ड सारे राजस्थान में प्राइमरी एजूकेशन का एक होना चाहिए तभी जाकर प्रत्येक व्यक्ति में शिक्षा के प्रति आदर जमेगा।

आपकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें कक्षा ७ के अन्दर जो समाजिक विज्ञान की पुस्तके है उसके अन्दर लिखा है कि राजस्थान में लोक सभा है। मैं उपमंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या राजस्थान में लोक सभा आपकी जन्म भूमि मोही में है? राजस्थान की लोक सभा कौन सी बला है? जो पाठ्य पुस्तकें सरकार की तरफ से छपती हैं उसके अन्दर जो त्रुटियां को प कर छोटे बच्चों के अन्दर ऐसी भावनाएं जम जाती हैं जिनको आगे जाकर निकालना मुश्किल होता है तो आज इन पाठ्य पुस्तकों को देखना पड़ेगा।

दूसरी जो मजेदार बात है कि आपकी आठवीं कक्षा की हिन्दी की किताब है उसके अन्दर एक जगह सरदार चूडा का इतिहास लिखा हुआ है वह चूंडावत है और चूडा का अर्थ स्त्री लिंग से होता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने इसके व्याकरण का विश्लेषण नहीं किया है।

श्री विजयसिंह झाला : बदकिस्मती यह है कि हमारे उप शिक्षा मंत्री को व्याकरण का पूरा ज्ञान नहीं है। ऐसे ही आप झाला को जाला....

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपको झालाजी कह दें तो स्त्री लिंग तो नहीं होता। आप आचार्य जी कह दो तो कुछ नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आचार्य के बाद जी लगने से स्त्री लिंग हो जायगा?

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : तो झालाजी भी स्त्री लिंग नहीं होता।

श्री निरंजननाथ आचार्य : होता तो नहीं है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : स्त्री लिंग अपमान सूचक क्यों माना जाता है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप लिंग भेद के झगड़े में क्यों पड़ते है ?

श्री विजयसिंह झाला : आप किस लिंग के हो यह तो किसी को मालूम नहीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप अलग आइये तो बता दूं।

श्री विजयसिंह झाला : डिक्लेयर तो हो जाय कि आप किस लिंग के हैं। कम से कम इस सदन में मालूम हो जाना चाहिए। आपको उपमंत्री कहें या उपमंत्राणी कहें। आपने खुद ने माना है कि आप स्वयं कह नहीं सकते कि आप किस लिंग के हो।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मतलब यह था कि कक्षा ८ की हिन्दी का जो सम्पादक मण्डल हैं उसके जो प्रमुख आदमी है वे बहुत बड़े विद्वान हैं। उनके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है। 'जी' लगाने से कई राजस्थान में ऐसी कास्ट्स हैं कि स्त्रीलिंग का बोध होता है। चूंडावत के आगे जी लगाया गया है इससे स्त्रीलिंग का बोध होता है और यह माननीय सदस्या को भलीभांति ज्ञात है। ऐसी स्थिति में सरकार चूंडा को चूण्डावतजी लिखना उचित नहीं है, इससे स्त्रीलिंग का बोध होता है। लड़कों को यदि प्रारम्भ में ही इस प्रकार की शिक्षा दी जायगी यदि उनको स्त्रीलिंग और पुलिंग का बोध नहीं होगा तो स्टेन्डर्ड आगे जाकर गिरेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं। जो पाठ्य पुस्तकें लड़कों ने लीं तो उनको मालूम हुआ कि वे पढ़ने लायक नहीं है। कक्षा ७ का सामाजिक ज्ञान पेज १ से ६४ तक गायब है। आगे ६४ पेज से १ ही पाठ को सात बार रखा गया है। उन पुस्तकों को लेकर विद्यार्थी क्या करेंगे ? एक बात हो तो कोई बात नहीं। कक्षा ७ की हिन्दी की पुस्तक है उसमें भी ऐसा ही है। निर्धन बच्चे इन किताबों को लेते हैं और वे पढ़ने लायक नहीं हैं तो फिर क्या करें ? इस ओर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा।

विद्यार्थियों के नैतिक स्तर को उठाना पड़ेगा। आपको अध्यापकों को ज्यादा फेसिलिटीज़ देकर, उनकी ज्यादा तनख्वाह बढ़ा कर, उनका मान जनता में बना रहे इसके लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा और सुविधा अधिक से अधिक देनी पड़ेगी। पाठ्य पुस्तकों के स्टेन्डर्ड को आपको उठाना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जो मौजूदा विधेयक है उसमें प्रावधान किया गया है कि कम्पलसरी एजूकेशन दी जायगी सरकार की ओर से। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो बचों का खर्चा होगा पढ़ने के लिए उनमें से कितना परसेन्टेज़ विद्यार्थियों को सरकार की ओर से दिया जायगा ? किताबें फ्री सरकार की ओर से दी जायेंगी ? ड्रेसेज़ फ्री सरकार की ओर से दी जायगी ? यदि इस प्रकार की सहायता का

(श्री विजयसिंह झाला)

आप प्रोवीजन न करेंगे तो केवल प्राइमरी एजूकेशन को लेकर दुनियां में बताना चाहते हैं कि हम इतने वर्षों तक तो सोते रहे, पांच वर्ष पहले जो विधेयक लाया जाना चाहिये उसे आज ला पाए हैं, हम आज नींद से जगे हैं। आपके जगने के बाद भी जनता को सुविधा मिल सकेगी, ऐसा भी इससे प्रकट नहीं होता।

क्लॉज़ २ में लिखा है कि जब सरकार चाहेगी तब यह फोर्स में आवेगा और जिस क्षेत्र में चाहेगी यह फोर्स में आयेगा। मेरे ख्याल में ऐसा कोई प्रावधान इस कानून में नहीं होना चाहिए। जब तक आप इसकी गारन्टी नहीं देते, जब तक आप इसको सारे राजस्थान में लागू नहीं करते और इसके लिए आश्वासन नहीं देते सदन में कि यह सारे राजस्थान में लागू होगा तब तक केवल मात्र यह एक धोखा है, एक विश्वासघात है। आज तक धोखा किया है, भविष्य में भी उसी धोखे को और विश्वासघात को कन्टीन्यू रखना चाहते हैं इसके अलावा कुछ नहीं है।

इसके अतिरिक्त उपाध्याय महोदय, मैं समझता हूँ कि बहुत से सरकारी अधिकारी या बहुत से मिनिस्टर यहां जयपुर में भी प्राइमरी एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स चला रहे हैं उसको लेकर जयपुर में जो वातावरण चल रहा है, राजस्थान में जो वातावरण फैल रहा है, उस वातावरण को लेकर नैतिकता पर असर पड़ रहा है। हमें उस भ्रम को भी दूर करना पड़ेगा। मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं करना चाहता हूं, मैं किसी पर कोई व्यक्तिगत आक्षेप भी नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन आज राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी प्राइमरी एजूकेशन स्कूल चला रहे हैं और उस स्कूल को हजारों बीघा जमीन दे दी गई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : On a point of order, Sir. How dose it come within the scope of the Bill.

बिल के स्कोप में जमीन कहां आ जाती है ?

श्री उपाध्यक्ष : The Hon. Members will please confine to the main subject. There are many occasions when such questions can be raised.

श्री विजयसिंह झाला : मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि जब तक यह भिन्नता है तब तक एजूकेशन का स्टेन्डर्ड नहीं उठेगा और जो इस पवित्र संस्था के प्रति सम्मान होना चाहिये वह नहीं होगा और हमारा उस संस्था के प्रति दृढ़ विश्वास नहीं जमेगा। भिन्नता किस वजह से है मैं कारण बता सकता हूं। कारण मैं सोदाहरण बता रहा हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : The Chair has given its observations.

श्री विजयसिंह झाला : ऑब्जेर्वेशन का प्रश्न नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रारम्भ रखिये।

श्री विजयसिंह झाला : कम से कम बीच में न बोलें तो अच्छा है।

(श्री विजयसिंह झाला)

उपाध्यक्ष महोदय, इसके सिवाय भी कुछ और है। हमारे यहां पर जयपुर में दो महिलायें प्राइमरी इन्स्टीट्यूशन्स चला रही हैं और उसको लेकर जयपुर में विशेष चर्चा है। एक है शशी भारती, और दूसरी है बाल निकेतन स्कूल। शशी भारती की एक पुष्पा शर्मा हैं और बाल निकेतन की ललिता शर्मा सुशीला या ललिता। कीलर जैसे कांड होते जा रहे हैं। एक संस्था के अध्यक्ष नाथूरामजी मिर्धा हैं और दूसरे के माथुर साहब। मुझे समझ में नहीं आता कि पुष्पा शर्मा जिस स्कूल को चलाये उसमें सबसे ज्यादा एड क्यों देते हैं, दूसरी तरफ जो सुशीला स्कूल चलाये तो उसको क्यों ज्यादा देना चाहते हैं। आजकल स्त्रियां बच्चे पैदा करने की जगह स्कूल पैदा करती हैं और इन दो औरतों ने जिस प्रकार स्कूल पैदा किये हैं और उनके प्रति सरकार ने रुचि दिखायी है वह शोभनीय नहीं है। मैं किसी के चरित्र पर लांछन नहीं लगाना चाहता। लेकिन एक भ्रम पैदा हो रहा है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : भ्रम हो रहा है या पैदा किया जा रहा है?

श्री विजयसिंह झाला : आप चाहते हैं कि मैं आपको विस्तृत जानकारी दूं। यदि आप उत्सुक हैं तो क्यों भ्रम पैदा किया जा रहा है या पैदा हो रहा है उसको भी बता दूं। मैं विस्तृत कारणों में नहीं जा रहा हूं। दा साहब कहदें कि भ्रम हुआ है, असत्य हुआ है। दा साहब के प्रति श्रद्धा है। वृद्ध पुरुष हैं और वृद्ध को ही एजूकेशन का महकमा देना चाहिये। लेकिन मामला सारा उधर (श्री निरन्जननाथ आचार्य) चला गया है। कंट्रोल केपेसिटी जहां दा साहब की होनी चाहिये थी वह उप मन्त्रीजी के पास चली गई है। उन पर विश्वास करना बड़ा कठिन है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बिल पर बहस हो रही है या क्या? आप सीज़न्ड है। मैं तो यह उम्मीद कर रहा था कि आपकी ओर से गाइडेन्स ज्यादा मिलेगी। लेकिन आप तो यह कहने लगे है कि ज्यादा कन्ट्रोल हो गया, कम होगया, यह हो गया, वह हो गया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह तो रविन्द्र मंच पर हो तो ठीक है।

श्री विजयसिंह झाला : मैं आपके हित में कह रहा हूं। जब कभी कांड होते हैं तो ऐसा होता है। जयपुर में तितलियों को लेकर कांड चल रहे हैं। कहीं आप खुद न फंस जांय। इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूं। आपके मिनिस्टर फंसे हैं उनको तितली कांडों से निकालिये और सरकार की ओर से एड देते हो तो उसको बन्द कीजिये। आज एक एक औरत तीन तीन स्कूल जगह जगह चला सके, ऐसा कौनसा कारण पैदा हो गया है? राजस्थान सरकार प्राइमरी एजूकेशन नहीं चला सकती इस कारण यह स्थिति पैदा हुई?

शिक्षा जैसी पवित्र संस्था में जो नैतिकता होनी चाहिए उसके लिए सरकार जिम्मेदार है और जब तक सरकार इस प्रकार की

(श्री विजय सिंह झाला)

अनैतिक प्रवृत्तियों को रोकने की कार्यवाही नहीं करेगी तब तक आगे जाकर जो हम रूप-रेखा बनाने जा रहे है उसमें किसी प्रकार की सफलता नहीं मिल सकती ।

आज जो परीक्षा का स्टेन्डर्ड है वह निरन्तर गति से गिरता जा रहा है । आज से दस वर्ष पहले का स्टेन्डर्ड देखिये, जो परसेन्टेज़ था उसमें निरन्तर ह्रास हो रहा है. वह गिरता जा रहा है । आखिर ये होता क्यों जा रहा है इस पर सोचना पड़ेगा । इसका कारण यह है कि प्राइमरी एजूकेशन और मिडिल एजूकेशन और हायर सेकेन्डरी एजूकेशन में परस्पर सम्बन्ध जैसा होना चाहिये वैसा नही है, जो स्टन्डर्ड परस्पर होना चाहिये वैसा नहीं है । जो प्राइमरी एजूकेशन का इस समय स्टेन्डर्ड है उसके कारण मिडिल एजूकेशन में जाकर उस भार को बच्चा सहन कहीं कर पाता और जो मिडिल स्कूल एजूकेशन है उसको लेकर हायर सेकेन्डरी का स्टेन्डर्ड इतना कर दिया है कि उसमें जाकर बच्चा भार सहन नहीं कर पाता । इस कारण जो तारतम्य होना चाहिये, जो तालमेल होना चाहिये वह नहीं है । अगर प्राइमरी एजूकेशन के स्टेन्डर्ड को जो बेसिक जीव है, मिडिल स्कूल के स्टेन्डर्ड से और मिडिल स्कूल के स्टेडन्र्ड को हायर सेकेन्डरी के स्टेन्डर्ड से परस्पर तालमेल रखें इस प्रकार का बना कर नहीं चला सकेंगे तब तक हम को इसमें सफलता नहीं मिल सकती ।

इस स्थिति में प्राइमरी एजूकेशन के विस्तार का अधिकार केवल एक आदमी को दिया गया है; एक ही अधिकारी सारी योजना को बनायेगा, वही शिक्षा अधिकारी होगा । मैं नहीं चाहता कि यह प्राइमरी शिक्षा का अधिकार पंचायतों और पंचायत समिति को न दिया जाय,वहां पर राजनैतिक प्रभाव के कारण इसका नाश हुआ है और भविष्य में भी यदि उनके अधिकार में इसको रखा गया तो नाश होगा । इसलिये मैं यह कभी भी प्रोपोज़ नहीं कर सकता कि प्राइमरी .एजूकेशन पंचायतों और पंचायत समितियों के अधिकार में दे दी जाय । मेरा निवेदन है कि एक अधिकारी को सारी योजना का अधिकार न देकर के एक बोर्ड बना दिया जाय कुछ विद्वानों की समिति बना दी जाय, जो इस शिक्षा के बारे में सुझाव दे सके । जिन विद्वानों को इसमें सम्मिलित किया जाय उन सब को तन्ख्वाह ही दें यह बात नहीं ओनरेरी रूप में भी सेवा देने के लिये तैयार हैं । आज जो आप स्टेप ले रहे हैं उसके कारण लड़कों को अपने जीवन में आगे भी सफलता मिलती रहे उसके लिये आपको इसका एक स्टेन्डर्ड मुकर्रर करना होगा और इसके लिये सोचना बहुत जरूरी है ।

शिक्षा जीवन का अंग होना चाहिये । और प्राइमरी एजूकेशन में एक पीरियड पन्द्रह बीस मिनिट का ऐसा भी होना चाहिये जिसमें विद्यार्थियों की साइकोलोजी की स्टडी की जा सके । आगे जाकर कौन बच्चा क्या होने वाला है, उसका रेकार्ड बना रहे ताकि जब आगे पढ़ने के लिये जिस क्षेत्र में वह जांय उसको उसमें सफलता मिल सके । नहीं तो होता क्या है विद्यार्थी चाहता कुछ है और उसको शिक्षा कुछ दूसरी तरह की दी जाती है । इससे आखिर में जाकर उसको

(श्री विजयसिंह झाला)

पश्चाताप होता है। कई लड़के आगे जाकर साधनों के अभाव में अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाते ऐसे आंकड़े भी आपके पास होने चाहिये। दरअसल में आजतक ऐसे विद्यार्थी कितने हैं जिनको पास साधनोंके अभाव में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, उसके आंकड़े भी आपके पास नहीं है। वैसी हालत में शिक्षा की मद में जो पैसा लगा रहे हैं उसका फायदा सही रूप में नहीं मिल पा रहा है; हमें सिस्टेमेटिक ढंग से सारी योजनाओं को बनाना है इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय ताकि इसके स्टेन्डर्ड के संबंध में एक्सपर्ट लोगों की क्या ओपीनियन है वह हमें मिल सकें और उसके अनुसार हम बिल ला सकें। इसलिये मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : I have given my dissenting note.

श्री उपाध्यक्ष : You want it to be criculated for public opinion ? You will get time in the last.

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्राथमिक शिक्षा विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का प्रस्ताव किया है। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिये जो विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया गया है उसका मैं स्वागत करता हूं।

जो प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने के लिये कदम उठाया जा रहा है उसमें कई इस प्रकार की व्यवस्थायें हैं जिनके ऊपर खास तौर से ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा सफलता और सुचारू रूप से चले जैसे कि दूसरी बाहर की कन्ट्रीज में चल रही है जहां पर बालकों को ६ से लेकर ११ वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य रूप से स्कूलों में दाखिल होना पड़ता है; वैसे हम शिक्षा को पनपाना चाहते हैं तो वाकई में इस ओर खास तौर से तवज्जोह करना होगा।

जैसा कि अभी कहा गया राजस्थान में जिस प्रकार से शिक्षा का प्रसार हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। मगर जहां तक प्राइमरी शिक्षा के अनिवार्य करने का प्रश्न है उसमें किस प्रकार से सुधार लिये जांय यह विचारणीय प्रश्न है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : On a point of order, Sir, माननीय सदस्य प्राथमिक शिक्षा विधेयक की प्रवर समिति के सदस्य थे, उनका कोई नोट ऑफ डिसेन्ट नहीं है अतः वे इस समय बोल नहीं सकते।

श्री दलपतसिंह : वे अपने विचार रख सकते हैं। वापिस इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित करने के विचार रख सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Were you a Member of the Select Committee ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : I am supporting the Bill.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का प्रस्ताव नहीं रख सकते।

श्री उपाध्यक्ष : यद्यपि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है फिर भी यहां इस प्रकार की परम्परा रही है और अध्यक्षीय आदेश भी इस प्रकार के रहे हैं कि जो प्रवर समिति में रहे हों वे न बोलें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं यहां की परम्परा की इज्जत करता हूं, आपने मुझे बोलने की इजाजत दे दी है अतः बोलने दिया जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : According to rules, he should not he allowed to speak.

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) :

[प्रस्ताव इस प्रकार है:—

"प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान प्राथमिक शिक्षा विधेयक, १९६३ को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।"]

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्राथमिक शिक्षा विधेयक जो इस सदनके समक्ष विचारार्थ है उसके सिलसिले में मैं यह बताना चाहता हूँ कि वैसे तो किसी भी राज्य सरकार की एक प्राथमिक जिम्मेवारी है कि अपने राज्य के तमाम बालकों को जिनकी आयु ६ से लेकर ११ साल की हैं उनको अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा दे। यह जो भी कोई प्रोग्रेसिव स्टेट है उसका मूलभूत कर्तव्य है कि वह इस प्रकार के कदम उठावे।

दूसरी बात हमारे संविधान के अन्तर्गत यह स्पष्ट कर दिया गया है कि तृतीय योजना के अन्तर्गत १४ साल से कम उम्र वाले बालकों को अनिवार्य रूपसे शिक्षित कर दिया जायगा। लेकिन अब उस १४ साल की उम्र को हटाकर ११ साल की आयु तक कर दिया है। इस उम्र के बालकों के लिये जो अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है वह स्वागत योग्य है।

अब प्रश्न यह देखने का है कि हमारी जो मूलभूत मन्शा है वह यह है कि अधिक से अधिक बालक प्राइमरी स्कूलों में अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने के लिये आवें। वे किन परिस्थितियों में स्कूलों में आ सकते हैं उसके लिये इस विधेयक के अन्तर्गत प्रावधान है। उस प्रावधान के होते हुए वे बच्चे जिनको हम इस शिक्षा के लिये अनिवार्य रूप से लाना चाहते हैं इसके अन्दर आ सकते हैं। इस संबन्ध में मैं सब से पहले यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जिस प्रकार से शिक्षा का प्रसार हुआ उसमें प्राथमिक शिक्षा के लिये बालकों की संख्या बढ़े उसके लिये जो स्कूल खोले गये वे काफी तादाद में खोले गये, उसमें हमने यह देखा है जैसे जैसे स्कूल खुलते चले गये लड़कों की संख्या कम होती गई, लड़के उसमें पूरे नहीं

Page No.53

(श्री मुरलीधर व्यास)

आते, इसलिये यह नया परिवर्तन करना पड़ा वह यह करना पड़ा कि जो बालक किसान का लड़का है उसके लिये जिस समय कृषि का समय होता है उस समय उसके लिये छुट्टियों का समय रखा गया जब कि दूसरों स्कूलों में छुट्टियों का समय दूसरा है ताकि लड़के अधिक से अधिक संख्या में पढ़ने के लिये आ सकें। और इतना करने के बावजूद भी बहुत से लड़के गांवों में स्कूल में नहीं जाते थे। अब किन परिस्थितियों में वे नहीं जाते थे उन परिस्थितियों का भी अध्ययन हमें करना चाहिये।

उन परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे तो मालूम होगा कि इसके पीछे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत बड़ा कारण है। तो हमें गांवों के लोगों की आर्थिक स्थिति का भी विचार करना चाहिये। राजस्थान के सत्तर-अस्सी प्रतिशत किसानों की माली हालत क्या है ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास एक एकड़ भी जमीन है या निर्वाह का साधन है। बहुतों के पास तो अपना भरण-पोषण करने के साधन भी नहीं मिलेंगे और इन परिस्थितियों से लाचार होकर बच्चे और पति-पत्नी सबको अनिवार्य रूप से काम पर जाना पड़ता है और बारह बारह घंटे जब काम करते हैं तो पेट की पूर्ति मात्र होती है। चाहे शहर हो, चाहे गांव हो शहर में भी आप होटलों में देख लीजिये। दस बारह साल से कम उम्र के लड़के होटल बॉय के रूप में काम करते हैं और वे इन परिस्थितियों में करते हैं कि कोई उनका निर्वाह करने वाला नहीं है।

इस दृष्टि से गांवों का आर्थिक सर्वेक्षण भी हमें करना चाहिये और यह जानना चाहिये कि ऐसे कितने आदमी हैं जिनके पास एक एकड़ भी जमीन नहीं है और ऐसे कितने हैं जिनको बाल-बच्चों सहित दिन रात काम करके अपना भरण-पोषण करना पड़ता है। इस पृष्ठभूमि में जो आपका यह कानून बने तो फिर उन पर लागू करने की कोशिश करनी चाहिये। जिस परिवार की आमदनी पांच सौ रुपया सालाना से कम है उनके लिये सरकार यह करे कि उसकी फीस नहीं लेंगे, न टैक्स लगावेंगे, और बच्चों के लिये स्लेट, पुस्तकें आदि फ्री देंगे और भी अन्य सुविधाएं आप उनको दें।

मैं समझता हूं हमें मूल लक्ष्य का खयाल रखना चाहिये। अब अगर माता पिता अपने बच्चों को भेज नहीं पाये, तो आप सजा देंगे माता पिता को। इससे जो वातावरण बनेगा वह बुरा बनेगा और उसके बुरे नतीजे निकलेंगे। हमारा मूलभूत लक्ष्य पूरा नहीं होगा।

मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पन्द्रह बीस वर्ष के बाद भी जो निशुल्क प्राइमरी शिक्षा देने की बात संविधान में कही गई है, वह तो दूर रही, हम मामूली सुख सुविधाएं भी नहीं दे सके, उस को आज तक इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। आज उनको स्वास्थ्यवर्द्धक भोजन नहीं मिलता, जहां निशुल्क अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा की बात है वहां शुल्क लगाने जा रहे हैं, इस तरह से हम कॉन्स्टीट्यूशन और बुनियादी विचारों के विपरीत जा रहे हैं।

(श्री मुरलीधर व्यास)

तो यह मानकर चलें कि निशुल्क शिक्षा देने में आप टोटली फेल्योर हो गये हैं, नाकामयाब हो चुके हैं। मैं समझता हूं कि मूलभूत मुद्दे में निशुल्क का सवाल तो खयाल में रखना चाहिये; एक बात।

दूसरी बात, सरकार कह देगी कि क्या करें; हमारे पास वित्तीय साधन ऐसे नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में शिक्षा भी देना चाहते हैं तो साधन कहां से प्राप्त करें। इसमें पहले तो आपका ये नैतिक कर्त्तव्य है कि आप सदन में यह स्पष्टतया मन्जूर करें कि जो साधन इसके लिये जुटाना चाहिये था वह हम नहीं जुटा पाये, हम राज की आर्थिक उन्नति नहीं कर पाये इसलिये इस निशुल्क शिक्षा देने में फेल्योर हो चुके हैं और इसलिये यह परिवर्तन करना चाहते हैं। कम से कम शिक्षा के मामले में आप अपना नैतिक कत्तव्य का पालन करेंगे।

दूसरी बात यह भी कहना चाहता हूं कि जो भी प्राइमरी स्कूल आपके यहां हैं उनकी हालत क्या है? पंचायती राज पर सादिकअली रिपोर्ट में गांवों की पंचायतों की हालत का वर्णन है। उसमें उन्होंने यहां तक बताया है कि ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति में उनकी माली हालत यहां तक खराब है कि वे किसी प्रकार की छोटी मोटी योजनाएं भी पूरी नहीं कर सकते। तो इस पर भी आपने उन लोगों पर नाना प्रकार के टैक्स तक इस शिक्षा के लिये लगाने का प्रावधान रखा है। आपने यह भी अधिकार दिया है कि जिसको चाहे माफ करे, छोड़े अब किसको माफ करें, किसको छोड़े यह आपने नहीं रक्खा। एक रोटी खाने को जिसके पास नहीं है, उससे भी आप टैक्स ले लेंगे?

श्री मोतीलाल चौधरी : वह तो रिपोर्ट है, कानून थोड़े बना है।

श्री मुरलीधर व्यास : तो मैं भी यह नहीं कहता कि मान्य कर लिया है। आप इतना तो मानते हैं कि उसने यह सब दिया है, लिखा है और उसकी ये बातें तथ्यपूर्ण तो हैं। आर्थिक स्थिति का जो वर्णन किया है उसमें वह तो सही है? आप कह दें कि नहीं, गलत है।

तो जहां तक आर्थिक स्थिति उनकी है उस बारे में आपको ध्यान रखना होगा।

मैं मानता हूं प्राथमिक शिक्षा आप दें, अनिवार्य रूप से दें, पर वह निशुल्क हो, उसका भार टैक्स के रूप में न डाला जाय लोगों पर। तो क्या आप यह सारी व्यवस्था कर सकते हैं?

हम देख रहे हैं राजस्थान में कि एक ओर तो यूनीवर्सिटी की शिक्षा में आप २५०) प्रति माह खर्च करते हैं और दूसरी तरफ १५) रू० सालान प्रति विद्यार्थी आपका खर्चा प्राइमरी शिक्षा पर आता है। तो कहां एक ओर ६ रुपये प्रति दिन का यूनीवर्सिटी शिक्षा का खर्चा प्रति विद्यार्थी और कहां तीन चार नये पैसे प्राइमरी शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी प्रति दिन। अगर आपको प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाना है, इसे महत्व देना है तो आपको अपनी वर्तमान नीति में आमूल परिवर्तन करना होगा।

(श्री मुरलीधर व्यास)

मैं नहीं कहता कि आर्थिक हालत आपकी ठीक नहीं है तो टैक्स लगाओ। पर इसके लिये नया रास्ता ढूढ़ना चाहिये, स्कीम आप नई बनाएं। नमूना आपके सामने है। सन् ३७ में वर्धा स्कीम शिक्षा के क्षेत्र में चली थी। वह गांधीजी की स्कीम के नाम से प्रचलित हुई थी। उसका प्रयोग ३७ में उन स्टेटों में किया गया जहां जहां हमारी सरकारें थीं। उसमें यह किया था कि हर गांव में जहां भी स्कूल हो उस हर स्कूल के पीछे इतनी जमीन राज्य छोड दे, चाहे सरकार के पास हो तो ठीक, न हो तो लेकर दे दे, कि जिससे उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उस जमीन में उत्पादन कर सकें एग्रीकल्चर कोमोडिटीज़ का और उससे कपडा भी बना सकें और उनसे अपनी स्कूल का खर्च चलावें। खेती भी इसमें की जा सकती थी। खेती की शिक्षा भी गांव के बच्चों को दी जा सकती थी और उस वर्धा स्कीम में १५-१५ एकड जमीन प्रति स्कूल को दी गई थी ताकि उसके जरिये स्कूल का सारा खर्चा चल सके।

(१०. म० पू०)

तो मैं यह समझता हूं कि हमारे राजस्थान में जमीन की कमी नहीं है। हर एक गांव के पीछे इतनी जमीन आप दे सकते हैं और उन शिक्षकों को इतना तैयार कर सकते हैं कि जिससे कम से कम शिक्षक गांव में बैठकर जहां कई अधिकारी होते हैं, कृषि अधिकारी हैं, ग्राम सेवक हैं, विकास अधिकारी हैं उनसे कई प्रकार की टेक्निकल गाइडेन्स भी लेसकते हैं, इन सबके सहयोग से जो गांव की जमीन है उसमें अच्छा उत्पादन करके, नये फार्म के रूप में करके, जिसमें बच्चे भी काम करें, उससे प्रोडक्शन हो उससे स्कूल का काम चल सके। एक स्कीम हमारे पास थी गांधी स्कीम, वर्धा स्कीम। लेकिन हम उसकी तरफ तो ध्यान देते नहीं हैं और अब सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि किस प्रकार से बच्चों के ऊपर टैक्स लगा कर आगे इस प्रकार की व्यवस्था करें जिससे कि अनिवार्य शिक्षा हो सके।

मैं दूसरी बात यह भी कहना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय के सामने कई बातें लाई जाती हैं। जहां तक शिक्षकों का सवाल है उनका पूरा खर्चा है और जो खर्चा आप प्राइमरी स्कूल में करते हैं वह फिर शिक्षक के पीछे औसतन एक हजार से अधिक नहीं आता है सालाना। एक हजार में क्या होता है; उसके अलावा और भी दूसरे खर्चे हैं विद्यार्थी भी हैं और दूसरी बातें भी है। इस प्रकार शिक्षकों के हालात बिल्कुल खराब हैं। दूसरी ओर शिक्षकों की स्थिति को ठीक करने के लिए कोई आप प्रबन्ध नहीं करते। यदि वहां पर जमीन हो तो विद्यार्थियों के खर्चे के साथ साथ में और भी खर्चे निकल सकते हैं अगर ठीक ढंग से उसकी व्यवस्था की जाये तो। इसलिए जहां तक इस वर्धा या गांधी प्रणाली थी वह अगर आप चालू करें तो उससे सरकार के ऊपर भी भार नहीं होगा और न जनता के ऊपर भार होगा, बल्कि इससे यह होगा कि शिक्षकों की हालत ठीक होगी और बालक भी अधिक तादाद में शिक्षा ले सकेंगे। मैं यह

(श्री मुरलीधर व्यास)

भी कहना चाहता हूं कि यह भी बहुत आवश्यक है कि शिक्षकों का जहां तक संबंध है वह पंचायत समिति या जिला परिषद् के अधीन हो या न हो तो मेरा ख्याल है कि स्कूलों के संचालन का जहां तक सवाल है अगर बच्चे नहीं आते हैं तो उस मामले में पंचायत समिति या जिला परिषद् उसकी देखरेख करे, लेकिन जहां तक शिक्षकों के प्रमोशन्स और ट्रान्सफर्स का सवाल है वह पंचायत समिति और जिला परिषद् के अधीन न होकर इसके बारे में सारे अधिकार बी० डी० ओ० को होने चाहिए और उसमें भी किसी प्रकार की बात हो तो सुनाई करें जिला परिषद् में और पंचायत समिति में। अगर कोई शिक्षक गलती करता है तो पंचायत समिति की रिपोर्ट हो उसके ऊपर कार्यवाही करने का अधिकार बी० डी० ओ० को होना चाहिए,यदि यह अधिकार प्रधान को रहते हैं उसका नतीजा बिलकुल उल्टा होता है। इसका परिणाम बहुत बुरा निकलता चला जा रहा है। जो शिक्षक हैं वह इतना ही समझते हैं कि या तो जिस गांव में वह है और उसका जो सरपंच है उसके यहां घर पर हाजिरी दे दे और उनका काम कर दे तो उसका कुछ होने वाला नहीं है। या पंचायत सीमति के प्रधान की सेवा सुश्रुषा कर ले तो उससे काम हो जायेगा। वहां पर उसका सीमित कर्त्तव्य रहता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसमें बहुत गड़बड़ियां भी होती हैं। मैं कहूं कि इतने बुरे काम होते है कि जामसर, जो बीकानेर के पास है, वहां के किसी एक लड़के के पालक ने इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स को लिखित शिकायत दी। यह जो प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा के स्कूल दोनों चलते हैं वहां पर एक शिक्षक और तीन चार बालकों के बुरे व्यवहार, बुरे आचरण के कारण। उसके आचरण क्या क्या है, क्या नहीं और किस प्रकार से बालक से एक लड़की के बारे में पत्र लिखवाया और कितना गन्दा लिखा और वह पत्र बालक के द्वारा स्कूल मास्टर ने लिखवाया, उसको दिया और उस बालक ने उस पत्र को इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के सामने पेश किया। बालक ने भी बयान दिये कि यह पत्र उससे मास्टर ने लिखवाया और उसके अन्दर सारी गन्दी बातें लिखी हुई हैं और क्योंकि वह शिक्षक वहां के सरपंच का मर्जीवाला आदमी है इस वजह से उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो सकी....

श्री निरंजननाथ आचार्य : इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल के ?

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर के।

श्री निरंजननाथ आचार्य : गांव का नाम ?

श्री मुरलीधर व्यास : जामसर.

श्री निरंजननाथ आचार्य : शिक्षक का नाम ?

श्री मुरलीधर व्यास : शिक्षक का नाम तो भूल गया हूं। मैंने उसको नाम के दृष्टिकोण से नहीं देखा। मैंने तो इतना ही देखा कि वह दरख्वास्त पेश की गई और उसके आचरण के बारे में क्या कहूं वह मैं कहना चाहता नहीं हूं। उसका इतना बुरा कार्य रहा उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही

(मुरलीधर व्यास)

नहीं। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, उन तीनों बच्चों के जहां ८० और ९० पर्सेन्ट मार्क्स रहे तो वार्षिक परीक्षा में उनके मार्क्स इतने कम कर दिये कि उनको फेल कर दिया आप सारे कागजात मंगा लीजिए, कापियां मंगा लीजिये, उनके पर्चों को देख लीजिए, आपको मालूम हो जायेगा कि इरादतन जिन बच्चों ने शिकायत की उनको फेल कर दिया गया। ऐसे उदाहरण आपको गांवों के अन्दर अनेकों मिलेंगे। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय, से कहना चाहता हूं कि जहां तक व्यवस्था का सवाल है, देख-रेख का सवाल है उसको पंचायत समिति के लोग देखें, उनकी खामियां को बतायें लेकिन जहां तक उनके प्रमोशन्स और ट्रान्सफर्स आदि का मामला है वह बी० डी० ओ० के हाथ रहे और ज्यादा से ज्यादा जिला परिषद् के सेक्रेटरी तक चला जाये, एक कन्सल्टेटिव कमेटी बन जाये और जांच करके उसके मामले में निर्णय कर दे। इतना हो तो शिक्षकों को बहुत भारी मदद मिलेगी वर्ना वे इस चीज के शिकार बने हुए हैं।

दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं प्राथमिक शिक्षा के बारे में जितनी बातें रखी हैं कि शिक्षा के मामले में सरकार के सामने जब भी कभी करप्शन के मामले आते हैं वह हर समय अपनी तरफ से उनका गलत जवाब दे देते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने कई मामले बीकानेर के इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स से लेकर नीचे तक के कि किस प्रकार से शिक्षकों के बदलने में, ट्रान्सफर्स करने में किसी से रेडियो लेते हैं, किसी से घी लेते हैं। हम ऐसे मामलों की रिपोर्ट देते है। डिप्टी इन्सपेक्टर ने जांच की है उनको मालूम है कि रेडियो दिया गया था और जांच करने के बाद में रेडियो भी लौटाया गया। भ्रष्टाचार के मामले हमारी सरस्वती के मन्दिर में भी होते हैं और सरकार उनको अनुचित रूप से शील्ड करती है, मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी दो तीन रोज पहले माननीय श्री भैरोंसिंह जी ने एक छोटी सी बात कही थी उसका सरकार ने किस गलत रूपसे जवाब दिया और उसमें किस तरीके से गुमराह करने की कोशिश की, फिज़ीकल ट्रेनिंग कॉलेज के मामले में जहां शिक्षा सचिव का सवाल आया उसके बारे में मंत्री महोदय ने गलत तरीके से जवाब देने की कोशिश की।........

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो कुछ फैक्टस थे उनके आधार पर जवाब दिया। और एक एक प्रश्न पर तथ्य रखे हैं, उसको आप गलत कैसे कहते हैं? मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर और है कि उस मसले पर बहुत कुछ कहा जा चुका है अब उसको वापिस यहां रिपीट करना हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अन्तर्गत नहीं आता।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं दो मिनिट में ही इस मामले को खत्म करता हूं। करप्शन के मामले में जो शिक्षा क्षेत्र में है इसके अन्तर्गत शिक्षा मंत्रीजी को चाहे जो कुछ हो हम इस मामले में सत्य तथ्यों को लाना चाहते हैं और जब आपने कहा कि शिक्षा

Page No.58

(श्री मुरलीधर व्यास)

सचिव के पास कोई पत्र नहीं पहुंचा; उनके पास पत्र मौजूद है और उसमें लिखा हुआ है कि यह जो बिल्डिंग है वह बिल्डिंग को देने के लिए मैं तैयार हूं। अगर १० दिन के अन्दर इसका फैसला नहीं किया तो ऐसी हालत में मैं अपनी नीति के अन्दर परिवर्तन करूंगा और १० दिन के सूचना डिप्टी मिनिस्टर साहब को भी जो मैंने लास्ट टाइम कहा था....

श्री उपाध्यक्ष : यदि माननीय सदस्य प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता पर बहस करें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री मुरलीधर व्यास : शिक्षा का सवाल हमारे सामने है और जब अर्थ का मामला करते हैं तो फीस लगाने की बात करते हैं उन बच्चों पर जो कि नहीं दे पाते हैं और दूसरी ओर शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी बड़ी धन-राशियों के मामलों को दबा जाते हैं। तो बचाने की दृष्टि से मैं यह मुद्दा रखता हूं जिससे कि पैसा बचाया जाय और बच्चों से शुल्क नहीं लिया जाय। इस भावना के आधार पर कहना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि इस मामले के अन्तर्गत जहां तक, उस दिन भी जो जवाब दिया गया था तो मैंने कहा था कि मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार ने स्वयं जो हमारे डिप्टी एजूकेशन मिनिस्टर हैं उनके लेटर के ऊपर सारी बिल्डिंग को खरीदने की कार्यवाही की है। उसके अन्दर डिप्टी मिनिस्टर का लिखा हुआ लेटर है। मेरे पास उसकी कॉपी है....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मंत्री) : उसकी चर्चा हो चुकी है। उसको बार बार दोहराने से क्या लाभ है ?

श्री मुरलीधर व्यास : उस दिन जब यह मुद्दा आया था तो उसको दबा दिया गया था। आज इस मौके पर मैं उसको लाना चाहता हूं। डिप्टी मिनिस्टर के लेटर के आधार पर उस बिल्डिंग को खरीदने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। उसके बाद में जितने भी लेटर थे वह वहां के डाइरेक्टर तक के गये हैं और मिनिस्टर तक के गये हैं...

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि डिप्टी मिनिस्टर ने लिखा है तो मैंने कोई कागज नहीं लिखा है। जैसा कि मैंने निवेदन किया था कि इस सारे मामले का विश्लेषण कई माननीय सदस्यों ने कर दिया है। उसी पॉइन्ट को फिज़ीकल ट्रेनिंग कॉलेज वाले को फिर रिपीट किया जा रहा है तो उसका कोई अर्थ नहीं। आप करप्शन के पॉइन्ट पर कह रहे थे तो मैंने कहा था कि करप्शन नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह मामला भ्रष्टाचार से सम्बन्धित हैं और इसके बारे में जब तथ्य आते हैं तो शिक्षा मंत्री को उनका स्वागत करना चाहिए ताकि उसकी ठीक तरह से एन्क्वायरी करा सकें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वह चर्चा हो चुकी है, उसका फिर जिक्र कर रहे हैं तो बार बार उसके दोहराने से कोई लाभ नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : Anyway, that is out of point.

श्री मुरलीधर व्यास : मंत्री महोदय यह कहते हैं तो सन् ६३ के अन्दर जब मैंने इस

Page No.59

(श्री मुरलीधर व्यास)

मुद्दे को उठाया था तो मुद्दा उठाते समय मन्त्री महोदय ने जवाब यह दिया था कि इस सिलसिले के अन्दर एन्टी-करप्शन के अन्दर एन्क्वायरी चल रही है और उसके निर्णय से आपको परिचित कराया जायगा। उसका निर्णय हो गया, लेकिन ना आपने परीचित कराया है और न एन्टी-करप्शन ने एन्क्वायरी की उसमें मुझे बुलाया है और न उन लोगों को जिन पर मैंने चार्जेज़ लगाये थे उनको बुलाया। जिनके खिलाफ मिनिस्टर से लेकर डाइरेक्टर, सेक्रेटरी तक पर मेरे चार्जेज़ थे उनको भी एन्टी करप्शन ने कभी बुलाया नहीं। मेरी समझ में नहीं आया कि जो सदन में फैसला करते हैं, जो सदन में चार्जेज़ आते हैं तो आप इस प्रकार की एन्क्वायरी करवाते हैं। आपको एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट ने न तो मुझको बुलाया और न दूसरे लोगों को जिनके खिलाफ चार्जेज़ थे उनको बुलाया है....

श्री उपाध्यक्ष : आप मुद्दे पर आजाइये।

श्री मुरलीधर व्यास : तो मैं कहना चाहता हूं कि केसेज़ को आप छिपाना चाहते हैं। उसके सम्बन्ध में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में गबन, घोटाले और भ्रष्टाचार को बराबर दबाते रहे तो जो आप चाहते हैं, मूलभूत मन्शा आपकी है कि शिक्षा का प्रसार हो, और इसके अन्दर नई शिक्षा का वातावरण बने, जिससे कि लोगों का नैतिक स्तर ऊंचा बने तो वह नहीं हो सकेगा, क्योंकि जब तक जड़ से ही भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा और बुनियादी तौर पर देश के विकास के अन्तर्गत यह माना जाता है कि देश के अन्दर जो भ्रष्टाचार है वह नई पीढ़ी से समाप्त हो तो, इसके लिए नीचे की शिक्षा के अन्दर नैतिक सुधार करेंगे तब जाकर सुधार होगा। यह बुनियादी चीज है। जब बुनियादी चीज नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। इस दृष्टिकोण से मैंने अपने यह विचार प्रस्तुत किये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह।

कुं० श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : [प्रस्ताव इस प्रकार हैं :—

"प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान प्राथमिक शिक्षा विधेयक, १९६३ को छः माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचलित किया जावे।"]

उपाध्याय महोदय, इस बिल के द्वारा राजस्थानमें हम प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य-शिक्षा करने जा रहे हैं........

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा माननीय सदस्य समय की सीमा रखें।

कुं० श्री महेन्द्रसिंह : मैं मुश्किल से ३-४ मिनिट ही लूंगा। वैसे ही कम बोलता हूं। राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, इसका तो मैं समर्थन करता हूं, लेकिन आज तक देखने में यह आया है कि प्राथमिक शिक्षा का जो स्टेन्डर्ड है वह दिन प्रति दिन घटता जा रहा है, और इस शिक्षा के स्टेन्डर्ड के, शिक्षा के स्तर के घटने के कई कारण है। उनमें से कुछ मुख्य कारणों की ओर मैं सरकार का ध्यान, उपाध्यक्ष महोदय,

Page No.60

(श्री महेन्द्रसिंह)

आहके द्वारा आकर्षित करना चाहता हूं। आशा करता हूं कि उन अभावों और उन कमियों को सरकार पूरा करने का शीघ्र ही प्रयत्न करेगी।

उनमें से एक जो कारण है वह स्कूल-भवनों का अभाव है। अकसर देखने में आया है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जितने भी प्राथमिक स्कूल्स है उममें से कम से कम कह सकता हूं आज यहां सदन के सामने कि राजस्थान के अन्दर कम से कम ५० प्रतिशत ऐसे प्राथमिक स्कूल हैं जहां कि भवनों की कोई व्यवस्था नहीं है। लड़कों के बैठने के लिए, लड़कों को पढ़ाने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। स्थान की व्यवस्था होना किसी भी इन्स्टीट्यूशन किसी भी संस्था के लिए अति आवश्यक है और जिसनें, उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के मामलों में तो जहां कि लड़के किसी एक जगह बैठकर ७-८ घन्टों तक पढ़ाये जाते हैं, उनको शिक्षा दी जाती हैं, उनके लिए किसी प्रकार के स्थान की व्यवस्था नहीं हो तो मैं समझता हूं कि स्कूल के लड़कों की शिक्षा को और कभी आकर्षित नहीं कर सकते हैं। अक्सर यह देखने में आया है कि स्कूल-भवनों के अभाव में जब बरसात के दिन होते हैं और थोड़ी सी बरसात होती है तो स्कूलों के अध्यापक स्कूलों की छुट्टी कर देते हैं। बरसात के दिनों में तो, उपाध्यक्ष महोदय, ४ महीनों के अन्दर मुश्किल से ७-८ रोज, जब बरसात खुलती है और मौसम ठीक होता है, तो अध्यापक स्कूलों को खोल पाते हैं। चार महीने बरसात के कारण, भवनों के अभाव के कारण स्कूल बन्द प्राय रहते हैं। तो उन बच्चों को किसी प्रकार से अच्छी शिक्षा मिले, बच्चे स्कूल में जा कर कुछ अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें, यह संभव मेरे ख्याल से नहीं हो सकता।

दूसरा कारण जो है वह यह है कि अध्यापकों की कमी है। प्राथमिक स्कूल अधिकतर सिंगल टीचर स्कूल चलते हैं। मेरी नजर में आया है कि प्राथमिक स्कूल में ३-४ क्लासेज़ चलती है और उनमें एक अध्यापक चार क्लासों को पढ़ाये, मैं समझता हूं कि उस अध्यापक के लिए संभव नहीं हो सकता, यह प्रेक्टिकेबल नहीं है। और इस कारण अक्सर क्या होता है कि किसी भी क्लास में अध्ययन कराने में वह दिलचस्पी नहीं लेता है। इस कारण वह पीछे रहते हैं। केवल अपना रिजल्ट बनाने के लिए वहां के बच्चों को अगली शिक्षा में बिठा दिया जाता है। यही नहीं हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कि प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थी अगर तीसरी क्लास में पढ़ता है उसको १०० की गिनती में से ६५ लिखायें तो नहीं लिख सकेगा। ४ और ५ का जोड़ नहीं बता सकता, लेकिन वह तीसरी क्लास में पढ़ता है। अगर उससे ई और ई का भेद पूछा जाय तो उसको वह नहीं बता सकता लेकिन तीसरी क्लास में उसको पढ़ाया जाता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो अध्यापकों का अभाव है उस अभाव की पूर्ति शीघ्र की जाय।

इसमें अध्यापकों का ही दोष नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक और कारण है जिसके कारण अध्यापकों की दिलचस्पी लड़कों को पढ़ाने की वह आज कम होती जा रही है। उसका कारण यह है कि जब विकेन्द्रकरण

(श्री महेन्द्र सिंह)

हुआ और विकेन्द्रकरण होने के बाद प्राथमिक स्कूलों को पंचायत समितियों के सुपुर्द कर दिया, ग्राम-पंचायतों के तत्वावधान में भेज दिया गया है, तब से अध्यापक की पढ़ाने में दिलचस्पी कम होती जा रही है। क्योंकि देहात का वातावरण कुछ अजीब ढंग का है, अध्यापक की क्या इज्जत है, अध्यापक का महत्व है, इस महत्व को गांवों के लोग नहीं समझते हैं। वहां के लोग यह समझते हैं कि अध्यापक पंचायत समिति के तत्वावधान में हैं और सरपंच साहब उससे कामना करते हैं कि वह उनके कहने के मुताबिक चले और अगर नहीं चलता है तो पंचायत समिति विकास अधिकारी से मिलकर ट्रान्सफर दूसरी जगह करवा देंगे और उसको सजा देंगे।

इस पर कई स्टाफ पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों से हटाया गया है। मास्टरों के ट्रान्सफर्स भी काफी हो गये हैं। इन बरसात के दिनों में भी ट्रान्सफर्स किये गये हैं जो नहीं होने चाहिये। किसी पंच या सरपंच के लड़के स्कूल में पढ़ते हैं उनको अगर पास नहीं किया तो सरपंच साहब एलिगेशन लगाते हैं कि ये अच्छा नहीं पढ़ाते हैं या स्कूल समय पर नहीं खोलते हैं। इस तरह का एटिट्यूड आज बन गया है कि मास्टर कुछ नहीं कर सकते। स्कूलों में पढ़ाई हो उस ओर ध्यान नहीं देकर इस बात की ओर अधिक ध्यान देते हैं कि सरपंच साहब को किसी तरह से खुश किया जाय। यदि वे खुश हो गये तो कोई अध्यापक यदि महीना, दो महीना या छः महीनों तक स्कूल नहीं खोलता है और स्कूल बंद रखता है तो भी पंचायत समिति समितिमें कोई कुछ कहनेकी हिम्मत नहीं रखता और कोई नहीं पूछता कि स्कूल क्यों बंद किया है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि प्राइमरी स्कूलों को पंचायतोंके नीचे से निकाल कर इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के अंडर में रखा जाय यदि प्राइमरी एजूकेशन को ठीक करना हो तो।

दूसरा कारण मिडिल स्कूलों का अभाव है। अब आप प्राईमरी एजूकेशन को कम्पलसरी करने जा रहे हैं और यह होना भी चाहिये, इसमें दो राय नहीं हैं। लेकिन इन प्राइमरी स्कूलों से निकलने वाले लड़के आगे कहां जायेंगे, इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिये। देखने में आया है कि मिडिल स्कूलों का काफी अभाव है इसलिये मिडिल स्कूलें ज्यादा से ज्यादा खोलनी चाहिये। एक क्राइटेरिया होना चाहिये कि इतनी प्राइमरी स्कूलों पर या इतने एरिया में मिडिल स्कूल खोलेंगे। यह व्यवस्था होनी चाहिये ताकि प्राइमरी स्कूलों से उत्तीर्ण होने-वाले लड़के माध्यमिक शिक्षा हासिल कर सकें और अपने रहन-सहन के स्टेन्डर्ड को ठीक कर सकें। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

श्री अब्दुल जब्बार : I want to speak in support of......

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : I have a note of dissent on the report.

श्री उपाध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) :

[प्रस्ताव द्वारा प्रकार है:—

"प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान प्राथमिक शिक्षा विधेयक, १६६३ को दो माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।"]

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्राथमिक शिक्षा विधेयक जो हमारे इस हाउस में विचाराधीन है मैं सरकार को, उसकी जो मंशा है कि हमारे यहां पर प्राथमिक शिक्षा कम्पलसरी हो, उस तरफ कदम बढ़ाने की हिम्मत की है उसके लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। आज राजस्थान के अन्दर यह कहना कि प्राइमेरी शिक्षा या शिक्षा की तरक्की नहीं हुई, उचित नहीं है और जैसी कि हमारे यहां पर इस विभाग की रिपोर्ट दी गई है उसके आंकड़ों के आधार पर भी जो हमारे राज्य के अंदर शिक्षा में तरक्की हुई है, स्कूलें खोलने में और उनमें लड़कों के ज्यादा तादाद में जाने में उसमें हम समझते सन् ५०-५१ में जो हमारे राज्य की हालत थी और आज जो सन् ६३-६४ में हालत है उसमें बढ़ोत्तरी हुई है वह वास्तव में तारीफ के काबिल है। आज राजस्थान में ५५ परसेन्ट लोग प्राइमरी शिक्षा पा रहे है जब कि सारे हिन्दुस्तान में ६१ परसेन्ट का रेकार्ड है। आज हमारा इलाका पिछड़ा हुआ है फिर भी हमने इसमें तरक्की की है। जब कि ५०-५१ में सिर्फ १६.६ परसेन्ट लड़के पढ़ते थे तो यह जो तरक्की ज्यादा लड़कों के जाने की और ज्यादा स्कूलें हैं में की है उसके लिये सरकार मैं को धन्यवाद देना चाहता हूं।

अब प्रश्न यह उठता है कि हमने स्कूलें ज्यादा खोलदीं, लड़के भी ज्यादा पढ़ने लग गये, आज हमारे सामने यह समस्या है कि प्राइमरी एजूकेशन कंम्पलसरी की जाय, इसमें भी एक प्रश्न आयेगा, जैसा कि बिल हमारे सामने है, मेरा यह अनुभव हैं कि आज प्राइमरी स्कूल्स पंचायतों के अधीन है लेकिन सबसे अधिक दुर्भाग्य की बात यह है कि यह सरकार इस तरह कीं बात करती है की किसी रसोईघर में खाना पड़ा है उसको तुम खा सकते हो लेकिन रसोईघर में जाकर हाथ नहीं लगा सकते। उसी तरह से आज प्राइमरी स्कूलें जो पंचायतों को दे रखी है उन पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल शिक्षा विभाग का है। सिर्फ नाम मात्र के लिये डाकिया जिस तरह तरह से चिट्ठियां इधर से उधर देता है, उसी तरह से प्राइमरी एजूकेशन पंचायतों के हाथ में है। सिर्फ पैसा, प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स हैं उनका पैसा हर माह शिक्षा विभाग पंचायत समितियोंको दे देता हैं और पंचायत समितियां उनको मास्टरों को बांट दे। जो स्कूलें खुली हुई हैं उनका बजट राज्य सरकार भेजती है, जिस काम के लिये, जिस सामान के लिये और जिस चीज के लिये उनको वे खरीदें इसके सिवाय पॉलिसी मेटर्स तय करने का अधिकार पंचायत समितियों के पास नहीं है। यह अधिकार न तो सरकार ने उनको दिया है और न देना चाहती है। यही कारण है कि इस हाउस में बैठने वाले उधर के सदस्य हों या इधर के सदस्य हों उन्होंने यह कहा कि प्राइमरी स्कूलें पंचायत समितियों के हाथ में हैं उनका स्टेन्डर्ड गिर रहा है, इसका लांछन

Page No.63

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

पंचायत समितियों पर लगाया जाता है वह कतई गलत है, क्योंकि नीति के प्रश्न पर सरकार पंचायत समितियों को इन्टरफियरेन्स नहीं करने देती है और वहां पर एक इन्सपेक्टर बैठाया गया है उसके हुक्म से वह गाइड होता है। हमारे यहां पंचायत समितियों में एजूकेशन ऑफिसर है वह गाइड होता है इन्सपेक्टर से, उसके हुक्म से वह गाइड होता है, एजूकेशन डिपार्टमेंट के हुक्म से गाइड होता है। जिन माननीय सदस्य ने कहा कि पंचायत समितियों के प्रधान गड़बड़ करते हैं, स्टाफ या और कोई अपनी तरफ से गड़बड़ियां करते हैं, तो मैं कहता हूं कि शायद उनको अनुभव नहीं है। मैं बराबर पंचायत समिति का १९५९ से मेम्बर हूं और आज दिन तक प्रधान भी हूँ इसलिए जहां तक स्कूल खोलने का प्रश्न है मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आपने प्राइमरी एजूकेशन पंचायत समिति को दे दी लेकिन जहां तक प्लानिंग का सवाल है किस क्षेत्र में, किस गांव में स्कूल खोलने की आवश्यकता है, इस विषय में अधिकार सरकार उनको नहीं दे सकी, बल्कि अपने हाथ में रखा है। उनका एक सर्वे ऑफिसर रहता है वह सर्वे करता है और सर्वे रिपोर्ट देता है ....

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : सरकार तो खाली नम्बर देती है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : (अश्रव्य) ।

श्री उमराव सिंह ढाबरिया : पहले मेरी सुनलीजिए;फिर आप कहेंगे उसको सुनेंगे। मैं की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो सरकार को धन्यवाद दिया है, आप घबराते क्यों हैं।

आज यह अधिकार पंचायत समितियों और जिला परिषदों को दे रखा है कि हम नाम भेज दें लेकिन जहां जहां पर खोलने के के लिए नाम भेजे जाते है वहां नहीं खोलते हैं और दूसरी जगह खोलते हैं। मुझे माफ किया जाय, आपके सादिकअली रिपोर्ट में भी लिखा है और मेरा भी अनुभव है कि स्कूलें पोलिटिकल आधार पर खोली जाती हैं। इसमें भी राजनीति आती है, कहां पर कौनसरपंच कांग्रेस पार्टी का है और कहां पर विरोधी पार्टी का है। कांग्रेस का जहां पर सरपंच है वहां पर खोल दी जायेगी और जहां पर विरोधी पार्टी के सरपंच हैं वहां के गांवों के नाम सर्वे रिपोर्ट में हैं तो भी वहां पर नहीं खोलेंगे पर ऐसी जगह स्कूल खोल देंगे जहां पर चाहे दो ही लड़के पढ़ने वाले हों ....

श्री मोतीलाल चौधरी : आप भी प्रधान हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं प्रधान हूँ तो किसी की महरबानी से नहीं हूँ। आप के मुख्य मन्त्रीजी ने एडीसे चोटी तक का जोर लगाया मुझे नहीं आने देने के लिए लेकिन मैं उसके बावजूद भी हूँ। जो सही बात है उसको सुनने को कोशिश करिये।

आज जो हमारे प्राइमरी स्कूलोंका स्टेन्डर्ड है, किस तरह के अध्यापक वहां पर आते हैं क्योंकि एजूकेशन का सम्बन्ध मास्टरों से, लड़कों से और उनके माता-पिता तीनों से सम्बन्ध रखते हैं।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

अगर मास्टर इतने निकम्मे होंगे, मास्टर अनएजूकेटेड होंगे, मास्टर इतने अनकल्चर्ड होंगे,तो प्राइमरी एजूकेशन का स्टेन्डर्ड अच्छा नहीं होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे यहां प्राइमरी एजूकेशन के अन्दर मास्टर आते हैं, वे मैट्रिक पास करते ही भर्ती हो जाते है। उन्हें मैट्रिक पास करने शहर में जाना पड़ता है जहां सिनेमा है, जहां रेडियो है और जहां दूसरी तरह की चीजें हैं। और जब मास्टर भर्ती होने के बाद गांवों में रहते हैं तो वे डिमाण्ड करते हैं, यहां पर रेडियो नहीं है, यहां पर चाय पीने के होटल नहीं हैं, यहां पर सिनेमा देखने के लिए सिनेमा-घर नहीं हैं। इसीलिए प्राइमरी एजूकेशन में काम करने वाले मास्टरों में से ६० प्रतिशत मास्टर ऐसे हैं जो अपने हैड क्वार्टर पर नहीं रहते हैं और इस तरह न तो वे गांव के लोगों से सम्पर्क ही कर सकते हैं और न उनका बच्चों से सम्पर्क हो सकता है। वे बच्चों को ठीक तरह से एजूकेशन नहीं दे सकते। मैंने एक दफा पहले भी अपना अनुभव इस सदन में अर्ज किया था कि राज्य सरकार को चाहिए कि प्राइमरी एजूकेशनके अन्दर जितने भी टीचर रखे जायें ये बहुत ही एक्सपर्ट और अनुभव प्राप्त आदमी हों, जैसे जो पुराने आदमी हैं जिनको शहर में रहने का कोई लोभ नहीं है और जो गांवों में रहकर साधारण जिन्दगी बिताकर बच्चों को एजूकेशन दे सकते हों....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ऐसे मास्टरों को लाये कहां से, यह आप बतायें ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ऐसे मास्टर जो गांवों में जाना चाहते हैं, जो आज आपके मिडिल स्कूलों और हाई स्कूलों में हैं, जिन्हें अनुभव प्राप्त है और जो बूढ़े हैं ऐसे लोग गांवों में जाना चाहेंगे।

श्री मोतीलाल चौधरी : पंचायत समिति तो आपके हाथ में है, पंचायत समिति के लिए सलेक्शन करना तो आपके हाथ में है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सलेक्शन करना तो पंचायत समिति के हाथ में है लेकिन जो मैं अर्ज कर रहा हूँ उसको आप समझे नहीं। मैं कह रहा हूँ, जो ऑलरेडी स्कूलों में मास्टर हैं, जो मिडिल स्कूलों और हाई स्कूल में हैं, जो बुजुर्ग और अनुभव प्राप्त आदमी हैं, उन लोगों को आप भेजिये। आप जैसा कहते हैं कि सलेक्शन करना पंचायत समिति के हाथ में हैं, यह सही है। सलेक्शन पंचायत समिति करती है। लेकिन जो लोग आते हैं उनका स्टेन्डर्ड कैसा है। उपाध्यक्ष महोदय,मैंने गये साल सलेक्शन किया,तो एक लड़का जो आपकी हायर सेकेन्डरी परीक्षा पास था और जिसके कोर्स में ज्योग्राफी थी, उससे मैंने प्रश्न किया कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौनसी है ? उसने कहा—गंगा। तो इस तरह के स्टेन्डर्ड के लोग प्राइमरी एजूकेशन के अन्दर मास्टर बनते हैं। जो हायर सैकण्डरी में ज्योग्राफी का सब्जेक्ट ले कर बैठा और सैकिण्ड डिवीज़न में पास हुआ उसको मालूम नहीं कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी चम्बल है या गंगा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो शिक्षा का स्टेन्डर्ड गिर रहा है उसका कारण यह है कि आपने पंचायत समितियों को पूरे अधिकार

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

दिये नहीं हैं। इसलिए आप पंचायत समितियों को पूरे अधिकार दीजिये सारे एडमिनिस्ट्रेशन के। और अगर नहीं देना चाहते हैं, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अदब के साथ सरकार से कहना चाहता हूं कि एजूकेशन को आप पंचायत समितियों से एजूकेशन डिपार्टमेंट को ट्रान्सफर कर दीजिये। आप उन लोगों के हाथ में रख कर पंचायतों को बेकार बदनाम करें—यह मैं कभी पसन्द नहीं करूंगा।

इसके साथ ही, आज जो उप-शिक्षा मंत्री हैं, मैं बहुत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने अपने यहां पंचायत के शिक्षकों के सेमिनार में उनको आने का उनको निमंत्रण दिया और वह निमंत्रण उनकी इच्छा के अनुसार दिया और उन्होंने जो इन्स्ट्रक्शन दिये और एक पेपर साइक्लोस्टाइल्ड दिया और मुझे कहा कि यह मास्टरों को बता देना, इसके आधार पर ही मुझ से सवाल और जवाब करें। उसके अनुसार मैंने उनको सारी बात बताई। इनके कमरे में बैठ कर ही सारा प्रोग्राम तय किया। लेकिन मेरे कमरे से निकलने के बाद मुझे एक चिट्ठी लिख दी, मैं बीमार हो गया हूं इसलिए अपने सारे कार्यक्रम पोस्टपोन कर दिये हैं। जब कि उस दिन आप दिल्ली के अन्दर बैठे हुए थे और काम कर रहे थे। निमंत्रण स्वीकार न करने का बीमारी का कारण नहीं था बल्कि इसलिए कि वह विरोधी पक्ष के सदस्य की कॉन्स्टीट्यूएन्सी है....

श्री रामकिशन : मानसिक रूप से बीमार थे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं चाहता था, आप वहां आते तो मास्टरों पर आपका इन्फ्लूएन्स होता, आप उनका मार्ग दर्शन करते, लेकिन आप उस तरह बीमार हो गये जैसे राजा मानसिंह राणा प्रताप के सामने गये और कहा कि अकबर बीमार हो गया है इसलिए हाजिर नहीं हो सके। उनकी जगह मैं हाजिर हो गया हूं। उसी तरह आप नहीं आये और जिला प्रमुख को और कलेक्टर को भेज दिया....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप कुछ कहते नहीं। बैठे बैठे सुन रहे हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपका अनुभव आपको अपने मास्टरों को देना चाहिये था। लेकिन आप डरते हैं आने में। आप उस वक्त नहीं आये, लेकिन अभी संसद का चुनाव हुआ तो बराबर सात दिन तक बनेड़ा में रहे और खूब प्रचार किया राजनीति का। आपने यहां तक कहा- यह तुम्हारा प्रधान है यह वहां आकर आपके हित की बात नहीं करता और हमको गाली देने की बात करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां के उप-शिक्षा मंत्री इतना झूठ बोलने वाले हैं, इतना असत्य बोलने वाले हैं, इतने अचरित्र वाले आदमी हैं—वहां पर क्या सुधार हो सकता है....

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं बनेड़ा में जाकर बैठा हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप बैठ जाइये। आप क्या आकर बनेड़ा में बैठेंगे।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैंने बनेड़ा के जनमत को देखा है, उनके दिमाग में जो भ्रांति थी उसको बाहर निकाला है। बनेड़ा के लोगों में जो भ्रांति और भ्रम फैला हुआ था, जो उनकी मान्यता थी, उनसे उनको बाहर निकाला है—यह गलती हुई है।

एक माननीय सदस्य : बाहर हुआ या नहीं?

श्री रामकिशन : आप मानसिक रूप से स्वस्थ थे या अस्वस्थ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैंने वहां की स्थिति समझ ली थी, वहां शिक्षा के मामले को गड़बड़ कर रखा है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, आपने प्राइमरी एजूकेशन के लिए हमारे राजस्थान में हजारों स्कूल खोल दिये हैं, यह भी सही है कि लाखों लड़के पढ़ने के लिए आ गये हैं। मैं यह सरकार से पूछना चाहता हूं, आज दुनियां के अन्दर जितने भी दूसरे देश हैं या हिन्दुस्तान के अन्दर जितने दूसरे स्टेट हैं, उनमें यह प्रणाली है कि एजूकेशन की पहली स्टेज में प्राइमरी एजूकेशन होनी चाहिये और तीन से छः वर्ष तक के बच्चों के लिए नर्सरी एजूकेशन होनी चाहिये। लेकिन इस तरफ राजस्थान सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। जब तक राजस्थान में नर्सरी स्कूल्स नहीं होंगे, जब तक उनमें हमारे छोटे छोटे बच्चों में साफ रहने की मनोवृत्ति पैदा नहीं करेंगे तब तक शिक्षा का स्टेन्डर्ड ठीक नहीं कर सकते। नर्सरी स्कूल्स में छोटे छोटे बच्चों में साफ रहने की मनोवृति पैदा करना आवश्यक है, इसी तरह से खेल खिलौनों के द्वारा साइन्टिफिक एजूकेशन देकर उनमें शिक्षा के प्रति दिलचस्पी पैदा करना आवश्यक है। इस तरह के नर्सरी स्कूल्स खोलने के मामले में अब तक प्रयत्न नहीं किया गया है। केन्द्र के अन्दर जो भूतपूर्व शिक्षा मंत्री थे, वे राजस्थान के थे और वे नर्सरी स्कूल्स और चिल्डर्न स्कूल्स के परफेक्ट आदमी माने जाते थे फिर भी राजस्थान के अन्दर इस तरह कदम बढ़ाने की कोशिश नहीं की। राजस्थान में नर्सरी स्कूल्स की जो दूसरी इन्स्टीट्यूशन्स हैं, वे चाहे अमेरिका की हों, चाहे रूस की हों, उनको चलाने वाले बाहर के लोग हैं जो यहां आकर नर्सरी एजूकेशन देते हैं। और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं (समय-समाप्त-सूचक घंटी) बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप चाहें तो मैं कहूं। बात यह है कि नर्सरी स्कूलों के अन्दर जो हमारे छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, वह अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती है, उनको अंग्रेजों का कल्चर सिखाया जाता है, बाइबिल का नाम लेकर पाठ पढ़ाया जाता है। आज ऐसे स्कूलों के अन्दर जो शिक्षा दी जा रही है, उसको क्या मैं नहीं समझता, क्या उप-शिक्षा मंत्री और सरकार नहीं समझती? वह शिक्षा हिन्दुस्तान के शिष्टाचार और संस्कृति के खिलाफ है। इस कारण हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि आप लोगों के बच्चे और बड़े बड़े ऑफिसर्स के बच्चे तो इन नर्सरी स्कूलों में पढ़ते हैं, आप क्या इस तरह के

(श्री उमरावसिंह ढ़ाबरिया)

नर्सरी स्कूल खोलने की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे और ऐसे नर्सरी स्कूल खोल कर हिन्दुस्तान की संस्कृति के आधार पर शिक्षा देने का विचार करेंगे ? साथ ही यह जो स्टेन्डर्ड गिरता जा रहा है, उसको ऊंचा उठाने के लिए इस तरह की व्यवस्था करना चाहेंगे ? अगर नहीं करना चाहते हैं तो शिक्षा भविष्य उज्ज्वल नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में सौलह प्रोविन्सेज़ हैं, उनमें १९६२ के पहले जितने मुख्य मंत्री थे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वे ऐसे लोग थे जिन्होंने मुख्य मंत्री बनने के पहले लड़कियों के स्कूल चलाये, प्राइमरी स्कूल चलाये तब वे ऊंचे जाकर बैठे और उन्होंने मुख्य मंत्री पद ग्रहण किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब एक नर्सरी स्कूल और लड़कियों का स्कूल, छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोलने वाला आदमी चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो आप यह कोशिश क्यों नहीं करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे स्कूल खोलें। इससे मैं समझता हूं, जनता से आपका ज्यादा और सीधा सम्पर्क बन सकता है, आप ज्यादा लोगों के टच में आ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अच्छी बातों को जनता के अन्दर ला सकते हैं।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे पंचायत समिति के टीचर्स की क्या हालत है। आज हमारी पंचायत समितियों में टीचर्स की जो हालत है वह किसी से छिपी नहीं है और उनको वेतन नहीं मिलता है। कई बार इसके लिये निवेदन किया गया कि दो तीन लाख रुपया राजस्थान की सरकार में शिक्षा विभाग में पंचायत समितियों का बाकी है मगर वह रुपया नहीं मिलता है। प्राइमरी स्कूलों में जो टीचर्स हैं उनको जो ग्रेड्स मिलने चाहिये नहीं मिलते हैं और न कोई selection ग्रेडे मिलते हैं और न उनको शिक्षा विभाग में जो तरक्की का तरीका है उसके आधार पर कुछ मिलता है। अगर वे बी० ए० पास कर लेते हैं तो उनको कोई उसका कोई इन्टर ग्रेड या बी. ए. का ग्रेड नहीं मिलता है और इस वजह से वह हमेशा डिस-सेटिस्फाइड रहता हैं और डिस-सेटिसफेक्शन के कारण मास्टर निराश हो जाते हैं और उनमें प्रतिपक्षी की भावना पैदा हो जाती है और वे बच्चों की पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और इसलिये बच्चों का भविष्य उज्ज्वल नहीं हो पाता है।

इसके अलावा एक बात यह कही गई कि कम्पलसरी एजूकेशन प्राइमरी होगी और इसलिये कुछ टैक्स लगावेंगे। इसके लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप को इसके लिये विचार करना चाहिये कि वहां की आर्थिक स्थिति क्या है। जयपुर में आप यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्ज़ बनाते हैं, हाई स्कूल के लिये भवन बनाते हैं और प्राइमरी स्कूलें चलाते हैं लेकिन यहां आप जयपुर और शहरों की जनता से कुछ नहीं लेते हैं। मगर आप गांवों में कहीं भी प्राईमरी स्कूल भी बनावेंगे तो आप दो तिहाई पैसा श्रम के रूप में उनसे लेंगे और एक तिहाई सरकार देगी। अब उसके बाद अगर उन बच्चों को आपके स्कूल में पढ़ने के लिये भेजें तो उन पर भी टैक्स यानि उनके बाप मां पर यह टैक्स आप

Page No.68

(श्री उमरावसिंह ढ़ाबरिया)

लगाने जा रहे हैं और वह भी आप कम्पलसरी एजूकेशन के नाम से। मैं यह कहूंगा कि यह प्राइमरी एजूकेशन कम्पलसरी हो लेकिन यह फ्री एजूकेशन होनी चाहिये। इसके लिये हमारे संविधान में यह क्लॉज है कि प्राइमरी एजूकेशन फ्री होनी चाहिये। आप हमारे उस संविधान के क्लॉज की खिलाफत करते हैं और आप शहरों के रहने वाले लोगों से डरते हैं। आप उन पर हायर सेकेण्डरी शिक्षा पर भी कोई टैक्स नहीं लगाना चाहते हैं लेकिन गरीब जनता से, जो गांवों में रहती हैं और जिससे आप वोट मांगने जाते हैं और जिस समय उनसे वोट मांगने जाते हैं उन भोले और गरीब गांव के रहने वालों को सब्ज बाग दिखाते हैं कि यह कर दिया जायगा और यह हो जाएगा; मगर बाद में आप चाहे शिक्षा के नाम से हो, चाहे सड़कों के नाम से हो चाहे किसी दूसरे डवलपमेंट के नाम से हो, चाहे पंचायत भवन के नाम से हो, आप उनका खून चूसते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप इस प्रकार का प्रावधान नहीं रख सकते कि जिसके बाप के एक ही लड़का हो और अगर वह उसको पढ़ने के लिये आपके स्कूल में भेजता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को तकावी और लोन आदि दिया जाना चाहिये क्योंकि वह अपने बच्चे को खेत में काम करने के बजाय आपके स्कूल में भेजता है और अपने एक मात्र लड़के को गाय-भैंस चराने को नहीं भेज कर पढ़ने के लिये भेजता है। इसमें आपने यह नहीं लिखा है कि उसको तकावी और लोन आदि सबसे पहले दिया जावेगा।

इसके अलावा हमारे यहां के बच्चों को अमेरिका से दूध मंगा कर पिलाया जाता है और अमेरिकन गेहूं खाने को दिया जाता है, जबकि हमारे यहां यह कहा जाता था कि घी और दूध की नदियें बहती थी। जब हमारे यहां का गेहूं बाहर भेजा जाता है और हमको बाहर का गेहूं खिलाया जाता है तो हमारे शरीर में कैसे अंकुर पैदा होंगे वह तो आप जानते ही हैं। उस दूध में जो बच्चों को स्कूलों में दिया जाता है उसमें ताकत नहीं है। गेहूं में ताकत नहीं है। समझ में नहीं आता कि सरकार हमारे बच्चों के लिये क्या करना चाहती है? दूध अच्छा हमें मिलता नहीं, खाने को अच्छा गेहूं नहीं मिलता फिर क्या ताकत रह सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप बिल लाना चाहते है तो खरी तरह से लाइये, यह बिल राजस्थान की १करोड़ ८०लाख जनतासे सम्बन्ध रखता हैं, इसकी तीन महीनों के लिये जनमत जानने के लिये और पब्लिक के विचार जानने के लिये सरक्यूलेट किया जावे और पूरी तरह से जानकारी आ जाए। मैं यह कहूंगा कि अगर आप ईमानदार हैं तो अगले आने वाले चुनावों में जब कभी गांवों में जावें तो आप इस बात को कहें कि हमने शिक्षा पर भी टैक्स लगाया है।

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बिल को जनता की राय के लिये सरक्यूलेट करने के बाद उसकी राय आजाए उसके बाद इसको लाइये। इसलिये भी कि तब तक सादिकअली रिपोर्ट को भी देख लेंगे और उस पर विचार हो जाएगा कि पंचायत समिति

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

किस किस प्रकार के टैक्स लगाये। उसमें यह कहा गया है कि पंचायत समिति से टैक्स ले लिया जावे और जिला परिषद को दे दें। इसलिये अभी अगर आप इसको लेंगे तो यह अधूरा बिल होगा। इसलिये मैं कहूंगा कि इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित कर दिया जावे और जब जनता की राय आ जावे तो उसके बाद हाउस में इस बिल को लाना चाहिये।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल,-जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक शिक्षा प्रसार और प्रचार का सम्बन्ध है, मेरे ध्यान में कोई भी ऐसा नागरिक नहीं होगा जिसको शिक्षा प्रसार और शिक्षा प्रचार से विरोध हो। लेकिन शिक्षा के प्रसार और प्रचार में किस प्रकार की व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार चलना चाहती है यह एक विचारणीय प्रश्न है। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। यह इतना गम्भीर प्रश्न है कि इस बिल पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अभी जो इस बिल पर चर्चा हुई और जो भाषण हुए उसको सुनने से यह लगा कि राज्य सरकार में कार्य करने वाले मंत्री और अधिकारी जो प्रभाव में हैं वे शिक्षा जैसे गम्भीर विषय को एक राजनैतिक विषय बनाकर आगे प्रगति करना चाहते हैं। इस प्रकार के आरोप और लांछन यदि किसी मन्त्री या अधिकारी के विरुद्ध आते हैं तो मैं तो उसे बहुत गंभीर प्रश्न, सोचनीय प्रश्न मानता हूं। यदि सरकार इस प्रकार करती है तो वह जन जीवन से खिलवाड़ करती है। यदि इस प्रकार की बात सही है तो इसको दूर करना चाहिये। हमें यह देखना चाहिये कि यह प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य हो और फ्री होनी चाहिये, इस प्रकार का ध्येय राज्य सरकार का होना चाहिये। चाहे वह पंचायतों में हो चाहे और जगह। यह शिक्षा का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिये मैंने प्रस्ताव किया है कि इस बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिये प्रसारित किया जाना चाहिये। अगर जल्दी जल्दी में कोई कानून बना दिया जावेगा तो इस कानून में, जिस प्रकार दूसरे कानूनों में कई खामियें रह जाती हैं, रह जावेंगी....

श्री निरंजननाथ आचार्य : Point of order, sir. मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि माननीय सदस्य का इस पर डिसेन्टिंग नोट है इसलिए यह इस पर नहो बोल सकते कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिए प्रसारित किया जावे। ऐसे अमेंडमेंट पर भाषण नहीं दे सकते हैं।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जैसा माननीय मन्त्रीजी ने कहा मेरा डिसेन्टिंग नोट है और उसी पर भाषण हो, इसके लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि मैं इस बिल को ऑपोज़ करता हूं जिस रूप में इस बिल को आप लाना चाहते हैं। जिस भावना को लेकर आप बिल को लाना चाहते हैं वास्तव में बहुत अच्छी भावना है कि प्रत्येक बच्चा प्राइमरी शिक्षा ग्रहण करें। लेकिन मैं इस रूप में इसका विरोध करता हूं कि जिस आशय को लेकर आप चलना चाहते हैं

Page No.70

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

और जिस प्रणाली को आप अपनाना चाहते है, उसके द्वारा आपने शिक्षा का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं लेकिन मूलभूत में आप जनता पर इस प्रकार का कानून थोपना चाहते हैं कि लोग शिक्षित नहीं होकर बैठे रहें। मैंने अपने डिसेन्टिंग नोट में आपको बताया और समझाने की कोशिश की मगर आपके समझ में नहीं आया। शिक्षा को आप क्या समझते हैं, अगर आप किसी को क, ख, ग लिखाना और हस्ताक्षर करना ही सिखाना चाहते हैं और इसी को शिक्षा मानते हैं तो मैं कहूंगा कि यह जीवन में सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं।

(११·०० म० पू०)

राष्ट्र का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आपके कन्धों पर है। आप पर यह भार डाला गया है कि शिक्षा के द्वारा नागरिकों को सुसंस्कृत बना दें। यह शिक्षा का ध्येय न रख कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को क, ख, ग, घ, ङ, पढ़ना सिखा दें और उसके आधार पर आपकी तारीफ करने वाले लोग आपकी तारीफ करते रहें कि इतने स्कूल खोल दिये, इतना परसेंटेज शिक्षित लोगों का बढ़ गया और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी भारी प्रगति कर ली, तो यह केवल दुराशा मात्र होगी। आप अपने हृदय पर हाथ रख कर देखें कि १७ साल की आजादी के बाद में मैट्रिक पास करके और डिग्री प्राप्त कर जो विद्यार्थी आपकी इन स्कूलों से पढ़ कर निकलते हैं उनमें कितने परसेन्ट ऐसे हैं जिनके बारे में कह सकते हैं कि वे इन्टेलिजेन्ट स्टुडेन्ट्स हैं। न वे अंग्रेजी में ट्रान्सलेशन कर सकते हैं, न उन्हें मैथेमैटिक्स का ज्ञान है, न जोग्राफी का ज्ञान है और न जनरल नॉलेज के साधारण से साधारण प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। केवल जापानी पुर्जों की तरह तैयार कर रहे हैं। यदि इस प्रकार की व्यवस्था ला कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप शिक्षा के नाम पर देश को उन्नति के मार्ग पर नहीं अवनीति के मार्ग की ओर ले जा रहे हैं और इसका सारा उत्तरदायित्व आपके कन्धों पर है....

श्री मोतीलाल चौधरी : आन ए पोइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, सर, आपने अभी जापानी पुर्जों की बात कही तो आपका मतलब किससे है, जापानी आदमी या मशीन के पूर्जे? आपके दृष्टिकोण से वे कमजोर हैं क्या?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह शिक्षा का गम्भीर विषय है, इस बारे में शब्दों की तीन प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक तो अभिधा होती हैं, दूसरी लक्षणा और तीसरी होती है व्यन्जना। इन तीन शक्तियों के द्वारा विभिन्न अर्थ जाने जाते हैं। तो यहां जापानी पुर्जों का प्रयोग किया है वह लाक्षिक रूप हैं। इसके अर्थ को समझने की चेष्टा करते तो यह कठिनाई आपके सामने नहीं आती।

श्री मोतीलाल चौधरी : जापानी मजबूत हैं या कमजोर?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मानीय सदस्य समझते हैं पर दिमाग की ऐसी खुराफात है कि अनर्थ करना चाहते हैं, इसमें मेरा दोष नहीं है।

Page No.71

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

मैं माननीय सदस्यों से और मन्त्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस विषय की गम्भीरता के ऊपर आपको विचार करना चाहिये, आप स्वयं विद्वान और समझदार है, हमारे शिक्षा मंत्रीजी तो शिक्षा का एक इन्स्टीट्यूशन चलाते हैं, तो अपने अनुभव के आधार पर सोचना चाहिये कि १७ साल की आजादी के बाद जिन स्टुडेन्ट्स को आपने घड़ घड़ कर निकाला है, उन पर क्या हमारा देश गर्व कर सकता है, एक्सेप्शान में एक दो निकल सकते हैं। पर जहां किसी बड़े कॉम्पीटिशन का प्रश्न आता है किसी इन्टरनेशनल कॉम्पीटिशन का प्रश्न आता है तो क्या आपके देश के व्यक्ति जाकर उनसे मुकाबला करने के बाद कॉम्पीटिशन में सफल होने की सामर्थ्य रखते हैं ? ऐसे कितने विद्यार्थी आपने १७ साल में आपने तैयार कर दिये हैं ? उनकी गिनती बता सकते हैं, तो दावा कर सकते हैं कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की है। पर आप ऐसा नहीं बता सकते, क्योंकि आपने प्रगति नहीं की है शिक्षा के क्षेत्र में।

करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, लाखों रुपया आपने स्कूलें बनाने में खर्च किया है, शिक्षा पर खर्च करते जा रहे हैं, यह अच्छी बात है, इसका मैं विरोध नहीं करता, पर इस रुपये का सदुपयोग किया जाय। सही मानें मैं शिक्षा देने की कोशिश करें तो देश के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधार सकते हैं। पर १७ साल की आजादी के बाद आप ऐसा कुछ भी नहीं कर पाये हैं, मैं माननीय सदस्यों से, मन्त्री महोदय से और उप मंत्री महोदय से चाहूंगा कि अपने बचपन के दिनों को याद करें जिनको एक रूप में चैलेंज करते हैं। यह वह जमाना था जब लोगों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था, लोगों को पशुवत् रखा जाता था, पर उसी वख्त पढ़े हुए मंत्री महोदय, उप मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सौभाग्य से उनके पढ़ाने वाले अध्यापक जीवित ही मिल जाय तो चाहे वे कितने हो ऊंचे पद पर हों, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा से आपका सर अपने आप झुक जायगा। इसलिये झुक जायगा कि आपके संस्कार इस प्रकार के थे कि गुरुजनों के प्रति आपको श्रद्धा प्रकट करनी चाहिये। जो शिक्षा संस्कारों में सुधार नहीं करती तो उसे हम शिक्षा मानने को तैयार नहीं हैं। आपके विद्यार्थियों के संस्कारों को आप देखिये। अकसर हमें आज तो अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि विद्यार्थियों और शिक्षकों में संघर्ष हो गया। मैं विद्यार्थियों को दोष नहीं देना चाहता, मैं तो राजस्थान सरकार को दोष देता हूं कि वह इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सकी कि विद्यार्थियों के संस्कार सुधरें। आप अच्छे अध्यापकों की व्यवस्था नहीं कर सकते, आप अच्छे शिक्षकों को रख कर उन्हें अच्छी सुविधाएं नहीं दे सकते। आपने शिक्षा के क्षेत्र में मैट्रिक पास मास्टरों को भर रखा है और इनसे आप शिक्षा के स्तर में सुधार करना चाहते हैं। यह शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे अच्छे मास्टरों को प्राइमरी एजूकेशन में रखा जाना चाहिये। आज जो आजाद और उन्नत देश हैं उनमें आप देखिये अच्छे से अच्छे मास्टरों को प्राइमरी एजूकेशन में रखा जाता है पर आप यहां उल्टी गंगा बहाते हैं। मोन्टेसरी स्कूल्स में ऐसे क्वालिफाइड लेडी टीचर्स रखने चाहिये जो बच्चों से उसी तरह प्रेम करती हैं जैसे

(श्री दुर्गालाल बादृदार)

मां अपने बच्चों से प्यार करती है, इस तरह बच्चों के साथ प्रेम करें। उस प्रारम्भिक शिक्षा में पले हुए लड़के जब आगे की क्लासेज़ में आयेंगे तो निश्चित रूप से आगे प्रगति करेंगे। पर आज जिस प्रकार के वातावरण में प्रारम्भिक शिक्षा को पनपाया जा रहा है यह राजस्थान सरकार की व्यवस्था का दोष है। प्रारम्भिक शिक्षा में बच्चों को आपने ढापने का इन्तजाम कर रखा है उनकी हालत आज बड़ी दर्दनाक है, उनके बैठने को कहीं टाट-पट्टी नहीं, मकान नहीं, पढ़ाने की यह व्यवस्था है कि ५० लड़के आ जाते हैं तो ढोरों की तरह मजबूर हो कर मास्टरों को उसी तरह का व्यवहार करना पड़ता है। बहुमूल्य जीवन के समय में इस प्रकार का व्यवहार प्राप्त करने वाले बच्चों से आप क्या आशा कर सकते हैं कि वे आगे जा कर उन्नति करेंगे ?

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि आप कम्पल्सरी प्राइमरी एजूकेशन करना चाहते हैं पर इसके लिये न आपके पास शक्ति है और न आपके पास रुपया ही है। विधान में इस प्रकार का प्रावधान है इसलिये आप जबरदस्ती, किसी भी तरह से यह करना चाहते हैं और दुनियां की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं कि हम कम्पल्सरी प्राइमरी एजूकेशन करना चाहते हैं और राजस्थान सरकार प्रगति की तरफ जा रही है।

आपको यदि सही माने में शिक्षा की प्रगति करना है तो भले ही दो ही बच्चों का जीवन सुधारिये, दो ही स्कूलों को ऐसी मोडल स्कूल बनाइये जिससे कि वहां से निकले हुए बच्चे आगे जाकर देश के बड़े-बड़े नेता बनें, डाक्टर बनें इन्जीनियर बनें। पर आप तो आज केवल ऐसे पुर्जे पैदा करना चाहते हैं, यदि आज के बच्चे मैट्रिक पास कर लेते हैं तो वे जो काम करते हैं वह काम भी नहीं करेंगे। उनके सामने सबसे पहला प्रश्न यह आयगा कि नौकरी मिलेगी या नहीं। तो आज जो आप शिक्षा का स्तर चला रहे हैं वह इस प्रकार का है कि हर एक नौकरी की तलाश करता है।

मैंने अपने नोट ऑफ डिसेन्ट में बताया है कि देश की परिस्थिति पर भी विचार किया जाय। आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, देश में गरीबी किस कदर घर किये हुए है। यदि कोई बच्चा कम्पल्सरी एजूकेशन की एज लिमिट में आ जाता है और उसके माता-पिता गरीबी के कारण उसे स्कूल नहीं भेज सकते, गरीबी के कारण वह बच्चा किसी गार्जियन के पास रहता है और गार्जियन उसे स्कूल नहीं भेज सकता है तो आप गार्जियन पर जुर्माना करेंगे, उसके माता-पिता नहीं भेज सकते हैं तो माता-पिता पर जुर्माना करेंगे, मुकदमा चलायेंगे, यह सारी कार्यवाहियां करेंगे पर क्या कभी आपने शान्तिपूर्वक सोचा है कि गांवों में, देश में, शहरों में आपको कितने ही ऐसे बच्चे मिलेंगे जो दो रोटी के लिए भेड़-बकरी चराने जाते हैं, जिनको खाने को रोटी नहीं मिलती पहनने को कपड़े नहीं मिलते, गरीबों के बच्चे हैं, पड़ौसी इसलिए मदद करते हैं, कि दो रोटी में उसके वहां काम करते हैं। रोटी जिनको प्राप्त नहीं होती, उनके लिए स्कूल जाने का कैसे वे प्रबन्ध कर सकते हैं।

यदि आप इस प्रकार का प्रावधान लाना चाहते हैं तो इसके साथ ही साथ आप यह भी प्रावधान कर देते कि जो ऐसे बच्चे हैं उनके

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

लिए हर गांव में शहर में ऐसे इन्स्टीट्यूशन खोले जायेंगे जिनमें बच्चों को मुफ्त में खाना और पहनने को कपड़ा मिलेगा। पर इस बिल में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। शहरों में भी देखते हैं, शहर का कोई कोना ऐसा नजर नहीं आता, शायद मंत्री महोदय को पता नही आप किसी भी समय शहर में पैदल जायं और दो मिनट के लिए किसी भी चौराहे पर खड़े हो जायं, आप वहां दो मिनट खड़े नहीं रह सकते आपके चारों तरफ छोटे छोटे भिखारी बच्चों की भीड़ लग जायगी। जिस देश में इस प्रकार की गरीबी हो उसके लिए इस प्रकार की शक्ल में कम्पलसरी शिक्षा का कानून लाकर आप देश को किसी भी दशा में ऊंचा नही उठा सकते। जिधर देखो दो पैसे में छोटे छोटे बच्चे बूट पोलिश करते फिरते हैं, आपके बूट पर पोलिश हो रखी है फिर भी पोलिश करते हैं। यह क्यों है? भूख की आग से तड़पने के कारण ऐसा करते हैं। और वहां आप इस रूप में कम्पलसरी प्राइमरी एजूकेशन की व्यवस्था करना चाहते हैं। ऐसे बच्चे मजबूरी के कारण पढ़ने नहीं जा सकेंगे तो गवर्नमेंट उनके माता पिता को, उनके गार्जियन्स को दंड़ित करेगी।

मैं खास तौर से कहना चाहता हूँ कि इस कानून को आप लाइये हम इसको सहर्ष स्वीकार करेंगे, पर साथ ही साथ यह प्रोविजन लाइये कि जो गरीब बच्चे हैं, उनके खाने की पहन ने की, रहने की सब व्यवस्था राजस्थान सरकार की तरफ से की जायगी। जो आजाद मुल्क हैं, जिन्होंने आजादियां प्राप्त की है, उन देशों के अन्दर हर इन्सान को खाने को मिलता है, फ्री शिक्षा मिलती है, फ्री इलाज होता है। पर आपके राज्य के अन्दर १७ साल की आजादी के बाद भी आप उस स्टेज पर नहीं पहुंच सके हैं कि हर एक को फ्री एजूकेशन, फ्री मेडिकल फैसेलिटी, जीवन चलाने के आवश्यक उपकरण फ्री मिल सके। इसके विपरीत राजस्थान सरकार हमेशा अपना पगुंपन बताती है, अपनी याचना हमेशा लोगों के सामने रखती है कि हमारा बजट डेफिसिट है, लोगों के सामने खाद्य संकट आता है, खाने का सवाल आता है तो कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोगों के खाने का इन्तजाम नहीं कर सकते और दूसरी तरफ इस प्रकार का कानून ला रही है कि हम कम्पलसरी प्राइमरी एजूकेशन देंगे। हमें इस सरकार पर विश्वास नहीं कि यह इस बिल को सही रूप में कार्य रूप में परिणित कर सकेगी।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

Last point; I am finishing just within two minutes.

अब मैं अन्तिम बात जो निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि इस कम्पलसरी प्राइमरी एजूकेशन के साथ एक गम्भीर प्रोब्लेम है, उस पर विचार करना चाहिए। आज तक जो सिस्टम आफ एजूकेशन आप चलाते आ रहे है उसमें सेकन्डरी, हायर सेकन्डरी क्लासिज में लोगों को एड्मिशन के समय बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती है, वह आप से छुपी हुई नहीं है, मन्त्री महोदय और उप मंत्री महोदय, दोनों ही महानुभाव जानते हैं कि कितनी बड़ी प्रोब्लेम एड्मिशन के समय

Page No.74

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

हर साल आती है। अभी इस प्रोब्लेम को तो आप सोल्व ही नहीं कर पाये हैं और फिर तीसरी प्रोब्लेम आप क्रियेट करने जा रहे हैं। एक का इलाज किये बगर दूसरी समस्या खड़ी कर रहे हैं। सबके लिए कम्पलसरी प्राइमरी एजूकेशन रखते हैं तो सेकन्डरी क्लासेज के लिए तैयार हो कर वे लड़के आयेंगे, आपके पास क्या व्यवस्था है सेकन्डरी क्लासेज में एडमिशन देने के लिए। क्या आप उनको एडमिशन दे देंगे। और सेकन्डरी क्लासेज के बाद हायर सेकन्डरी क्लासेज में एडमिशन के लिए आपको पास क्या व्यवस्था है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

It is very important point. Within two minutes I am finishing

श्री उपाध्यक्षः—There are many important points

श्री दुर्गालाल बाढदारः—I am Just finishing.

तो इन सब बातों पर आपको निश्चयात्मक रूप से विचार करना चाहिए। यदि विचार किये बिना, आगे का रास्ता साफ किये बिना यदि आप कूदने की कोशिश करते हैं तो निश्चित से कहना चाहता हूं कि आप कोई एक और गहरा खड्डा अपने सामने खोद रहे और उसमें गिरना चाहते हैं। इससे शिक्षा का उत्थान करने के बजाय पतन की ओर चले जायेंगे। इस प्रकार की इस रूप में व्यवस्था करके आप नागरिकों के साथ, खिलवाड़ कर रहे हैं। यह राष्ट्र का सबसे बड़ा अपघात होगा....

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! order please।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : समयभाव में मैं यही कहता हूं कि आप इस पर विचार कीजिये शिक्षा का क्षेत्र एक बड़ा महत्वपूर्ण और नाजुक क्षेत्र है....

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! order please।

श्री कृष्णकुमार गोयल।

(अनुपस्थित)

श्री हरिप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री जोधसिंह।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीड़वाना) :— On a point of imformation Sir, पब्लिक ओपीनियन के लिए इस बिल को भेजने के जितने प्रस्ताव थे वे तो पूरे हो गये, उस प्रस्ताव का मैं विरोध करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : You want to speak on it ?

श्री मोतीलाल चौधरी : Yes.

श्री उपाध्यक्ष : Let both the moti-

Page No.75

(श्री उपाध्यक्ष)

ons be moved first. Then if time permits......

श्री मोतीलाल चौधरी : I would take very little time..

श्री उपाध्यक्ष : I think it would be better if you speak later on. Otherwise the movers themselves will have no time.

श्री मोतीलाल चौधरी : I have no objection, Sir but the rules of procedure say......

श्री उपाध्यक्ष : I know rules of procedure do not restrict it, but.

श्री मोतीलाल चौधरी : Well Sir, I have no objection.

श्री उपाध्यक्ष : That is right

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) :

[प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान प्राथमिक शिक्षा विधेयक, १९६२ को पुनः एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन एक माह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत करदी जावेगी।")]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय,जो प्राथमिक शिक्षा विधेयक हमारे सामने आया है उसके लिये मैंने प्रस्ताव किया है कि इसे पुनः एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि प्रत्येक माननीय सदस्य जितने कम समय में बोल सकें उतना ही अच्छा है, वरना सब नहीं बोल सकेंगे।

श्री जोधासिंह चौहान : शिक्षा का एक बहुत बड़ा महत्व है, बिना शिक्षा के राष्ट्र तरक्की नहीं कर सकता। आज हमें आजादी मिले १७ वर्ष हो गये लेकिन शिक्षा की दृष्टि से और आजाद देशों के मुकाबले में भारतवर्ष पीछे रहा है, उसमें भी राजस्थान सबसे पीछे रहा है। इसलिये ऊंची ऊंची सर्विसेज में, आइ. ए. एस., आर. ए. एस. और मिलिटरी कमिशनड सर्विसेज में राजस्थान के नौजवानों को नहीं लिया जाता है। इन्टरव्यूज में वे लोग फेल हो जाते हैं। इसलिये मैं राजस्थान सरकार को बधाई दूंगा कि इस प्रकार का कम्पलसरी शिक्षा का विधेयक ला रही है उसके लिये सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन जल्दी जल्दी में यह लाया गया है। अभी नैयर कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है, उस पर विचार करना है, आज हमें इन सब बातों पर विचार करना है कि हमारा राष्ट्र उन्नत क्यों नहीं होता। क्योंकि हमारे यहां शिक्षा की उन्नति नहीं होती इसलिये हमारा राष्ट्र उन्नत नहीं होता।

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर बड़े बड़े कालेज खुले हुए हैं, बड़ी

(श्री जोधसिंह चौहान)

शिक्षा के लिए बिल्डिंग्स होते हुए भी हमारी शिक्षा कास्तर गिरता जा रहा है। विद्यार्थियों में जो शिक्षा का स्तर होना चाहिये वह नहीं है। उसका कारण क्या है ? उसका कारण यह है कि प्राथमिक शिक्षा को रीति नीति ठीक नहीं है। उसमें सुधार करने की बड़ी आवश्यकता है। वैसे तो सारी शिक्षा प्रणाली में आवश्यकता है सुधार कहने की, लेकिन जब तक आप प्राथमिक शिक्षा में सुधार नहीं करेंगे तब तक आगे सुधार करने में कठिनाइयां आवेंगी और आगे की शिक्षा के स्तर को सुधार सकना बड़ा कठिन होगा। आज भी स्कूल खुले हुए हैं और आगे खोलने जा रहे हैं। मेरा आपसे यह कहना है कि क्वान्टिटी के बजाय क्वालिटी की ओर विशेष ध्यान दीजिये तब ही आप शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। यदि अच्छी शिक्षा मिल सकेगी, स्तर अच्छा होगा तो हमारा राष्ट्र तरक्की कर सकेगा। हमारे यहां देश में मिशनरी स्कूल्स हैं जहां पर बड़े बड़े आदमियों के बच्चे पढ़ते हैं। इसका कारण क्या है ? इसका कारण एक ही है कि वहां पर पढ़ाई अच्छी होती है। बड़े आदमी ही अपने बच्चों को वहां पढ़ा सकते हैं क्योंकि गरीब आदमी के पास, मिडल क्लास के आदमी के पास तो साधन नहीं होते। वे स्कूल्स एफिलियेटेड न होते हुए भी आज कितने बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं इसका मुख्य कारण यही है कि स्टेन्डर्ड अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष : पॉइन्ट्स को रिपीट न करें। नये पॉइन्ट रखेंगे तो समय की बचत होगी।

श्रीजोधसिंह चौहान : कहने का तात्पर्य यह है कि उनका स्टेन्डर्ड हमारे से ऊंचा है और इस कारण उनके विद्यार्थियों को प्राथमिकता मिलती है। हमारे स्कूलों के विद्यार्थियों को आगे एडमिशन नहीं मिलता हमारे विद्यार्थी नुक्सान में रहते हैं। इस सारे का कारण मैं समझता हूँ जहां तक यह है कि हमारे यहां के टीचर्स ठीक नहीं हैं। प्रणाली ठेठ से यह रही है कि टीचर की डिग्निटी रहे लेकिन आज दूसरों को अधिक वेतन मिलती है और उनको कम वेतन मिलता है, उनका उतना सम्मान नहीं। इसलिए लोग गवर्नमेन्ट सर्विस में दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं और टीचर के व्यवसाय में आना बहुत कम पसन्द करते हैं। थर्ड क्लास पास शुदा विद्यार्थी हमारे इस कार्य में आते हैं। इस कारण हमारा स्टेन्डर्ड प्राथमिक शिक्षा का बिलकुल गिर रहा है और आगे स्टेन्डर्ड फिर बढ़ेगा कैसे।

प्राथमिक शिक्षा पंचायतों को सौंप रखी है इसका मैं विरोध करता हूँ गांवों में सरपंच पढ़े लिखे नहीं होते, वे टीचर्स को दबाते हैं, मनमाना काम कराते हैं उनसे, अपने बच्चों को उनसे पढ़ाते हैं, उनकी सुविधा की ओर वे ध्यान नहीं देते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह जो प्राथमिक शिक्षा है वह पंचायतों के अधिकार में न रह कर सीधी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट के अन्तर्गत ले लेना चाहिये जिससे इसमें उन्नति हो सकें।

आज हमारे यहां क्या हो रहा है। मैं आपको गिरवा तहसील का उदाहरण पेश करता हूँ। विद्यार्थियों को बैठने के लिए स्थान नहीं

(श्री गोधसिंह चौहान)

है जितने स्कूल बने हैं वे सारे के सारे अधूरे ही हैं। तीस चालीस स्कूल अधूरे हैं पानी चूता है छतों से, बैठने के लिए स्थान नहीं बच्चों के । विद्यार्थी कहां पढ़े इसके लिए कोई ध्यान नहीं देता। सरकार से भी निवेदन किया। सरकार शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाती है, कॉलेजेज बना देती हैं लेकिन नीचे के स्तर पर, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर बच्चों को पढ़ने तक की सुविधा नहीं है तो अच्छे विद्यार्थी कहां से होंगे। यदि हमारा ध्यान खेलों की ओर जाय तो न तो स्कूलों में बच्चों के लिए मैदानों की सुविधा है, न अखाड़े वगैराह हैं, प्राथमिक स्कूलों में इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता ।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

श्रीउपाध्यक्ष चौहान : प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा के विषय में यह बिल है। उस पर आप प्रकाश डालें तो अच्छा है।

श्री जोधसिंह चौहानः बिना खेल के शिक्षा नहीं होती। जिस शिक्षा में खेल को स्थान नहीं वह जीवित शिक्षा नहीं । वहां पर विद्यार्थी उन्नति नहीं कर सकता। ओलेम्पिक वगैराह में जितने विद्यार्थी आते हैं यदि स्पोर्ट्स को शिक्षा में स्थान न हो तो वह शिक्षा तरक्की नहीं कर सकती। वह राष्ट्र तरक्की नहीं कर सकता जिसमें खेलों को स्थान न हो । यदि हमारे स्पोर्ट्स को प्राथमिक स्कूलों में पूरी तरह से ध्यान दिया जाय तो ओलोम्पिक में जा सकते हैं। आज होकी के ऊंचा होने का क्या कारण हैं ? कारण एक ही है और वह यह है कि हमारे गांवों में गोठा दड़ी खेला जाता है इसलिए यदि हमें इस ओर ध्यान दें तो गेम्स का स्टेन्डर्ड ऊंचा होगा । बोम्बे में जाकर देखिये। क्रिकेट खेला जाता है। यह हमारे गुली डंडे का ही नवीन रूप है। हर स्कूल में यदि खेल की व्यवस्था हो तो शिक्षा में उन्नति हो सकती है।

यही नहीं राष्ट्र को यदि तरक्की करनी है तो देश में चरित्र को उठाना पड़ेगा। शिक्षा के द्वारा और खेल के द्वारा ही हमारा चरित्र ऊंचा उठ सकता । हम चाहते हैं हमारे देश के नागरिक चरित्रवान बने। If wealth is lost, nothing is lost. If character is lost, everything is lost.

इसलिए हमें हमारी प्राथमिक शिक्षा को सबसे पहले ठीक करना होगा और उसके स्टेन्डर्ड को बढ़ाना होगा। क्वान्टिटी के बजाय क्वालिटी की ओर ध्यान देना होगा। केवल अच्छी बिल्डिंग्स बना देने से और कॉलेज वगैराह खोल देने से ही देश की उन्नति नहीं हो जायगी किन्तु यदि अच्छी प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ नैतिकता का प्रसार करेंगे तो हमारे राष्ट्र की उन्नति हो सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयलाल

(अनुपस्थित)

श्री श्रवणलाल ।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(अनुपस्थित)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन ।

श्री रामकिशन (वैर) :

[प्रस्ताव इस प्रकार है:—

"प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान प्राथमिक शिक्षा विधेयक १९६३ को पुनः एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन पन्द्रह दिन में सदन के समक्ष प्रस्तुत करें (समिति के सदस्यों की नामवली बाद में प्रस्तुत की जावेगी) ।"

उपाध्यक्ष महोदय मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान प्राथमिक शिक्षा विधेयक १९६३ को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय ।

जहां तक इस बिल के उद्देश्य का सम्बन्ध है मैं यह मानता हूं कि सदन का कोई भी माननीय सदस्य इसका विरोधी नहीं हो सकता । आज नहीं, आज से पहले ही यह बिल सदन में पेश होना चाहिये था जबकि हमारे संविधान ने यह स्पष्ट निर्देश दिये हैं, उसमें यह स्पष्ट व्यवस्था की गई है कि ६ से ११ वर्ष के बच्चों को इस संविधान के लागू होने के दस वर्ष पश्चात प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जायगी । राज्य सरकार की इतनी देर से यह बिल लाने के लिए निन्दा भी की जानी चाहिये कि यह इतना पिछड़ गयी है और संविधान को राज्य में लागू करने में असफल रही है । इसके साथ साथ यदि उपाध्यक्ष महोदय, यह देखें कि विधान निर्माताओं ने जो देश की तस्वीर रखी थी उसकी भी अवहेलना की हैं । हमारे विधान निर्माता यह मान कर चले थे कि दस वर्ष बाद देश में से गरीबी मिटा देंगे । गरीबी के कारण मां बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते । उनको अब कम्पलसरी रूप से भेजने अनिवार्य होगा । यह देश की सही हालत की तस्वीर है । मैं सारे देश की बात नहीं करता, मैं तो आपको राजस्थान राजस्थान का ही चित्र प्रस्तुत करता हूं । राजस्थान सरकार तो भावना में बह रही है । उसका वास्तविकता से सम्बन्ध नहीं है । एक तरफ तो गरीब लोग हैं । मैं भिखारियों और दूसरे लोगों की बात नहीं करता । जो प्लानिंग है, जो योजनाएं हमारी हैं, उनके सम्बन्ध में प्लानिंग कमीशन की जो अर्ध वार्षिक रिपोर्ट आयी हैं, उनको देखने से मालूम पड़ेगा कि हमारे राज्य में, राजस्थान में ३२. ३३ लाख ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी दो आना तीन आना रोज है । उनके छः सात साल के बच्चे धन्धा करते हैं, किसी प्रकार अपनी उदर पूर्ति करते हैं । आप कहते हैं ये अपने बच्चों को स्कूल पढ़ायें । आप इसके लिए कम्पलसरी कर रहे हैं । ऐसा कौन सा मां बाप होगा जो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहेंगे । यहां गरीबी का प्रश्न है । जब लोग गरीब हों, उनके पास अपना पेट भरने का साधन न हो उन लोगों के बच्चों को कम्पलसरी स्कूल भेजना उस गरीब को दंड देना है और उसकी गरीबी की मज़ाक को क्रूर रूप से बनाना है ऐसी मेरी मान्यता

Page No.79

(श्री रामकिशन)

हैं। राजस्थान में दस लाख ऐसे लोग हैं जिनके पास पांच एकड़ जमीन है। किसान कैसे भेज सकेंगे इसकेलिए भी क्या राज्य सरकार ने कोई योजना बनायी है? मेरी जानकारी नहीं है, न प्लानिंग कमीशन ने कुछ कहा है न विधान निर्माताओं ने कहा है कि राज्य सरकार की वित्तीय जिम्मेदारियां आ जानी चाहिये वह उसको पूरा कर सकेंगी। जो बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं कोई भी मां बाप बच्चों को स्कूल भेजने से मना नहीं करेगा लेकिन बगैर गरीबी मिटाये, उदर पूर्ति का साधन जुटाये वह कैसे स्कूल भेज सकेगा? इसके लिए राज्य सरकार की निन्दा की जानी चाहिये कि संविधान के निर्देश के दस साल पश्चात् भी यह सरकार उन व्यवस्थाओं को लागू करने में समक्ष रही हैं।

मैं समझता हूं कि आज कोई योजना पर बहस नहीं हो रही है। फिर भी मैं उप शिक्षा मंत्री जी से यह चाहूंगा कि ३२ लाख लोग ऐसे हैं जिनकी दो आने और तीन आने रोज की आमदनी हैं और दस लाख किसान है जिनके पास पांच एकड़ से भी कम जमीन हैं वे अपने बच्चों को किस प्रकार से पढ़ा सकेंगे· इसके लिये उनको दिमाग में क्या योजना हैं? इनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का क्या प्रावधान है?

तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुछ लक्ष्य रखे थे। हमारा यह लक्ष्य था कि तृतीय योजना के अन्त तक हम ८० प्रतिशत बच्चों को स्कूलों में और ४० प्रतिशत लड़कियों को स्कूलों में भेज देंगे। आज हमारे राजस्थान में कितने बच्चें ऐसे हैं जो स्कूलों में जाने लायक हैं। उनके आंकड़े पूर्णतया हमारे पास नहीं हैं फिर भी अन्दाजन १४ लाख के आस पास जिसमें दो लाख लड़कियां और दस लाख लड़कें। ६ से ११ साल के उम्र के बच्चों अनुमानित संख्या हमारे राजस्थान में २० लाख के आस पास हैं उनके लिये शिक्षा की व्यवस्था करनी है। शिक्षा की व्यवस्था के लिये राज्य सरकार ने १५ करोड़ का प्रावधान किया है जिसमें से प्राथमिक शिक्षा के लिये ३ करोड़ रुपया का प्रावधान किया हैं। इसका मतलब यह हुआ कि २० लाख बच्चों को आगामी दो तीन सालों में हम स्कूल में पढ़ने के लिए भेज सकेंगे तो उसके लिए १८.२० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। मैं उन लोगों के कम्पेशन की बात नहीं कह रहा हूं जिनकी औसत आमदनी दो आना रोज हैं और उनकी बात कह रहा हूं जिनके पास केवल पांच एकड़ भूमि है। ऐसे बच्चों पर जो खर्च आयेगा उसके लिए राज्य सरकार के दिमाग में क्या तस्वीर है। इस पर एक बात आप यह कहेंगे कि पंचायत और पंचायत समितियें इसके लिए टैक्स लगायें। पंचायत टैक्स लगाती है तो मैं इसका विरोधी नहीं हूं। जब हमने बच्चे पैदा किये हैं तो उसका दंड हमें भोगना पड़ेगा। मैं तो इसे मानता हूं कि यह हमारी गलती है कि हम सन्तान तो पैदा करते चले जाते हैं लेकिन उनके पालन पोषण का भार उठा नहीं सकते। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदों में पुराण में कथा कहानियों में तरह तरह की उपमाये दी हैं उन उन उपमाओं को तो मैं देना नहीं चाहता लेकिन मौर्य काल के बाद पूरा हिन्दुस्तान कभी शिक्षित नहीं हो पाया है। गरीबी और

(श्री रामकिशन)

बेरोजगारी को मिटाने के लिये मौजूदा सरकार का कार्यक्रम जो हो रहा है उसमें तो हमारी सरकार बिलकुल असफल रही है। उसके अलावा अब तक जो हमारे यहा सामन्ती व्यवस्था थी उसके कारण हमारा सारा राजस्थान सामन्ती समाज का प्रतीक है और राजस्थान अर्ध विकसित पूंजीवादी व्यवस्था में प्रवेश कर रहा है। हमारी जिम्मेदारियां दूसरी तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। एक तरफ तो हम प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ युनिवर्सिटी कॉलेज एज्यूकेशन बढ़ाते चले जा रहे हैं। नये नये कॉलेज और युनिवर्सिटी खोले ते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि राजस्थान में बेकारों की संख्या बढ़ती जा रही है। आखिर आप क्या चाहते हैं? सारा खर्चा युनिवर्सिटी शिक्षा पर आप करते जा रहे हैं। आपका कितना औसत खर्चा प्राथमिक शिक्षा पर आता है। २३५ लाख रुपया आप युनिवर्सिटी शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, वहां प्राथमिक शिक्षा पर ३२ लाख करते हैं।

प्रथम पंच वर्षीय योजना में निरक्षरता निवारण के लिये एक आन्दोलन चलाया था लेकिन यह कमजोर इरादे का साबित हुआ है। इन १२ सालों में हमारी सरकार ने युनिवर्सिटी एजूकेशन पर ही पर ज्यादा जोर दिया है। उसका नतीजा यह हैं ऐसे वर्ग पैदा हो गये हैं जो बेरोजगारी के कारण दुखी हैं वे देश में अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं। इस वर्ग का क्या करेंगे? आज आप प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने की कोशिश करते हैं तो आपको युनिवर्सिटी की शिक्षा बन्द करनी पड़ेगी, मास्टर पटवारी क्लर्क इनके पैदावार की सीमा निश्चित करनी पड़ेगी। आर्टस साइड की शिक्षा को करीब करीब बन्द करना पड़ेगा। हमें मिस्त्री चाहिए, फीटर चाहिये, खेती करने वाला मजदूर चाहिये, किसान चाहिये, टेक्टर चलाने वाला चाहिये, बाबू मास्टर पटवारी को सीमा निश्चित करनी पड़ेगी लेकिन इसके लिये सरकार की योजना नहीं है। आप प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावे के साथ साथ युनिवर्सिटी की आर्टस शिक्षा को नहीं रोकेंगे तो जिन परिस्थितियों को अमेरिका रूजवेल्ट को फेस करना पड़ा था वही समस्या आपके यहां भी पैदा हो जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्राथमिक शिक्षा का प्रबल समर्थक हूं वहां मैं स्त्री शिक्षा पर भी उतना ही अधिक जोर देना चाहता हूं। आज हमारा प्रान्त स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। उप मंत्री महोदय ने फरमाया था मेरे एक प्रश्न के उत्तर में कि महिला अध्यापिकायें गांवों में जाना नहीं चाहती। इसका दोष भी मैं राज्य सरकार पर ही डालना चाहता हूं क्योंकि उसको राज्य करने का इतना समय मिला लेकिन इस अवधि में वह सामाजिक मान्यताओं को बदल नहीं सकी। आप जहां इनको गांवों में पढ़ाने के लिये भेजना चाहते हैं वहां आपको गांव का वातावरण इनके अनुकूल बनाना पड़ेगा उनके लिये आवास की व्यवस्था करनी होगी उसके साथ साथ सामाजिक मान्यताओं को बदलना होगा। इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि खास तौर से किसी भी प्रकार की पोशाक के विरूद्ध नहीं हूं लेकिन इतना मैं अवश्य निवेदन

(श्री रामकिशन)

करना चाहता हूं गांवों में जो भी अध्यापिकायें जायें वे ऊंचा ऊंचा ब्लाउज पहन कर जायेगी तो उससे भारतीय संस्कृति नष्ट भ्रष्ट हो जायेगी। यह सब मानते हैं कि आयु ऐसी आती हैं जिसमें हर प्राणी की उत्तेजना होती है लेकिन मेरा खास तौर से।

श्री **मोतीलाल चौधरी** : तो आपके विचार से किस प्रकार की पोशाक रखी जाय।

श्री **रामकिशन** : क्या आप चौधराइन जी को ऐसी पोशाक पहनाना पसन्द करेंगे? वही पोशाक रखिये जो आप पहना सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि राज्य सरकार को एक इस प्रकार का सर्कुलर निकाल देना चाहिये छात्र छात्रायें अध्यापक अध्यापिकायें चुस्त पोशाक पहन कर स्कूल कॉलेजों में नहीं जायेंगे। काश्मीर सरकार ने इस प्रकार की पोशाक पर पाबन्दी लगायी हैं वह तो हमारे देश की ही सरकार है लेकिन इसके अलावा नार्वे और स्वीडन की सरकार ने भी इस प्रकार की पोशाक पर पाबन्दी लगाई है। इस प्रकार की पोशाक पहनने से शिक्षा जगत में नैतिकता का ह्रास हुआ है अतः हमें शुरू से इस प्रकार की पोशाक पर रोक लगानी होगी। और दूसरी तरफ हमें समाज की मान्यताओं को बदलने की कोशिश करनी होगी।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो समय निश्चित नहीं किया गया लोग काफी समय के बोल चुके, फिर भी दो मिनिट में समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी मेरी मान्यता है इस पर भी राज्य सरकार सोच लें। राज्य सरकार हर नागरिक को साक्षर बनाना चाहती हैं तो उसके लिये युद्ध स्तर का प्रयत्न करना होगा। आज हमने ऐसा भी देखा है कि जिन स्कूलों में अध्यापक होंगे वहां लड़कियों को पढ़ने के लिए मां बाप भेजना नहीं चाहेंगे क्योंकि जिस देश की संस्कृति में संस्कृत के अमरकोष में ११ वर्ष वाली को गौरी दस वर्ष वाली को कन्या और सात वर्ष वाली को सीता बताया गया है, ऐसा पाठ जिस देश में पढ़ाया गया हो वहां यह सोचने के लिये मजबूर हो जाते हैं कि जिन स्कूलों में अध्यापक हैं उनमें लड़कियों को शिक्षा के लिए नहीं भेजा जायगा और दूसरी तरफ महिला अध्यापिकायें गांवों में जाना नहीं चाहती लेकिन मैं आप से पूछना चाहता हूं कि आज शहरों में जितनी अध्यापिकायें हैं वे किसी न किसी अधिकारी वर्ग की लड़कियां हैं या मंत्रियों के मिलने जुलने वालों की लड़कियां मिलेगी उनको आप गांवों में ट्रान्सफर क्यों नहीं करते। जिस प्रकार आपने रखा है कि एस० डी० ओ० को दो साल तक विकास अधिकारी का काम करना होगा उसी तरह से आप किसी को प्रोफेसर बनाते हैं या किसी को सीनियर टीचर बनाते हैं तो उसके लिये यह लाजिमी रख दीजिये कि दो साल तक गांवों में जाकर अध्यापक का कार्य करना होगा तभी जाकर उनको प्रोमोशन दिया जायगा तो इस तरह का आप कर दें तो हजारों लोग गावों में जाने के लिये तैयार हो जायेंगे। उसके साथ साथ आप उनको सुविधायें दे।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि वित्तीय आधार पर तो हम निरक्षरता नहीं मिटा

(श्री रामकिशन)

सकते। जिस प्रकार अमेरिका में पीस मिशन बनाया था उसमें काम करने के लिये लाखों लोग आगये जो आज देश विदेशों में जाकर डाक्टरी वेटनरी आदि की शिक्षा देते हैं। उसी तरह से मैंने पहले भी वह सुझाव दिया था आज फिर दे रहा हूं एम्प्लोयमेंट एक्स-चेन्ज से उन सभी बेरोजगार व्यक्तियों के नाम मगा लिये जांय जो शिक्षित हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। या सरकारी सेवा में आना चाहते हैं। उनसे कहा जाय कि जो व्यक्ति गांवों में जाकर एक साल भर या दो साल तक लोगों को साक्षर बनाने का काम करेगा उसको नौकरी में प्राथमिकता दी जायगी। इस तरह से आपको करीब दो लाख शिक्षक मिल सकते हैं जो अपने ही खर्चे से लोगों को शिक्षित कर सकते हैं इससे आपका निरक्षरता का जो आन्दोलन है उसको ठीक प्रकार से चलाया जा सकता है, इससे पांच सात साल में आप देखेंगे कि वित्तीय साधन न होते हुए भी आप शिक्षा का प्रसार कर देंगे। वित्तीय साधनों से आप कोशिश करेंगे तो इसमें आपको कई वर्ष लग जायेंगे जो आपके लिये एक तरह से असंभव होगा।

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं हमें सामाजिक मान्यताओं को बदलना पड़ेगा, हमारे वेद संस्कृत में हैं, मैं संस्कृत नहीं जानता, वेद इषोपनिष आदि को मैं ईश्वरीकृत नहीं मानता वे तो आप जैसे व्यक्तियों का बनाया हुआ है जो रावण के वंशज हैं। हमें उस समय की जो परम्परा है उसको बदलना पड़ेगा। हमें अपना सनातन सोचने का ढंग हैं उसको बदलना होगा अगर हम इस प्रकार से जो सामाजिक रूढ़ियां हमारे यहां बन गई हैं उसको बदलेंगे तो निश्चित तौर पर हम आगे आयेंगे।

तरह तरह से वे कोसते हैं और न राज सरकार प्रयत्न कर पाती है न सामाजिक तौर पर न आर्थिक तौर पर।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि जो लड़-कियों गांवों में सर्विस करने जावें। उनको दस पन्द्रह रुपया अलाउन्स दे दिया जावे। आप देखेंगे कि स्थिति बदल जावेगी।

यह नहीं किया तो शिक्षण का काम अधूरा रह जावेगा और न इस कानून का अर्थ निकलेगा।

इस कानून के सम्बन्ध में दो बातें निवे-दन करनी हैं। यह कानून बहुत क्रान्तिकारी नहीं है अर्थात् आपने इसमें ऐसी व्यवस्था भी की है कि विज्ञप्ति द्वारा जहां जिस क्षेत्र में चाहेंगे तो वहां इसे लागू नहीं भी करेंगे तो इसलिये इसका व्यापक अर्थ है नहीं। राज्य सरकार ने केवल यह दिखाने के लिये यह कानून पेश किया है कि वह भी देश के प्रगतिशील तत्वों में अपना नाम लिखा सके। बाकी न उसके पास इस स्कीम को पूरा करने के लिये आवश्यक वित्तीय साधन हैं न देश के साधन हैं, न इसमें उसका प्रावधान है और न उनकी मंशा ही है।

शिक्षक की हालत के बारे में अभी निवेदन नहीं करूंगा। शिक्षा विभाग के

(श्री रामकिशन)

बारे में जरूर कुछ कहूंगा। जब हम पढ़ते थे तो उस जमाने में हमने कभी शिक्षा विभाग के अन्दर भ्रष्टाचार की बात नहीं सुनी थी। केवल इतना सुनते थे कि रेवेन्यू और पी. डब्ल्यू. डी. विभाग ही भ्रष्ट होते हैं। हम जब पढ़ते थे तब यह बताया जाता था। पर आज यह शिक्षा विभाग भी भयंकर भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। जहां डिप्टी डाइरेक्टर बी. ए. पास बैठा हो, तीस चालीस साल की सर्विस जहां हो उसके स्थान पर दस साल की नौकरी वाला डिप्टी डाइरेक्टर हो तो पक्षपात और भ्रष्टाचार का बोलबाला ही होगा। एक एक मिसाल देकर समझाऊं तो समय काफी लग जायगा। मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार तो दोनों भाई भाई हैं। उनका सम्बन्ध तो बड़ा घनिष्ट और मधुर है। व्यापक है। इतने में ही मैं सब कुछ कह देना चाहता हूं। अगर सरकार शिक्षक को सन्तुष्ट करना चाहती है तो सरकार को कुछ मामलों में तै करना पड़ेगा और उपमन्त्रीजी स्वयं जानते हैं कि एक बार एक बात उन्होंने कही, रेफरेन्स उसका इसलिये नहीं देता हूं कि विरोध करने की उनकी आदत है। आज तो पता नहीं, कौन डाइरेक्टर हैं, पर साल भर पहले गोस्वामी डाइरेक्टर थे। महता तो दस्तखत मात्र करते थे। डाइरेक्टरी तो कोई और ही करता था। और इस व्यवस्था को जब मैं उपमन्त्रीजी के नोटिस में लाया तो कहा विवश हूं, क्या करूं। मैंने कहा विवश हैं तो छोड़े इस को। वकालत करें। आप तो वकालत में इससे कहीं अधिक कमा लेते हैं। क्यों पद के चक्कर में पड़े हों।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपके कहने से नहीं छोड़ने वाला हूं। अभी तो ढाई साल तक आपकी छाती पर चढ़ा रहूंगा। जाऊंगा तो दोनों साथ साथ जायेंगे।

श्री रामकिशन : ढाई साल क्यों, पांच साल तक आप छाती पर दाल दलों इस की चिन्ता हमें नहीं। पर व्यवस्था के लिये मैंने तो कहा है! तो कहना यह था उपाध्यक्ष महोदय,....एक क्लर्क के बारे में आपने यह कहा था........

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, कोई इस सम्बन्ध में मैं बात तक नहीं करता। मैं उनके सम्मान में नहीं कहना चाहता, पर मैं ऐसा मानता हूं कि उनसे बातचीत करने का अर्थ है कुछ गड़बड़ी हैं इसलिये मैं तो परहेज करता हूं उनसे बातचीत करने से भी। वे खामखां रेफरेन्स दे रहे हैं बातचीत का।

श्री रामकिशन : वैसे तो आप मौनी और ब्रह्मज्ञानी हैं। पर बोलते हैं तो भयंकर रूप से बोलते हैं। नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे जब बोलेंगे, तो अर्थ का अनर्थ कर देंगे और नहीं बोलेंगे तो अनर्थ का अर्थ समझ लेंगे।

तो अन्त में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि गम्भीरता से इस पर सरकार विचार करें और इसे इन सब मुद्दों पर गम्भीरता से विचार करने के लिये सिलेक्ट कमेटी को दे दें। आर्थिक साधनों की व्यवस्था की जावे तभी गम्भीरता से विचार हो सकेगा

(श्री रामकिशन)

और आचरण किया जा सकता है इस पर।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयपाल। बहुत संक्षेप में।

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर) :

[प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान प्राथमिक शिक्षा विधेयक, १९६३ को पुनः एक पवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करें (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेंगी)।",]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं पर यह बिल आज से आठ दस साल पहले आना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष : इस इस्यू को तो अन्य सदस्य कह चुके हैं, आप अन्य नये इस्यू पर कहें।

श्री विजयपाल कटारा: यह तीन चार भाग में बटा है। पहला जो है शिक्षा विभाग है। दूसरा पंचायत समिति, तीसरा समाजकल्याण और चौथा प्राइवेट संस्थाएं जो स्कूलें चला रही हैं। तो ये चार विभागों द्वारा शिक्षण का काम चलाया जा रहा हैं। पर खेद है कि इन में एक दूसरे से कोई ताल मेल नहीं है। इसके कारण हमारे विद्यार्थी जो हैं सिलसिलेवार कोई चीज हल नहीं कर पाते। इसलिये निवेदन करूंगा कि यह बिल जो लाया जा रहा है इनमें इनके ताल मेल पर भी कोई व्यवस्था होनी चाहिये। नहीं तो फिर यह केवल गरीब जनता पर टैक्स के रूप में भार रूप ही बन कर रह जावेगा।

मैं चाहता हूं कि इस बिल को लागू किया जाय। एक तरफ तो सरकार सोचती है कि शिक्षा निशुल्क दिया जाय लेकिन दूसरी तरफ पंचायत समिति, जिला परिषद् और पंचायतों की ओर से छोटे मोटे टैक्स लगाये जावेंगे वे जनता पर पड़ेगे जिनके पास आज खाने और पहनने की भी व्यवस्था नहीं हैं।

यों भेजने वाले जरूर भेजेंगे अपने बच्चों को स्कूलों में पर इस बिल के जरिये दण्ड की व्यवस्था रखी है तो यह गरीब जनता पर भार रूप में पड़ने वाली है। मेरा यह निवेदन है कि व्यवस्था को कम किया जाना चाहिये। १५) या १०) लगाया जावे। २५ नहीं। तो उपयुक्त होगा। वर्ना अनपढ़ जनता अपने बच्चों को समय पर नहीं भेज पावेगी और एक तरह से मुकदमें में फंस जावेगी। इससे गांव की जनता और अध्यापकों में भी कटुता पैदा होगी और गांव का वातावरण अशान्त बनेगा। इसको राजनैतिक रंग दिया जावेगा। अध्यापक और जनता के बीच में संघर्ष होगा। इसलिये निवेदन है कि सजा का प्रावधान हटा भी दिया जावे तो और अच्छा होगा।

साइकोलोजिकल ढंग से अध्यापक माता पिताओं को समझाये तो यह सबसे उपयुक्त होगा। वर्ना यह भार जनता पर गरीब जनता पर सबसे बड़ा पड़ने वाला है।

(श्री विजयपाल कटारा)

तो मेरा यह निवेदन है कि शिक्षा को इस तरह से बढ़ाया जावे साइकोलोजिकली समझा बुझा कर। नहीं तो आज शिक्षा का स्तर जो गिरता जा रहा है उसी को कन्ट्रोल आप नहीं कर पाये हैं और वह गिरता जावेगा।

फिर शिक्षा के लिये मकान बनाने में श्रमदान मांगती है, सरका रमिडिल स्कूल के लिये सरकार एक हजार का ही अनुदान दे सकती है। तो इस तरह से शिक्षा के सवाल पर जीवन निर्माण के काम में भी सरकार सौदे-बाजी से काम लेती है, यह उचित नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

फिर गांवों में ही यह सब होगा, श्रमदान भी लिया जावेगा, पैसा भी मांगा जायेगा शहरों में कुछ नहीं होगा ऐसा। गांवों से हर चीज मांगी जाती है, भवन श्रम दान, फर्निचर आदि, पर शहरों में ऐसा कुछ नहीं मांगा जाता, तो गरीब गांव के लोग श्रमदान और टैक्स दोनों ही देने में असमर्थ होंगे।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

यह जो प्राइमरी शिक्षण संविधान की धारा ४५ के अनुसार निशुल्क और अनिवार्य होना चाहिये था और आज से दस साल पहले होना चाहिये था वह आज केवल नाम मात्र के लिये लाया जा रहा है और उस संविधान की भावना के खिलाफ जाकर भी टैक्स लगाया जा रहा हैं इसलिये मैं निवेदन करूंगा....

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

एक दो मिनट और भी बोलना चाहूंगा स्कूलों की बडी दुर्दशा है।

श्री उपाध्यक्ष : स्कूलों की दुर्दशा का यह विषय नहीं है कहने का, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का विषय है। आप जल्दी कहें।

श्री विजयपाल कटारा: तो जहां कही भी स्कूलों में पढ़ाया जाता है पेड़ के नीचे बैठाकर बच्चों को पढ़ाते है, वहां पर भवनों का इन्तजाम होना चाहिए स्कूलों में टाट-पट्टी नहीं हैं और सरकार इनकी ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाना चाहतीहै। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक यह स्कूल बढ़ाये जाये लेकिन जो व्यस्था है उसको जमाये। और हमारे डूंगरपुर के अन्दर एक कॉलेज खोला गया है वहां पर साइन्स का सब्जेक्ट नहीं है........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप विषयान्तर जा रहे हैं।

(समय--समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री विजयपाल कटारा : मैं हमारे यहां माणा प्राइमरी स्कूल में गया था और उसके बारे में शिक्षा मंत्रीजी से भी मिला था....

श्री उपाध्यक्ष : आप केवल बिल के विषय को ही लें।

श्री विजयपाल कटारा : यही बिल का विषय है।

Page No.86

श्री उपाध्यक्ष : यह बिल के विषय में नहीं है। That is all.

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

That is not the subject of the Bill.

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री विजयपाल कटारा : मेरा निवेदन करना है कि कम से कम उस माणा प्राइमरी स्कूल को हायर सेकेन्डरी में बदला जाये। राजनीति के कारण उसको नहीं किया गया। मैं नहीं चाहता कि इसको बार बार दोहराऊं लेकिन मैं आशा करता हूं कि माणा को हायर सेकेन्डरी स्कूल में परिवर्तित किया जायेगा....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : अब जो माननीय सदस्य.....

श्री विजयपाल कटारा : मेरा यह सुझाव है कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी में भेजा जाये।

श्री उपाध्यक्ष : अब जिन माननीय सदस्यों ने नोट ऑफ डिसेन्ट दिया है वह बोल लें।

श्री मोतीलाल चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय........

श्री उपाध्यक्ष : आप उनके पश्चात बोल लें।

श्री मोतीलाल चौधरी : जिन्होंने नोट ऑफ डिसेन्ट दिया है वह इस बिल के प्रिंसपल से तो एग्री करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले उनको बोल लेने दीजिए।

श्री मोतीलाल चौधरी : उनकी तो पार्ट ऑफ दी रिपोर्ट है। उनका लिखा हुआ आ चुका है।

श्री उपाध्यक्ष : They should be given first chance

श्री मोतीलाल चौधरी : उनको चान्स नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उनको सलेक्ट कमेटी में मौका दिया जा चुका है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कम्पलसरी प्राइमरी एजूकेशन बिल जो हाउस में है और जिसके संबंध में विचार हो रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : थोडा संक्षेप रखें।

श्री मोतीलाल चौधरी : उसके संबंध में कहा गया कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिए भेजा जाये........

श्री उपाध्यक्ष : जितने भी माननीय सदस्य बोलें मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि समय को देखते हुए ५-७ मिनट के अन्दर अपने भाषण को सीमित रखने की कृपा करें।

श्री मोतीलाल चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही आदमी बोल रहा हूं, विरोध में उनके कि जिन्होंने यह मत रखा है कि इसको पब्लिक की ओपीनियन के लिए

(श्री मोतीलाल चौधरी)

भेजा जाये। मैं उनके भाषणों को सुन रहा था। मैं सोच रहा था कि आज १७ वर्ष की आजादी के बाद भी इस देश में कम्पलसरी एजूकेशन लाना चाहते हैं उसका भी विरोध क्यों कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे है ? मूल बात उनके भाषणों में थी कि कम्पल्सरी एजूकेशन जो हम फ्री करने जा रहे हैं उससे वह गरीब लोग शिक्षित होंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनका मतलब स्पष्ट समझ गया कि वह चाहते नहीं हैं कि गरीब लोगों को शिक्षा मिले। जो विरोधी पार्टी है जनसंघ के माननीय सदस्य हैं, स्वतंत्र पार्टी के माननीय सदस्य हैं, वह नहीं चाहते कि देश के अन्दर शिक्षा फैले। वह नहीं चाहते कि गरीब लोग पढ़े। वह गरीबों के नाम से राजनीति के दृष्टिकोण से उनको पीछे रखना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय. मैं आपके द्वारा उनको निवेदन करना चाहूंगा कि देश के अन्दर जब तक कम्पल्सरी एजूकेशन नहीं होगी उसमें जातिवाद रहेगा, अंधकार रहेगा, कन्ज़रवेटिव करेक्टर रहेगा। देश का किसान एजूकेट नहीं होगा तो हमारे यहां का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। आज जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो विदेशों के कई हवाले दिये जाते हैं अमेरिका, कनाडा और डेनमार्क का हवाला दिया जाता है। मैं एक देश का नाम बताऊं डेनमार्क का नाम हम लेते हैं। वहां पर सन् १८१४ में कम्पल्सरी एजूकेशन हो जाती है और १८२८ तक सारे आदमी एजूकेटेड हो जाते हैं और हम अपने यहां अनपढ़ आदमी रखकर प्रोडक्शन प्लान, कोऑपरेटिव प्लान या समाजवाद की बात करें तो यह देश के साथ में एक खिलवाड़ होगी। इसलिए मैं जब उनको सुन रहा था तो यह स्पष्ट था कि वह चाहते हैं वही पुराना तरीका। जब स्वतन्त्र पार्टी के नेताओं का राज्य था उस समय एजूकेशन नहीं फैलाना चाहते थे। भरतपुर से आनेवाले माननीय सदस्य श्री रामकिशन ने कहा कि इस बिल को पहले लाना चाहिए था। मैं भी कहता हूँ कि सरकार इस बिल को देरी से लाई है, इसलिए सरकार को इसके लिए उलाहना देना चाहिए। जो देश डेमोक्रेसी के सेट-अप में रहता है, जिसका सारा ढांचा जनतन्त्रवाद का हो गया, अगर वहां देश की जनता शिक्षित नहीं होगी, तो वहां डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। अगर हम समाजवाद लाना चाहते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं और जनतन्त्र कायम रखना चाहते हैं तो हमें किसानों को एजूकेट करना पड़ेगा। रहा सवाल खर्चे के बारे में, तो मैं निवेदन करूंगा कि यह स्पष्ट है कि हम फ्री एजूकेशन जब करना चाहते हैं तो फिर कहीं से भी लाएं यह दूसरी बात है। इसी हाउस में कई वर्ष पहले जिस समय हम जागीर रिज़म्पशन एक्ट पास कर रहे थे उस समय स्वतन्त्र पार्टी के सदस्यों ने यह नहीं कहा कि ५ से ७ गुना मुआवजा करेंगे तो कहां से लायेंगे इसके लिए पैसा। तब तो सत्याग्रह कर रहे थे कि २० गुना रहना चाहिए। हम कम्पल्सरी एजूकेशन करके लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं तो दुहाई देते हैं कि पैसा कहां से लायेंगे। मैं बताऊं कि पैसा ऐसी जागीरों को भी दिया है जिनको हक नहीं था लेकिन उसके बाद में उसको माना है। सरकार ने और जनता से उसको मान लिया। आज करोड़ों रुपये हम कम्पन्सेशन के देते हैं और कई प्रकार के

(श्री मोतीलाल चौधरी)

को पढ़ाने के लिए सरकार को सोचना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा और इसमें सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए । मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं और उन प्रस्तावों का विरोध करता हूँ ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें एक क्लॉज रखा हुआ है । इस सारे बिल को पढ़ने के बाद एक दृष्टिकोण मुझे साफ नहीं मिला कि गवर्नमेंट की एजूकेशन पॉलिसी क्या है, स्पष्ट कहीं नहीं है । किसी भी संस्था पर किसी प्रकार की कोई रुकावट करने के लिए कोई प्रोवीज़न नहीं है अगर पाकिस्तान के लोग प्राइवेट तौर पर रुपया भेजकर पाकिस्तानी धर्म की शिक्षा दें तो उसको रोकने के लिए कोई लॉ नहीं हैं । इसी तरह से कोई केथोलिक चर्च है या और कोई धार्मिक संस्थायें हैं वह इस देश की जनता को अलग शिक्षा देकर किसी प्रकार की व्यवस्था करना चाहें तो उनको कन्ट्रोल करने की आपके इस बिल में कोई व्यवस्था नहीं है । आज जो यहां चर्च की कई संस्थायें हैं जो शिक्षा देती हैं और अपनी क्राइस्ट की प्रार्थना में सिखाते हैं और उसी ढंग से शिक्षा देते हैं, उनको रोकने के लिए कोई कानून नहीं है । यह हमारे बिल में खामी है कि कम्पल्सरी एजूकेशन बिल के अन्दर उन संस्थाओं पर रोक लगाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । एक सेक्शन इसके अन्दर १० (बी) और (ई) रीज़नेबल एक्सक्यूज़ फोर नान-अटेन्डेन्स है । जो दूसरी धार्मिक संस्थायें हैं उनमें पढ़ाई सिलेबस के अनुसार नहीं है, मिशनरी स्कूल या धार्मिक स्कूल जो कि प्राइमरी स्कूल चलाते हैं तो सिलेबस कन्ट्रोल करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है बल्कि रीज़नेबल एक्सक्यूज़ के अन्दर उस संस्था को छोड़ देते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह ठीक है, हम मानते हैं कि विधान हर धर्म के लिए बराबर है, लेकिन जब वह सरकार के सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ाते हैं तो इस देश में किसी भी आदमी को धार्मिक संस्थाओं में पढ़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए और मैं सरकार से कहूंगा कि इस पर सोचे और इस क्लॉज़ को और कड़ा करे कि कोई भी शिक्षा संस्था शिक्षा दे तो वह वही पढ़ायेंगे जो कि सिलेबस गवर्नमेन्ट का होगा और फ्री पढ़ायेंगे । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने फ्री एजूकेशन का क्लॉज़ रखा है और सेक्शन १० में उनको फ्री छोड़ देते हैं कि कुछ स्कूल फीस लेकर, जैसे सेंटजेवियर है, सेंट एंजिला है या मेयो कॉलेज है उनके लिए छोड़ देते हैं कि वहां पर कोई पैसा देकर पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सकते हैं । मेरी मान्यता है कि जब आप कम्पल्सरी एजूकेशन लाना चाहते हैं तो दिमाग में यह स्पष्ट है कि इक्वेलिटी मिलने के लिए समाज के अन्दर किसी को अधिकार नहीं रहना चाहिए कि वह अपने लड़के को २५० रुपये देकर मेयो कॉलेज में पढ़ाये । अगर वह सदस्य कहे कि उनके बच्चे जीप में बैठकर स्कूल जाते हैं तो उसका गरीब बच्चों के लिए उपयोग करना चाहिए । अगर वह ऐसा करते

Page No.89

(मोतीलाल चौधरी)

तो मैं मानता कि उनकी भावना गरीबों के लिए है। लेकिन वह भावना उनकी नहीं थी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उनकी भावना थी कि गरीब बच्चों को पढ़ाया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(१२ मध्यान्ह)

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि सरकार कम्पलसरी एजूकेशन के लिए स्पष्ट करे कि कोई भी स्कूल में पढ़ाया जाय उनमें कोर्स १ से लेकर पांचवी क्लास तक वह पूरा एक हो और दूसरे किसी भी स्कूल में पढ़ाओ, मयो कॉलेज में या सेंटजेवियर में पढ़ाओ, उनके बारे में बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं। पैसे वाले के बच्चे हैं तो पैसे वाले भी समाज के आदमी हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। उनके पास एक्स्ट्रा पैसे हों तो सरकार को देदें शिक्षा के लिए।

इन शब्दों के साथ एक-दो बातें और कहने वाला था लेकिन समय की घंटी बज रही है। मैं यह कहूँगा कि इस बिल को पास करना चाहिए और जो भी कमियां हैं वह सरकार इसमें सुधार करे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ शर्मा।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मान्यवर, अप्रेल के महीने में हमारे सारे हिन्दुस्तान के शिक्षा मंत्री एक सम्मेलन में इकट्ठे हुए और वहां पर शिक्षा के बारे में एक पालिसी तय की गई है नेशनल इन्टिग्रेशन को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए, कि सारे के सारे स्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूल और युनिवर्सिटी एजूकेशन का एक स्टेण्डर्ड हो और सारे देश में एक भाषा के माध्यम से हम शिक्षा दें। और यह भी तय किया कि युनियन गवर्नमेंट अपने बजट का १० परसेन्ट शिक्षा के ऊपर खर्च करे और हरेक स्टेट गवर्नमेंट अपने बजट का २० परसेन्ट शिक्षा के ऊपर खर्च करे। आखिरी फैसला यह भी था, मान्यवर, कि फोर्थ फाइव ईअर प्लान तक सारी स्टेट्स में प्राइमरी कम्पलसरी एजूकेशन लागू हो जाय। अगर केस फैसले के मुताबिक हम देखें तो हमारा यह बिल टाइमली है। और मैं यह सोचता हूं कि मेरे से पहले बोलने वाले एक माननीय सदस्य ने यहां पर कहा कि शिक्षा के देने का मतलब यह मैं समझा कि राष्ट्र में एकता लाई जाय तो वहां पर प्राइमरी शिक्षा अलग अलग तरीकों से दी जाय, स्कूलों के अलग अलग कोर्सेज़ हों, अलग अलग तरीके और मैनर्स वहां पर सिखाये जायं और अलग अलग भाषा में वहां पर पढ़ाई हो, अलग अलग ड्रेसेज़ उनको पहनने का मौका मिले, तो सोशियल लाइफ उनकी जिस समाज के अन्दर वे पैदा हुए हैं और स्कूलों के अन्दर जो शिक्षा दी जाय इन दोनों में आपस में मेल नहीं है, तो वहां पर राष्ट्रीय एकता नहीं होगी।

मान्यवर, मेरी इसके बारे में धारणा

(श्री केदारनाथ)

है कि डेमोक्रेसी में हम यह नहीं सोच सकते और सोशियलिस्टक पैटर्न के मानने वाले हम रेजिमेन्टेशन आफ थॉट नहीं चाहते हैं और इस देश में यह चीज नहीं पनपने देना चाहते हैं, मगर साथ ही साथ हम यह भी बरदाश्त नहीं कर सकते कि समाज के नाम से, भाषा के नाम से, पैसे के नाम से,, कास्ट या क्रीड के नाम से, या प्रान्त के नाम से, एजूकेशन के स्टेण्डर्ड के नाम से सोशियल स्नोबरी पैदा हो। सोशियल स्टेटस सब का एक सा हो। जो बच्चे ६ से ११ वर्ष की उम्र के पांचवी क्लास के स्टेन्डर्ड में पढ़ाये जायं तो एक बच्चा तो वह है कि जिसके पैर में जूती भी न हो, फटे हुए कपड़े हों, घर में एक वक्त भोजन मिलता हो और दो मील का लम्बा रास्ता स्कूल जाने के लिए तय करना पड़ता है और कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कारों में आयें, अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण करें और उनको मैनर्स और हेबिट्स ऐसे सिखाये जायं जो उस समाज और देश की व्यवस्था से मेल नहीं खाते हों वहां पर आप बच्चों को पढ़ाने की फ्रीडम दें तो यह सोशियल स्नोबरी पैदा करते हैं और हमारी राष्ट्रीय एकता को बहुत बड़ा धक्का देते हैं। जिस समाज में वे बच्चे पैदा होते हैं उसकी भाषा को बोलते हैं, जिसका दूध पीते हैं, वे स्कूल में जाने के बाद उन मैनर्स को भूल जाते हैं, भाषा को भूल जाते हैं। उनको उस समाज के लिए हो तैयार करते हैं जिस समाज में वे बच्चे पैदा हुए हैं, उसके लायक बनें, ऐसी शिक्षा हो। आप देख लें खेल के मैदान में, जो लड़के होस्टल में रहते हैं उनकी होस्टल लाइफ को देख लें और उनको समाजी लाइफ को देख लें तो इनमें आपस में मेल नहीं खाता है, वह कॉन्स्टीट्यूशन के डाइरेक्टिव्ज से मेल नहीं खाती है और न जो सरकार ने लक्ष्य तय किया है उससे मेल खाती है। तो मेरी यह मान्यता है कि शिक्षा का स्टेन्डर्ड सारे हिन्दुस्तान में एक सा हो, किताबें कोर्स की एक सी हों, भाषा एक सी हो और ऐसे मेनर्स और मोरल्स वहां पर पैदा हों, सिखाये जायं, ऐसे इनक्लकेट हों, स्प्रिट ऐसी हो ताकि जो समाज-व्यवस्था हम लाना चाहते हैं उसमें सहायक हों। तो मैं अर्ज करूंगा कि राज्य में प्राइवेट स्कूल जो प्राथमिक स्कूल चल रहे हैं तरह तरह के तरीके के, कुछ सेक्शन्स के हैं, तरह तरह की कम्युनिटीज़ के चल रहे हैं उनको लाजिमी तौर पर बन्द करना पड़ेगा या एक स्टेण्डर्ड अपने साथ में लेना होगा।

दूसरी मुख्य बात यह है कि क्या इस बिल को पास करने के बाद सारे राजस्थान में हम प्राइमरी एजूकेशन को लागू कर सकेंगे ? इसका आधा खर्चा पंचायतों पर डाला गया है, पंचायत समितियों पर डाला गया है। मान्यवर, आपने खुद ने एक पंचायती राज स्टडी टीम कायम की थी उसकी रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया है कि ३६ पंचायत समितियों ने एजूकेशन सेस के नाम से टैक्स लगाया ताकि वह प्राईमरी एजूकेशन दे सकें। वह भी कामयाब नहीं हुई। रिक्वरीज़ नहीं हो सकीं। क्या आप सोच सकते हैं कि इस बिल के सेक्शन १७ और सेक्शन ५ हैं जिनके अनुसार सरकार ५० प्रतिशत खर्चा दे और ५० प्रतिशत पंचायत समिति अपने आप सेस के रूप में इकट्ठा करे और फिर कम्पल्सरी एजूकेशन लागू हो जाय, प्राइमरी

(श्री केदारनाथ)

तो मैं नहीं सोच सकता कि सादिकअली कमेटी की सिफारिशें मानने के बाद अच्छा फन्कशन पंचायतों का हो। उनको ज्यादा पॉवर्स मिलेंगे, लेकिन वह तभी हो सकता है जब कि आज के बिल में एजूकेशन सेस लागू कर सकेंगे और उसकी रिक्वरी करके ऐसे फण्ड्स पैदा कर सकें और अपने इलाके के बच्चों को जो ६ से ११ वर्ष तक की उम्र के हैं उनको प्राइमरी एजूकेशन दे सकें। इसलिए जब तक यह चीज नहीं होती तब तक मैं नहीं सोच सकता कि इस बिल का जो मक्सद है, सरकार की जो मन्शा है, वह इस बिल के मारफत नम्बर ऑफ सर्विसेज़ पे करना चाहती है व पूरा नहीं होगा।

तीसरी बात मैं, मान्यवर, आपके मारफत यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार राजस्थान में इस बारे में पॉलिसी तय करे, क्योंकि आज खर्चा १४ करोड़ के नजदीक और राजस्थान बना उस वक्त १ करोड़ ६० लाख का था। अगर उसकी लिस्ट को देखें तो राजस्थान बना तो कितने स्कूल की गिनती थी, कितने स्कूल में जाने वाले बच्चों की संख्या थी, कितनी संस्थाएं थीं। उनके आगे बढ़ गये हैं नम्बर के लिहाज से, क्वान्टिटी के लिहाज से बड़ा विस्तार किया है। सारे हिन्दुस्तान में छठा नम्बर है। मगर क्वालिटी की तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे तो मकसद जो है शिक्षा का कि जितनी छिपी हुई शक्तियां है हरेक बच्चे की, हरेक नागरिक की उनको मौका दें कि उनका विकास हो और उस विकास का फायदा समाज को मिले, विकास का फायदा राष्ट्र को मिले, और जो जिन्दगी व्यतीत करना चाहता है उसको मिले। मैं इस बिल की सिलेक्ट कमेटी का मेम्बर था। उसमें काफी बहस हुई और बहस होने के बाद मेरी यह धारणा है कि पंचायत समिति को न भेजकर सरकार की अपनी जिम्मेदारी है कॉन्स्टीट्यूशन के आर्टिकल ४५ के मातहत उस जिम्मेदारी को सरकार ले। पंचायत समिति शायद एजूकेशन सेस नहीं लगाये क्योंकि उसकी मजबूरियां हों और ५० प्रतिशत पैसा इकट्ठा नहीं कर सके क्योंकि आज गांव की हालत ऐसी है कि ४० परसेन्ट ऐसे हैं जिनको अपने बच्चों को एम्प्लाय करना पड़ता है, स्त्रियों से काम लेना पड़ता है। उनके लेबर का इस्तेमाल करने के बाद रोटी कमाते हैं। ऐसे समाज से आप सोचेंगे कि वह एजूकेशन सेस फी फेमिली २ रुपया दे ? मैं नहीं सोचता कि पंचायत समितियों से यह मकसद पूरा हो सकेगा। इसलिए हमारी सरकार जो इतना बड़ा खर्चा करने जा रही है इस मकसद को पूरा करने के लिए वह नहीं होगा। ऐसी हालत में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह ऐसी हालत पैदा करे, वातावरण भी पैदा करे कि पंचायत समिति एजूकेशन सेस लागू कर सके। अगर वह पैदा हो सके तो ठीक है। उसकी सरकार की जिम्मेदारी है।

६ साल से लेकर ११ साल तक के लड़के अनिवार्य रूप से शिक्षा ले लें यह सरकार की मंशा है वह पूरी होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय,........

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : बहुत ही संक्षेप में, २ ही मिनिट में। यह जो बिल आया है यों तो उसका हम स्वागत करते हैं, यह आज से १० साल पहले आजाना चाहिये था लेकिन देर आया दुरुस्त आया, सब कुछ होते हुए भी क्लाजेज़ १३ और १७ का हम समर्थन नहीं कर सकते। एक नजर से यह भारतीय संविधान के विरुद्ध भी पड़ता है, क्योंकि भारतीय संविधान कहता है कि निशुल्क शिक्षा दी जाय और दूसरी बात यह है कि पंचायत समितियों की यह स्थिति नहीं हैं वह इसका भार वहन कर सकें, इसलिये इस क्लॉज को बदल कर यह करना चाहिये कि पंचायत समितियों से पब्लिक कॉन्ट्रिब्युशन नहीं लेना चाहिये। किसी प्रकार यह बिल तो सदन से पास हो जायगा लेकिन जब तक इमारतें नहीं होंगी, साधन नहीं होंगे, सामान नहीं होगा तब तक क्या होगा ? मुझे तो यह लगता है कि शारदा बिल की तरह यह केवल पास होकर ही न रह जाय।

इसके साथ ही मुझे यह कहना है कि गांव के लोग बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहे तो जुर्माने का दण्ड रखा गया है, शायद ही कोई होगा जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता हो। नहीं पढ़ाने के पीछे भी एक कारण है। आज जो पढ़ाई है वह विलेज इकोनोमी के साथ मेल नहीं खाती इसलिये लोग अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते हैं, यदि वे पढ़ने भेजें तो उनकी खेती के काम में नुकसान होता है, इसलिये प्रायः गांव के लोग अपने लाभ को देखते हुए बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते। मैं संक्षेप में कहना चाहती हूं कि यदि हम पढ़ाई के समय को विलेज इकोनोमी के साथ बदलें अर्थात् जो खेती का समय नहीं होता है शाम का, उस समय स्कूल चालू करें और गर्मी के दिनों में छुट्टियें न करके गर्मियों में तो पढ़ाई कराई जाय और फसल के दिनों में छुट्टियों का प्रावधान किया जाय तो विलेज इकोनोमी के प्रतिकूल नहीं पड़ेगा क्योंकि आम किसान जानते हैं कि पढ़ाने से फायदा क्या होगा, जब बच्चे मिडिल पास हो जाते हैं तो वे खेती के काम के नहीं होते, उनको नौकरी चाहिये और सरकार नौकरी नहीं दे सकती। इसलिये इसमें सुधार करने की जरूरत है। पढ़ लिखकर वे काम धंधे में योग दें। यह नहीं कि ४ किताबें पढ़ कर नौकरी करें। इसलिये प्राइमरी एजूकेशन को विलेज इकोनोमी के अनुसार ढालें तो यह सफलतापूर्वक चल सकती हैं।

(एक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : अब समय तो नहीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ४५ मिनट ही रह गये हैं।

श्री अब्दुल जब्बार : मेरे स्पेस्फिक क्वेश्चन्स हैं दो तीन।

श्री उपाध्यक्ष : क्वेश्चन्स बाद में ले लेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मुझे तो एक ही मिनट बोलना है, मैंने अमेन्डमेंट भी दिया था।

Page No.93

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के सम्बन्ध में जो कई प्रस्ताव रखे और बहस के दौरान में राजस्थान विधान सभा में इस बिल के आने का स्वागत करीब करीब सभी माननीय सदस्यों ने किया। कुछ उलाहने भी दिये गये कि विधेयक को देर से लाया गया। यह बात ठीक है उपाध्यक्ष, महोदय कांस्टिट्यूशन के डाइरेक्टिव आर्टिकल ४५ के अनुसार प्रत्येक बच्चे को एजूकेशन से सम्पन्न हो जाना चाहिये था। मानना पड़ता है कि यह बिल देर से आया; लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह प्राथमिक शिक्षा या प्राइमरी एजूकेशन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, ऐसी स्थिति में इसके एक्सपेरिमेन्ट्स, इसके अनुभव हैं उनसे शिक्षा ली जा कर यह विधेयक लाना नितान्त आवश्यक समझा गया और आर्थिक परिस्थितियों के कारण भी यह आवश्यक था कि विधेयक यदि लाया जाय तो उसको लागू करने की क्षमता होनी चाहिए। अब तक उपाध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष में कम्पलसरी एजूकेशन के लिए आन्ध्र, पंजाब, मैसूर, गुजरात और मध्यप्रदेश प्रान्तों में विधेयक पारित किया जाकर उस पर कार्य किया जा रहा है। हमने उनके अनुभव को और विधेयक के प्रावधानों को देख कर यह प्रयत्न किया कि इस विधेयक की धाराएं सम्पूर्ण हों और उनमें गलती न रह जाय। इस बात की खुशी है कि विधेयक के सम्बन्ध में जो संशोधन आए हैं वे बहुत ही न्यून हैं, इससे यह संकेत मिलती है कि विधेयक अपने आप में सम्पूर्ण है और जहां तक प्रावधानों का सम्बन्ध है उसमें कोई दोष नहीं रह गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में दो ऐसी पहले रियासतें थीं जहां पर कम्पल्सरी एजूकेशन पहले से लागू थी, एक तो अजमेर और दूसरी बीकानेर। कम्पलसरी एजूकेशन इन दोनों रियसतों में लागू थी उनके एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियेन्स और वहां के कानूनों को ख्याल में रखा गया इस विधेयक को बनाने के सम्बन्ध में। सबसे ज्यादा हमको सहायता इसमें मिली है बड़ौदा से। इस रियासत में सन् १६२१ से कम्पल्सरी एजूकेशन रही। उनके एक्सपीरियेन्स का लाभ इस विधेयक को बनाने में हमें मिला। इस तरह इस विधेयक के प्रावधान अनुभव के आधार पर और दूसरे जो विधेयक अन्य प्रान्तों में बने हैं और लागू हुए हैं उनके अनुभव के आधार पर हमने बनाया है।

इसके साथ ही भारत सरकार ने एक मॉडल विधेयक इस सम्बन्ध में बनाया था उसके प्रावधानों और अनुभव से हमने इसको बहुत अच्छा बनाया है। मैं सिर्फ इसलिए निवेदन करना चाहता था कि यह बिल यदि देर से आया लेकिन इसके प्रावधान अनुभव के आधार पर हैं और ऐसे हैं जिनका किसी तरह से विरोध नहीं किया जा सकता।

माननीय सदस्यों ने दो तीन मुद्दे शंका की दृष्टि से उठाये हैं। पहला तो माननीय सदस्यों ने यह मुद्दा रखा है कि आखिर हम कम्पलसरी एजूकेशन लागू करने जा रहे हैं तो क्या सरकार इसको सम्भाल सकेगी आर्थिक स्थिति के आधार पर या नहीं? दूसरी शंका यह की गई है कि यह जिम्मेदारी हम पंचायत समितियों पर डालना चाहते हैं और यह आशंका है कि पंचायत समिति

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

की जो गति विधि और वर्तमान दशा है उसके आधार पर क्या पंचायत समितियां इस भार को वहन कर सकेंगी ? उनकी इन शंका में उपाध्यक्ष महोदय, वजन है और वजन इसलिए है कि कई माननीय सदस्यों ने अभी जो प्राथमिक शालाएं और प्राथमिक शिक्षा जो इस समय चल रही है उसके सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा, शिक्षकों के सम्बन्ध में कहा, शिक्षा की स्थिति के सम्बन्ध में कहा और रोष प्रकट करते हुए कहा कि पंचायत समितियों के हाथ में यदि यह प्राथमिक शिक्षा रही तो इसकी और अवनति हो सकती है और कुछ सदस्यों ने इसके विपरीत कहा और सरकार पर दोषारोपण किया और कहा कि सरकार रीति नीति हमको दे तो हम इसको सम्भाल सकते हैं। मैं इसकी कन्ट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। इसलिए नहीं जाना चाहता कि माननीय सदस्यों में से कई प्रधान है और कई प्रधान न होते हुए दूर से शिक्षा की गति विधि को देख रहे हैं। दोनों प्रकार के व्यक्तियों के अलग अलग अनुभव हैं। यह बात निश्चित है, उपाध्यक्ष महोदय, इसकी स्थिति विषम है या नहीं—इसके सम्बन्ध में मूल्यांकन करने के लिए नायक कमेटी का निर्माण किया है, और वह कमेटी, जहां तक शिक्षकों की स्थिति का, उनकी हालत में सुधार करने का प्रश्न है, पंचायत समिति के प्रशासन का क्या असर है विपरीत है या अच्छा है, इन सब प्रश्नों को समझने के लिए और तत्सम्बन्धी रिपोर्ट देने के लिए बनाई है। उस समिति की रिपोर्ट आ जाने के बाद एक ही प्रश्न रह जाता है कि उस समय हमें क्या निर्णय लेना है। पंचायत समितियों द्वारा संचालित और प्रशासित प्राथमिक शालाएं ठीक रूप से चल रही हैं या नहीं इसका इससे सम्बन्ध नहीं।

अब मैं दूसरे प्रश्न पर आना चाहता हूं, दरअसल यह डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल ऑफ कांस्टीट्यूशन जो इस विधेयक के माध्यम से हाथ में लिया जा रहा है, जिस दृष्टि से इस विधेयक को पारित करने जा रहे हैं उसके अनुसार हम पंचायतों, पंचायत समितियों की आर्थिक समस्या सुलझा कर आर्थिक स्थिति ठीक बना सकेंगे या नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट है, जहां इसमें ग्रान्ट इन एड का प्रावधान दिया गया है—उसमें, क्लॉज ५ के अन्तर्गत राज्य सरकार ने इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। यह बात स्पष्ट है, कि उसमें भाषा स्पष्ट नहीं है, उसमें कहा गया है—रेकरिंग एण्ड नॉन रेकरिंग कास्ट ऑफ व स्कीम राज्य सरकार from time to time as mad be determined पंचायत समिति को देगी। भाषा वैसे बहुत निर्मल हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें शंका माननीय सदस्यों की आती है कि दरअसल आर्थिक स्थिति पंचायत समितियों की इस प्रकार गडबड़ न हो जाय कि राज्य सरकार उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ न करे। इन शंकाओं का सिलेक्ट कमेटी के सम्मुख भी उल्लेख रहा और माननीय सदस्यों ने कई बार इसे रेफर किया। इस पर निर्णय लेने का प्रयत्न किया गया। इस स्टेज पर अब दो प्रश्न माननीय सदस्यों के सामने उपस्थित होते हैं-- एक तो डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल ऑफ

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

कान्स्टीटयूशन में यह दर्ज किया गया है कि राज्य सरकार इसे एएड्योर करेगी प्राइमरी एजूकेशन देने के सम्बन्ध में। इसको विधेयक के क्लाज ५ के अन्तर्गत रख कर ग्रान्ट इन ऐड देने की जिम्मेदारी को समझा है। और इसमें यह शब्द इस्तेमाल किये हैं। recurring and non-recurring cast of the scheme as it may, from time to time determine यह लिबरल है और लिबरल क्लॉज के अन्तर्गत पंचायत समितियों को ग्रांट-इन-एड देने का प्रावधान है और जो शंकायें माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई हैं उनका निराकरण करने के लिए इसका समावेश किया गया है। मैं यह कह सकता हूं जहां तक आर्थिक स्थिति का प्रश्न है, हमारी आशंकाएं हैं और आपकी आशंकाएं हैं लेकिन डाइरेक्टिव के अनुसार फ्री रूप से ग्रांट इन एड मिले, इसको सुचारु रूप से चलाने का प्रयास करेंगे और यह उद्देश्य इस क्लॉज से साफ मालूम होता है।

दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय, कई प्रश्नों पर माननीय सदस्यों ने कहा जैसे शिक्षकों की चयन, शिक्षकों की स्थिति और शिकायतें जो पंचायत समितियों में उत्पन्न होती है के सम्बन्ध में। मैं इस में किस पर दोषारोपण करूं--इस सम्बन्ध में मैं कुछ कह नहीं सकता। शिक्षकों का चयन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डिफेक्टिव हो सकता है लेकिन इनका पंचायत समिति एवं जिला परिषद् कमीशन के द्वारा चयन होता हैं अतः उनकी ही जिम्मेदारी है और राज्य सरकार इसके बीच में कहां तक आती है, कहां तक नहीं--यह स्वयं सिद्ध बात है। लेकिन प्रश्न इस बात का जरूर उत्पन्न होता है कि चयन के लिए अच्छे शिक्षक मिलें। यह प्रश्न बड़ा गहन और पेचीदा है और इसका सम्बन्ध राजस्थान से ही नहीं है बल्कि इसका सम्बन्ध सारे भारत से है क्योंकि प्रश्न स्टैन्डर्ड ऑफ एजूकेशन से है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, चयन होने के बाद में जो ट्रेनिंग होती है, एस. टी. सी. की ट्रेनिंग अथवा उससे समकक्ष कोई ट्रेनिंग--उससे हमारा अनुमान है कि जो शिक्षक ट्रेनिंग से जाते हैं तो वे इस ओर आगे बढ़ने के योग्य हो जाते हैं, उनमें शिक्षा प्रदान करने की क्षमता पैदा हो जाती है और उनके अन्दर एक गम्भीरता भी पैदा हो जाती है। इस ओर हम शनैः शनैः प्रगति करते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम शिक्षकों के ऊपर ही जिम्मेदारी डाल कर चलें कि शिक्षकों की वजह से शिक्षा ठीक नहीं मिल रही है--मैं समझता हूं यह उचित नहीं है बल्कि जिम्मेदारी समाज की भी है और शिक्षकों की भी है। समाज और शिक्षकों में परिवर्तन करना चाहिए अपने में। लेकिन आज कैसा भी शिक्षक हो, उसकी क्षमता कम हो तब भी वह आगे बढ़ सकता है। अब पंचायत समितियों में जाने वाले शिक्षकों में, यह बात सही है, कुछ अपने कार्य के प्रति उदासीनता है। ऐसा सम्भव है। साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत समितियों में इनके सम्बन्ध में अभी कोई उदार वृति उत्पन्न हुई है। वैसे यह कन्ट्रावर्सी का प्रश्न है इसलिए मैं इसमें विस्तार में नहीं जाना चाहता। इतना अवश्य मालूम होता है, जो शिक्षकों के सम्बन्ध में

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

उदारतापूर्वक या अनुदारतापूर्वक यहां पर कहा गया उससे एक संकेत मिलता है कि शिक्षकों के साथ यदि उदारता के साथ व्यवहार किया जाय तो वे प्रगति कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं।

दूसरे उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों में से कई सदस्यों ने एक चिन्ता व्यक्त की और वह चिन्ता उस शिक्षण संस्थाओं से सम्बन्धित है। मुख्यतः प्राइमरी एजूकेशन के सम्बन्ध में बात कही गई यह कहा गया कि शिक्षण संस्थायें ऐसी उत्पन्न हो रही हैं जिनका व्यवहार, जिनका शील, जिनकी शिक्षा अजीब सी है, जिनका मेल भारतीय जीवन से नहीं होता। यह ठीक है किन्हीं अंशों में। और उसके साथ ही यह भी कहा गया कि ऐसी संस्थाओं के ऊपर रोक लगा देनी चाहिए। यह चिन्ता का जरूर सवाल है और उन शिक्षण संस्थाओं के सम्बन्ध में ज्यादा चिन्ता करने का प्रश्न है, जो मिशनरी इन्स्टीट्यूशन्स की वजह से ज्यादा पैदा हो रही हैं और जिनका स्वार्थ निहित है अपने भरण पोषण का। ऐसी संस्थाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार भी चिन्ता कर रही हैं और वह कोई लेजिस्लेशन राज्य सरकारों को चेतावनी देने और सजग करने के सम्बन्ध में तैयार कर रही है। वह लेजिस्लेशन हमारे सामने आये, तब उसके सम्बन्ध में हम कुछ कदम उठा सकेंगे इतना ही इस समय कह सकता हूँ।

एक और चिन्ता व्यक्त की गई और मिशनरी स्कूल्स के सम्बन्ध में कहा गया कि यह शिक्षण संस्थायें हमारी संस्कृति और तवारीख के विपरीत शिक्षा देती हैं। यह धारणा, उपाध्यक्ष महोदय, गलत है और गलत इसलिए कि मिडल स्कूल के रूप में जो मिशनरी स्कूल चलते हैं उनका केरीकुलम और सिलेबस हमसे प्रतिपादित होता है............

श्री दलपतसिंह : एक सेकिंड के लिए इजाजत हो तो मैं बता दूं कि मिशनरी स्कूल्स में जो मानिंग प्रेअर होती है........

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैंने सम्पूर्ण नहीं किया। पूरा नहीं कहा।

श्री दलपतसिंह : क्या इंडियन बच्चों के ऊपर इस तरह की शिक्षा का प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं तो आपकी बात का उत्तर देने में आगे नहीं बढ़ा। आपकी शंकायें........

श्री उपाध्यक्ष : आगे कुछ बात कहना चाहते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : ६० प्रति शत इनमें अमीरों लड़के पढ़ने के लिए जाते हैं। गरीबों आदमियों के बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अभी तो सेमीकोलन है।

तो जहां तक सिलेबस का सवाल है तो हमारे डिपार्टमेंट से, अगर किसी संस्था के

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

लिए सिलेबस निर्धारित है वह उसमें नहीं हो तो वह रिकगनाइज नहीं किया जाता है। रिकगनीशन के लिए हमारा सिलेबस और केरीकुलम होना आवश्यक है। क्योंकि ग्रान्ट इन ऐड हमारे विभाग से लेनी पडती है, इसलिए इन ग्रान्ट इन ऐड लेने वाली संस्थाओं, ख्वाह वह मिशीनरी के द्वारा संचालित संस्थायें हों या और कोई हों, रिकगनीशन हमसे कराना पड़ता है और सिलेबस निर्धारित करना पड़ता है। इसलिए यह शंका निमूर्ल है।

रहा सवाल यह कि कुछ फंक्शन्स दूसरे कराये जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए अर्ज करना चाहता हूँ कि मुझको वे सिर्फ प्रावधान बता दें, हिन्दुस्तान के कॉन्स्टीट्यूशन में जिसके आधार पर ऐसी संस्थाओं को रोका जा सकता है। एक तरफ हमारा कॉन्स्ट्यूशन कहता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स है और फ्रीडम ऑफ रिलीजन होने की वजह से हम कोई बाधा नहीं पहुंचा सकते क्योंकि धर्म का प्रश्न वालियन्टरीली एक्सेप्ट करने का है। धर्म चाहे जो स्वीकार करें। ऐसी स्थिति में अगर वह राष्ट्रगीत गाते हैं, अपनी संस्था में गाते हैं वह हिन्दुस्तानी हैं और उसके साथ अपने मिशन का कोई गीत गाते हैं प्रार्थना करते हैं, तो इसके विरोध में कोई प्रावधान अभी हिन्दुस्तान के कॉन्स्टीट्यूशन में मुझे नहीं दिखा जिससे इस ओर कदम उठा सकें। मैं जानना चाहता हूँ...........

श्री दलपतसिंह : ऑन ए पाइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन, सर...........

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह कान्स्टीट्यूशन की धाराओं का उल्लेख करते हुए....

श्री दलपतसिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, सर........

श्री निरन्जननाथ आचार्य : I will not like to be disturbed Sir.

श्री दलपतसिंह : डिस्टर्ब नहीं करता, मैं तो आपके कन्टीन्यूशन में प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : Which continuation ? Continuation is mine..

श्री दलपतसिंह : आप संस्कृति का निर्माण करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में जो भारतीय संस्कृति की शिक्षा नहीं दे सकते हैं उनको रखने से क्या फायदा है........

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : आप कहीं हमारी भारतीय संस्कृति से परे न चले जाइए ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : I am in poesession of the floor please resume.. माननीय सदस्या कॉन्सटीट्यूशन को बहुत जानती हैं। प्लीज रिज्यूम। मैं यह सिर्फ कहना चाहता हूं कि आपने जो सुझाव दिया है वह बहुत अच्छा सुझाव दिया है और मैं आपके सुझाव की तारीफ करता हूं। आपने कहा कि कहीं हमारी भारतीय संस्कृति से परे न चले जावें। मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि आप सुझाव दें लेकिन यह जो कॉन्सटीट्यूशन

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

की धारा है उसके विपरीत अगर जाते हैं तो कदम उठाया जा सकता है। आपने यह प्रश्न उठाया कि उनके जो सिलेबस चलते हैं उनको रोक दिया जावे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जैसा माननीय सदस्य कॉन्सटीट्यूशन की धारा का बयान करते हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि कॉन्सटीट्यूशन की धारा में यह भी प्रोविजन है कि १५ साल के बाद अंग्रेजी नहीं चलनी चाहिये। मगर उसके बाद भी आज तक अंग्रेजी चल रही है। आप यह कह दें कि यह कॉन्सटीटयूशन में नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य: I am not supposed to be interrupted. He has no right to !nterrupt, Sir.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप भी इस बात का ध्यान रखिये कि कोई कहने के लिये खड़ा हो तो आप बैठ जाएं। आप ही आप कॉन्सटीट्यूशन के माहिर हो रहे है कॉन्सटीटयूशन में यह लिखा है कि १५ साल के बाद अंग्रेजी नहीं होनी चाहिये हमारी भाषा मगर फिर भी चलती है। इसलिये आपको इस प्रकार से गलत बात नहीं कहनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री निरंजननाथ आचार्य से) आप प्रारंभ रखिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, गरीब आदमियों के बच्चों को वहां पर फ्री एजूकेशन नहीं मिलती है। इसलिये ऐसा प्रबन्ध किया जाना चाहिये कि वहां पर गरीब व्यक्तियों के लड़कों को फ्री एजूकेशन दी जाए और अगर ऐसे स्कूलें जो गरीबों को फ्री एजूकेशन नहीं देती है तो उनको आपकी तरफ से दी जानेवाली एड बन्द कर दी जावे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह अप्रूव्ड स्कूलों को राज्य सरकार सहायता देती है। अगर ऐसी स्कूल में कोई बात होती है तो उस वक्त प्रश्न हल किया जा सकता है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता को समझता हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप नहीं समझते हैं तभी तो यह कहना पड़ता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप तो नहीं समझते मगर में समझता हूं। आपके बनेडा से अगर मैं नहीं बैठता तो आपको नहीं निकलना पड़ता। आज आप मुझे बचाने खड़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विषयान्तर न हों।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब नहीं जाऊंगा।

मैं निवेदन कर रहा था कि राज्य सरकार इस संबन्ध में बहुत सतर्क है। हमने चिन्ता भी की है और हम इस ओर कदम भी उठाना चाहते हैं बशर्ते कि कॉन्सटीट्यूशन के विरुद्ध नहीं हो। हमारा लॉ डिपार्टमेंट विचार करता है कि कहीं कॉन्सटीट्यूशन के विपरीत नहीं चले जावें। हम बराबर इसके लिये चिन्तित हैं और इसके लिये कोई माननीय सदस्य चिन्तित हैं तो उनकी चिन्ता के आधार पर लावेंगे....

श्री गिरधारीलाल व्यास : जो विधेयक लाने वाले हैं उनके सब के बच्चे तो वहां पर पढ़नेजाते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बच्चे पढ़ते है उसका तो हम और आप क्या करेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : तो ऐसी हालत में कोई विधेयक आने की सूरत नहीं है।

श्री दलपतसिंह : प्रेयर्स तो वहीं कम्पलसरी कराते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हमारी जो मान्यताए हैं उनसे परे चलते हैं तो ऐसी संस्थाओं को ग्रान्ट नहीं देते हैं।

श्री दलपतसिंह : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर। आपने प्रेयर के रिलीजियस मेटर को लेकर कॉन्सटीट्यूशन पॉइन्ट का हवाला दिया लेकिन यह कम्पलसरी नहीं रख सकते हैं। आप मिशन स्कूलों को एड देते हैं। ऐसी हालत में इन मिशन संस्थाओं को....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आपका कहना यह है कि आप ऐसी संस्थाओं को....

श्री दलपतसिंह : आप सुन ही नहीं रहे हैं। यह तो बडे रंज की बात है। उनको प्रार्थना जबर्दस्ती कराई जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रार्थना अगर जबरदस्ती कराई जाती है तो इस बात को ध्यान में लाया जावे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : कम्पलसरी प्रेयर है।

श्री दलपतसिंह : आप मिशनरी स्कूलों को एड देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : That is for the parents to make complaints about it- (Pause) Now let him speak-

श्री निरंजननाथ आचार्य : That is not......

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! यह आवश्यक है। सरकार इसको ध्यान में रखेगी। गवर्नमेंट मनी उनको देती है।

श्री विजयसिंह झाला : Point of order, sir क्या राजस्थान सरकार यह उपयुक्त नहीं समझती कि इन स्कूलों के चलाने का एक सा स्टेन्डर्ड होना चाहिये इसके लिये राजस्थान सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : तो मैं यह अर्ज कर रहा था........

श्री विजयसिंह झाला : मैंने जो इनफोर्मेशन मांगी है उसका कोई उत्तर नहीं आ रहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : I am not bound by it.

श्री विजयसिंह झाला : No. You are bound.

Page No.100

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब माननीय मंत्री अपने भाषण के दौरान में दे देंगे।

श्री विजयसिंह झाला : मंत्री महोदय कहते हैं कि मैं बाउन्ड नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वे देंगे।

श्री विजयसिंह झाला : इनकी जिद्द की आदत है इसको जरा भुला दीजिये साहब।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह आपत्ति उठाते हैं कि गरीब के बच्चे जो एक गरीब किसान का लड़का है और वह पढ़ने के लिये चला जावे तो माननीय सदस्यों ने जो बातें कही कि उसको वहां पर नहीं लिया जाता है उसके संबन्ध में समस्या उठाई। माननीय उपाध्यक्ष, इसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां दो क्लॉज हैं, क्लॉज १० और क्लॉज १२ इन दोनों क्लॉजों में इस समस्या का प्रावधान है। In clause 12, there is a special provision for parttime education in certain cases. दिन में उनको फुर्सत नहीं मिलती है तो रात के वक्त....

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत के बैठे बैठे कुछ बोलने पर)

श्री निरंजननाथ आचार्य : No you cannot speak while you are sitting.

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उप-मंत्री इस तरह डांट नहीं सकते।

(हर्षध्वनि)

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप उप गृह मंत्री हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो गलती हो गई।

दूसरा प्रोवीजन है क्लॉज १० में है। माननीय सदस्य समझ गये होंगे। इसमें (एफ) है उसमें भी इस समस्या को लिया गया है। इसलिये जो एतराज माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये हैं उनका समाधान इसमें मिलता है। ऐसा कोई आदमी का लड़का हो, कहीं चला जावे such other circumstances as may be prescribed. मैं दूसरी बात अर्ज कर रहा हूं कि इन स्कूलों को बन्द किया जावें और प्राइमरी एजूकेशन, हायर सेकन्डरी एजूकेशन को अधिकाधिक बढ़ाया जावे। माननीय उपाध्यक्ष, यह दोनों साथ साथ चलने के योग्य हैं। एक दूसरे से अलग नहीं की जा सकतीं। अगर युनिवर्सिटी एजूकेशन बन्द कर दी जावें तो प्रोफेसर कैदार अपनी अलग सम्मति रखेंगे....

श्री रामकिशन : आप पूरी बात नहीं कहते हैं। आप अधूरी बात कहते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यूनिवर्सिटी अपनी क्षमता रखती है। हायर एजूकेशन के सम्बन्ध में हम संसार से मुकाबला

(श्री निरन्जनलाल आचार्य)

करने जा रहे हैं। हम अपनी सीमाओं को बांधना नहीं चाहते हैं। यहां सारे भारतवर्ष के स्टूडेंट्स शिक्षा ग्रहण करने के लिए आएंगे। यहां के वैज्ञानिक बाहर जायं, डिस्कवरीज़ करें, इन्वेन्शन्स करें। इस पर सारे भारतवर्ष की प्रगति आधारित है, उसे बन्द कर दिया जाय तो मैं उचित नहीं समझता। फिर भी इस बिल के स्कोप के अन्तर्गत यह नहीं आता। मैं समझता हूं कि शिक्षा में दिलचस्पी रखने वाला व्यक्ति इस यूनिवर्सिटी के विस्तार को रोकने के बारे में कोई नहीं सोच सकता। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान दिया जाय और जैसी प्रगति हमारी चल रही है वह हमारी आर्थिक विवशताओं और सामाजिक विवशताओं के बावजूद भी हमें उस पर संतोष है।

दूसरी ओर माननीय सदस्यों ने शिक्षकों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा और यहां तक कहा कि उनमें बेचैनी है। उसका आधार उन्होंने बताया कि उनकी वेतन श्रृंखला कम है। जैसा मैंने निवेदन किया, राजस्थान में जो शिक्षकों की वेतन श्रृंखलाएं हैं उनके सम्बन्ध में हमें थोड़ा सा संतोष है कि अन्य प्रांतों की अपेक्षा अधिक अच्छी है। और हमारी वेतन श्रृंखलाओं को देखकर दूसरे प्रान्तों के शिक्षक हमारा उदाहरण देते हैं। मैं उन वेतन श्रृंखलाओं को माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यहां रखना चाहता हूँ। हमारे यहां प्राइमरी टीचर्स मिडिल पास अन्ट्रेन्ड ८५-१४०, मैट्रिक ट्रेन्ड को ६०-५-१७०, पंजाब में जूनियर ट्रेन्ड को ५०-६०, सीनियर ट्रेन्ड को ६० आगे चलकर १०० तक, यू. पी. जो हमारा पड़ौसी प्रान्त है वहां जूनियर अन्ट्रेन्ड को ४०, जूनियर ट्रेन्ड को ५०, आगे चलकर ६० तक, सीनियर ट्रेन्ड ५६; मद्रास में जूनियर टीचर को ५५ रुपये और हायर एलीमेंटरी टीचर को ६५ से स्टार्ट होती है। केरल से भी हमारी वेतन श्रृंखलाएं अधिक हैं। तो जैसा मैंने निवेदन किया, हमारी वेतन श्रृंखलाएं बाहर के लिए अनुकरणीय हैं। यह असंतोष का कारण नहीं है। असंतोष के कारण प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों के कई हैं और उस पर कई माननीय सदस्यों ने बराबर प्रकाश डाला है। ये पंचायत समितियों के पास रहें, या सरकार के पास रहें मेरा ख्याल है कि उस पर न कभी निर्णय लिया जा सकेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। मेरे ख्याल से माननीय झाला के दो अमेंडमेंट्स हैं। एक का मैंने उत्तर दिया। दूसरे में यह है कि इस कम्पल्सरी एजूकेशन को सारे राजस्थान में लागू कर दिया जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : एक व्यवस्था का सवाल है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जहां मिनिस्टर भी खुद मौजूद हो, वहां डिप्टी मिनिस्टर इस तरह से बात नहीं करता। इसलिए मिनिस्टर की प्रेज़न्स में डिप्टी मिनिस्टर को कोई भी ओथारटीटेटिव आश्वासन देने में दिक्कत होती है। कितनी बार माननीय सदस्यों ने आश्वासन की मांग की हैं, लेकिन वह आश्वासन देने में असमर्थ हैं। अगर शिक्षा मन्त्री यहां न हो तो संभव है कि जो सही बात है उस बारे में डिप्टी मिनिस्टर आश्वासन दे सकते हैं। तो इसके लिए सही व्यवस्था होनी चाहिए।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

मैं समझता हूं कि यह सदन के लिए अच्छा होगा यदि शिक्षा मन्त्री इसको पॉइंलट करें ताकि सदस्यों की जो सही मांग है उसके लिए वह उनको स्वतन्त्र रूप से आश्वासन दे सकें। ऐसी हालत में उपमन्त्री महोदय व मन्त्री महोदय के लिए अच्छा होगा कि आपस में बात करके निर्णय करें।

श्री उपाध्यक्ष : जो आपत्ति माननीय श्री ज्वालाप्रसादजी ने पेश की है उसके विषय में मै आपका ध्यान रूल्स की तरफ आकर्षित करता हूं जिनमें लिखा है कि : Minister means a member of the council of Ministers or a Dy. Minister. तो यूं कहा जा सकता है कि डिप्टी मिनिस्टर एक प्रकार से मिनिस्टर की आत्मा है। वह आत्मा बोल रही है।

श्री विजयसिंह झाला : श्री निरंजन नाथ आचार्य, श्री हरिभाऊ उपाध्याय की आत्मा नहीं है। यह तो बिल्कुल अस्वाभाविक है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने जो रूल कोट किया है कि ...

श्री विजयसिंह झाला : आपकी नेचर और उनकी नेचर में बहुत फर्क है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : (श्री झाला से) आत्मा परमात्मा, आप तो बैठो। आपने जो रूल कोट किया उस सिलसिले में और लिखा है....

श्री निरन्जननाथ आचार्य : This is all frivolous. He is canvassing the observations of the Chair. He should not be allowed.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सवाल यहां प्रोप्राइटी का है। उस प्राप्राइटी के सिलसिले में और लिखा है : In the absence of a Minister, a Dy. Minister can speak on behalf of a Ministsr for such purposes. .

श्री उपाध्यक्ष : क्योंकि सदन की परम्परा यह है कि प्रश्न के समय मिनिस्टर्स के होते हुए भी डिप्टी मिनिस्टर्स उनकी तरफ से जवाब देते हैं, उसका अर्थ यह है कि विभाग की दृष्टि से मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर में कोई फर्क नहीं है, इसलिए रूल्स में इस प्रकार की बात लिखी है और यह आपत्ति की बात नहीं है, जोइन्ट रेस्पोन्सिबिल्टी की बात है। विभाग में जिस प्रकार से कार्य विभाजन किया गया हो उस प्रकार से संभव है कि डिप्टी मिनिस्टर को संसदीय कार्य के लिए नियुक्त कर दिया गया हो, तो इसलिए इसे मानकर ही चलना पड़ता है कि यह सम्मिलित रेस्पोन्सिबिल्टी है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जब तक आज का बिज़नेस खत्म न हो जाय, इस सदन का समय आगे बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या इस सदन की मन्शा है कि जब तक आज की कार्यवाही पूरी न हो जाय तब तक सदन का समय बढ़ाया जाय ?

(दोनों पक्ष से हां की आवाज)।

(श्री अध्यक्ष)

सदन का समय आज की कार्यवाही समाप्त होने तक बढ़ाया गया । I think, the Hon. Members are not very much worried about their lunch.

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : किसी काम के लिए उपमन्त्री के पास जाते हैं तो वह बहाना करते हैं कि दा साहब के पास जाओ....

श्री उपाध्यक्ष : That is all out of order.

श्री रामकिशन : १५ मास्टरों के ट्रांस्फर की लिस्ट थी, उन्होंने कह दिया कि दा साहब के पास जाओ ।

श्री मोतीलाल चौधरी : I have to raise a point of order, Sir. इस हालत में सिलेक्ट कमेटी का चेयरमेन डिप्टी मिनिस्टर था, तो वह कैसे इस बिल को पॉइलट करेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : इस सदन के अन्दर जिस प्रकार से परम्परा रही है उसमें कोई ऐसी बाधा नहीं है कि सिलेक्ट कमेटी का चेयरमेन बिल को पॉइलट नहीं कर सकेगा । इसलिए मैं कार्य कि व्यवस्था के अनुसार इस पॉइंट को रूल आऊट करता हूं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह बिल जहां तक पारित करने का सवाल है, ये ४ धाराएं कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं हैं । नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य का एमेंडमेंट है कि इस बिल को सारे राजस्थान के लिए लागू कर दिया जाय । एक तरफ आशंका की जाती है कि फाइनेन्शल इम्पलीकेशन्स इतने हैं कि राजस्थान सरकार वहन नहीं कर सकेगी और दूसरी ओर विचार रखा जाता है कि इसे सारे राजस्थान के लिए लागू कर दिया जाय । जैसा मैंने निवेदन किया, हम इस बिल को अपने अनुभवों के आधार पर चलाना चाहते हैं । हमें इसके फाइनेन्शल इम्पलीकेशन्स को समझकर चलना चाहिए । इसलिए इस बिल के जो सेलीएंट फीचर्स हैं, उनको सरकार जब भी लागू करना चाहे, लागू कर सकती है । Not at once Sir. As the Govt. may think proper. तो इस प्रावधान रखने का यह अर्थ नहीं कि हम उसे कहीं पोस्टपोन करना चाहते है, लेकिन उसके साथ ही....

श्री विजयसिंह झाला : पॉइंट ऑफ ऑर्डर । क्लॉज-बाई-क्लॉज डिस्कशन हो रहा है और अमेंडमेंट्स मूव हुए नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : वह जनरल प्रकाश डाल रहे हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : साथ ही हमने लिखा है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में उचित समझें, उसमें लागू करें । ऐसी स्थिति में यदि किसी माननीय सदस्य को यह मान्यता हो कि सारे राजस्थान पर लागू कर दिया जाय, तो यह उचित नहीं और न सार्थक ही हो सकता है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह तो बिल की स्प्रिट के बाहर है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर !!

श्री निरंजननाथ आचार्य : इन समस्याओं के अतिरिक्त जो और समस्याएं यहां उठी हैं, माननीय सदस्यों ने जो शिक्षकों के सम्बन्ध में उदाहरण दिए हैं, उनकी जानकारी लेकर ही मैं निराकरण कर सकूंगा। दूसरी आशंकाएं शिक्षकों के जीवन स्तर के संबंध में, उनकी विषमताओं के सम्बन्ध में, व्यक्त की गईं, वे मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं, न वे इस बिल के स्कोप के अंतर्गत हैं। इसलिए यह प्राथमिक शालाओं के सम्बन्ध में या प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में नीति का सवाल है, यह भी आगे का विषय है। मैंने मूलतः जो आशंकाएं माननीय सदस्यों ने उठाई हैं इस बिल पर विचार करने के सम्बन्ध में, उसका मैंने निराकरण किया और मैं समझता हूं कि इन शब्दों के साथ माननीय सदस्यों को सन्तोष हो गया होगा।

जहां तक सैद्धांतिकता का संबंध है, उनकी भावनाओं का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य बाढ़दार ने जिन पर प्रकाश डाला है वह विषय सिद्धांतों का बहुत ऊंचा है, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। इन प्रश्नों को कभी हम आपस में बैठकर तय करेंगे। तो मेरा निवेदन है कि इस बिल को विचारार्थ लिया जाय और जो माननीय सदस्यों की समस्याएं हैं उनका मैंने यथा शक्ति निराकरण करने का प्रयत्न किया।

श्री उपाध्यक्ष : (अनेक माननीय सदस्यों के उठने पर) Order please! I am putting the Question.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्तुत विधेयक में जनमत जानने के लिए आए हैं उन्हें पारित किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्तुत विधेयक में प्रवर समिति को सौंपने के लिए आए हैं, उन्हें पारित किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गए

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड २ से लेकर खंड ४ तक पारित किए जायं।

(स्वीकृत)

खंड २, ३ और ४ प्रस्तुत विधेयक पारित हुए तथा बिल के अंगभूत बने

(विराम)

Page No.105

खंड ५, श्री विजयसिंह झाला ।

I will request the Hon. Member to be brief.

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) :

[संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है —

Clause 5 be replaced by the following :—

"5. All kind of expenditure on the Education Scheme sanctioned under sub-section (4) of section (3) or prepared under sub-section (1) of section 17 shall be borne by the State Government."]

इसके अंदर प्रावधान है कि शिक्षा अधिकारी अपनी योजना किस क्षेत्र के लिए कम्पल्सरी एजूकेशन देने के लिए प्रस्तुत करेंगे, उसमें मेरा सुझाव है कि जितना भी व्यय हो वह सारे का सारा सरकार द्वारा वहन किया जाय । अभी इस बारे में बहुत से सदस्य बोले । मैं समझता हूं कि पंचायतें इस पोजीशन में नहीं हैं कि जो कुछ खर्चा हो सारा खर्चा चलाएं । अतः मैं समझता हूं कि जो वैधानिक अधिकार है संविधान के अंदर कि प्रत्येक बच्चे को प्राइमरी एजूकेशन फ्री दी जायगी, उस अधिकार से उनको वंचित रखा जायगा । सरकार इस खर्चे के वहन करने की जिम्मेदारी अपने पर नहीं लेती है तो ऐसी हालत में मेरा संशोधन है कि यह सारा खर्चा सारे का सारा सरकार द्वारा होना चाहिए ।

अतः मैं क्लॉज ५ में अमेंडमेंट मूव करूंगा कि क्लॉज़ ५ Clause 5 be replaced by the following:—

"All kind of expenditure on the education scheme sanctioned under sub-section (4) of section (3) or prepared under sub-section (1) of section 17 shall be borne by the State Government".

श्री निरंजननाथ आचार्य : जैसा मैंने निवेदन किया, यह क्लॉज़ ५ बहुत लिबरल है:
'recurring and non-recurring cost of the scheme as it may, from time to time determine' राज्य सरकार इस प्रश्न पर स्वयं चिंतित है । फिर भी आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए हमने लिखा है कि as it may, from time to time, determine. यह लिबरल क्लॉज़ है । आर्थिक समस्याओं को देखते हुए सरकार ग्रांट-इन-एड नियत करेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ५ में माननीय झाला ने प्रस्तुत किया है उसे पारित किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

श्री विजयसिंह झाला : आवाज मेरी ज्यादा थी ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खंड ५ में जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे पारित किया जाय ।

(अस्वीकृति)

'ना' पक्ष जीता ।

श्री विजयसिंह झाला : 'हां' पक्ष जीता ।

(१.०० म० प०)

श्री उपाध्यक्ष : जो हां पक्ष वाले हैं वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जायं ।

(अपने अपने स्थान पर खड़े हुए)

'ना' पक्ष जीता ।

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ५ पारित किय जाय ?

(स्वीकृति)

खण्ड ५ पारित किया गया और बिल का अंगभूत हुआ ।

(विराम)

क्लॉज ६ से लगा कर....

श्री अब्दुल जब्बार : क्लॉज़ ६ पर मुझे बोलना है उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका अमेन्डमेंट नहीं है ।

श्री अब्दुल जब्बार : अमेन्डमेंट नहीं है लेकिन बोल तो सकता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : डिलीट के रूप में बोल सकते हैं ।

श्री अब्दुल जब्बार : डिलीट करने के रूप में ही बोलता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि लोकल गवर्नमेंट संस्थाओं में, म्युनिसिपल बोर्ड इत्यादि में इस प्रकार की व्यवस्था है कि बर्थ रजिस्टर होते हैं जहां जन्म, मृत्यु को लिखाया जाता है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य काफी मुख्तसर में बोलें ।

श्री अब्दुल जब्बार : मैं सही और मुख्तसर और एप्रोप्रियेट रूप में ही रख रहा हूं । मैं सरकार का बहुत सा एक्स्पेन्डीचर बचाना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : Please don't define your briefness.

श्री अब्दुल जब्बार : उपाध्यक्ष महोदय, म्युनिसिपल बोर्ड में वर्थ इन्डेक्स रजिस्टर मेन्टन किये जाते हैं। पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों में भी मेन्टन किये जा रहे हैं। एजूकेशन ऑथोरिटी को इसके लिए क्यों रखा जाय :

They are supposed to prepare a list of childern who are to go for eduction at the age of five or six years.

ऐसी सूरत में पांच साल के बच्चे को स्कूल भेजने के लिए मां बाप को पाबन्द करने के लिए म्युनिसिपेलिटी या ग्राम पंचायत या पंचायत समिति की ओर से ही क्यों न नोटिस दिला दिया जाय जिससे एजूकेशनल ऑथोरिटी और उसके स्टाफ को रखने का खर्चा बच जावेगा। इसमें सुविधा रहेगी। मद्रास में भी ऐसी व्यवस्था है। मिनिस्टर महोदय ने मद्रास स्टेट की दुहाई दी उसमें भी है।

Just after the completion of five years the guardian or a father is bound to report that my son has completed five years, and he is bound to send his son for education.

इसलिए मेरा विरोध है इस रूप में इस क्लॉज़ को रखने का। इसको डिलीट किया जाय तो अच्छा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्लॉज ६ के पीछे जो इन्टेन्शन है वह कॉन्शियसनेस पैदा करने का है। हमारे प्रान्त में और मद्रास प्रान्त में बड़ा फर्क है उपाध्यक्ष महोदय। एजूकेशनल और सोशियल कॉन्शियनेस पैदा करने का इसके प्रावधानों द्वारा संकेत किया गया है। हमारा एजूकेशनल अफसर वहां जाय या अपने असिस्टेन्ट को वहां भेजे। वह नाम पूछे और दूसरी उनसे बात करे उस से उनमें कॉन्शियसनेस पैदा होगी। उसको नोटिस दे दिया जाय और उसके पास जाकर नाम नोट किया जाय इसमें बड़ा फर्क है उपाध्यक्ष महोदय। इस ओर हमारे प्रयत्न बढ़ते हैं तब ही कॉन्शियसनेस पैदा होती है। मद्रास की इस दृष्टि से दुहाई देना उचित नहीं है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है एजूकेशन की दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ६ से लेकर १४ तक पारित किये जायं ?

श्री अब्दुल जब्बार : १४ पर बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : I have now put the question already :

(स्वीकृत)

क्लाज ६ से १४ तक स्वीकृति हुई तथा विधेयक में अंगरूप से जोडी गई।

(विराम)

क्लाज १५

श्री विजयसिंह झाला : मेरा इस पर छोटा सा संशोधन है उप मंत्रीजी उसको स्वीकार करेंगे। संशोधन इस प्रकार है :—

"At the end of sub-clause (1) the following words be added :—and the books, state and school dress shall also be distributed to each chiid free of cost by the state Government."

आपने इसके अन्दर ऐसी धन-राशि रखी है। पुस्तकें सप्लाई की जायगी आप इसको स्वीकार कर लें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं इसको स्वीकार नहीं करता।

श्री विजयसिंह झाला : आप खड़े होकर तो जवाब दें। बैठे २ ही जवाब दे रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : खंड १५ (ए) में जो प्रस्तुत संशोधन है उसको स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १५ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज १५ स्वीकार किया गया और बिल का अंगभूत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६ से लेकर २४ तक स्वीकार किये जाय ?

श्री अब्दुल जब्बार : २५ पर मुझे बोलना है। क्लॉज २५ इतना खतरनाक है।

श्री उपाध्यक्ष : All right.

प्रश्न यह है कि खंड १६ से लेकर २४ तक स्वीकार की जाय ?

(स्वीकृत)

खंड १६ से लेकर २४ तक स्वीकार की गई तथा बिल का अंगभूत हुई।

(विराम)

खंड २५

श्री अब्दुल जब्बार : खंड २५ में है।

Power to exempt : If the State Government is statisfied that it is necessary and expedient to do so in the public interest or that circumstances exist which render it necessary so to do, it may, by notification in the official gazette, exempt any class of persons or any community in any specified area from the operation of all or any of the provisions of this Act.

(श्री अब्दुल जब्बार)

आप कम्पलसरी एजूकेशन कर रहे है या राह तलब बात कर रहे हैं। देश को सुधारना चाहते हैं, मोल्ड करना चाहते हैं। देश के करेक्टर को, प्रोग्रेस को जिससे हमारे देश का नाम ऊंचा हो। वेक वर्ड एरिया को उठाना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं। हर एक नागरिक को, पिता को, संरक्षक को आप इस बिल के जरिये बाध्य करना चाहते हैं कि वह अपने बच्चे को स्कूल भेजे। सोसाइटी बनती है वह व्यक्तियों के समुह से बनती है। आप इस प्रकार के एग्जेम्पशन क्यों देना चाहते हैं? इसलिए खण्ड २५ को डिलीट करने की बात है। एक तरफ आप बच्चों को एम्पलॉयमेन्ट नहीं देना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप यह व्यवस्था करते हैं। ग्रोथ ऑफ पावर्टीमेन कॉज है बच्चों को स्कूल में नहीं भेजने के लिए। इस लिए इसको डिलीट कर दीजिये। इसको चेक करना है।

Hence the guardians should be compelled to send their children to the educational institution.

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, इसके पीछे मंशा यह है कि कुछ न्युमेडिक कम्युनिटीज़ है, जो घूमती रहती हैं एक स्थान पर नहीं रहती हैं। यदि उनके लिए इसको एकदम लागू कर दिया तो जरा दिक्कत होगी। सामाजिक व्यवस्था है। जब वे एक जगह बैठ जावेंगी तो उनमें भी सुधार आयगा। उनकी प्रोटेक्शन के लिए है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड २५, २६, २७, २८ और २९ को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

खंड २५, २६, २७, २८ और २९ पारित की गई एवं बिल के अंगभूत हुई।

(विराम)

खंड १

श्री विजयसिंह झाला : [संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है Sub-clause (3) be replaced by the following :- "(3) It shall come into force at once throughout Rajasthan." उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें एक अमेन्डमेन्ट है और मैं इसका उत्तर दा साहब से चाहूंगा। क्योंकि जो आदत ज़िद्द की हमारे उप मंत्रीजी की है वे इस प्रकार के अमेन्डमेन्ट पर सोचते नहीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : This has become his habit Sir. :

श्री विजयसिंह झाला : जिस उद्देश्य से हम इस बिल को ला रहे हैं, मैं समझता हूँ यह गर्वनमेन्ट के डिस्क्रीशन पर छोड़ा है कि वहां जहां चाहे इसको लागू करे। जिस डिस्ट्रिक्ट में चाहेगी उसमें लागू करेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में लागू करते हैं उसके लिए क्राइ-टेरिया क्या होगा? ऐसी स्थिति में यह अधिकार जब कि सात साल पहले ही मिल

Page No.110

(श्री विजयसिंह झाला)

जाना चाहिये, जैसा कि मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में स्वीकार किया है। मौजूदा प्रावधान के आते ही नजदीकी सालों में इस प्रावधान में कुछ तब्दीली हो ऐसी आशा हमें नहीं है।

आपके पास मौजूदा स्थिति में इसके लिए पैसा नहीं हो तो आप टैक्स लगाइये। उसमें हम पूरी तरह से सहयोग देने के लिए तैयार हैं लेकिन जो वैधानिक अधिकार हैं उससे वंचित नहीं रख सकते। इसलिए मैं यह संशोधन रखता हूं :

Sub clause (3) be replaced by the following:—

'(3) It shall come into force atonce througout Rajasthan'.

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय जैसा कि....

श्री विजयसिंह झाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही अर्ज किया कि सदन की भावना की कद्र करते हुए दा साहब को इसका उत्तर देना चाहिये। वृद्धावस्था में हैं, अन्तिम दिनों में कुछ तो करें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस अवस्था में यह आश्वासन नहीं दिया जा सकता यदि आसान होता तो जरूर दे देता।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री विजयसिंह झाला : मन्त्री महोदय के जवाब देने के बाद उपमंत्री महोदय नहीं बोल सकते। जैसा कि जवाब मंत्री जी ने दे दिया उसके बाद उप मंत्री महोदय को जवाब देने का अधिकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री विजयसिंह झाला ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १ स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज १ विधेयक में अंग रूप से जोड़ी गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रीएम्बल, टाईटिल, इनेक्टिंग फार्मूला इत्यादि को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रीएम्बल, टाईटिल, इनेक्टिंग फार्मूला, इत्यादि विधेयक के अंग बने

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करताहूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान प्राथमिक शिक्षा विधेयक, १९६३ को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान प्राइमरी एज्यूकेशन बिल, १९६३ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

(१.१२ म० प०)

राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६४

(पुरःस्थापन)

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत लॉज़ (अमेन्डमेन्ट) बिल को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : On a point of order, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पुरस्थापित करने के लिये आज्ञा चाही गई है उसके लिये मैं हमारे रूल्स ऑफ बिज़नेस की धारा ६६ के तहत एतराज उपस्थित करता हूं जिसके अन्दर यह है कि कोई भी बिल हाउस में डिस्कस करने के लिये रखा जाय उसको दो दिन पहले हाउस के अन्दर लाया जाना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर: I am only introducing the Bill.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये हमारे यहां प्रोवीज़न हैं हम इस बिल के अन्दर अमेन्डमेन्ट देना चाहें तो उसके लिये ४८ घंटे का समय चाहिये। यह बिल आज १२।। बजे मिला है और इसको २४ तारीख को कन्सीडर करने वाले हैं तो इसमें अमेन्डमेंट्स हम किस प्रकार दे सकते हैं जब कि यह हमें ११ बजे बाद मिला है। आप ऐसे समय में हमें दे रहे हैं जिससे हम अमेन्डमेन्ट नहीं दे सकते इसलिये मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि आप इसका कन्सीडरेशन २४ तारीख के लिये पोस्टपोन कर दें और इसको २५ तारीख को रख दिया जाय।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल में तरमीम देने के लिये अभी दो दिन का समय है। असेम्बली सेक्रेटेरियेट की छुट्टी नहीं है अतः आप कल अमेन्डमेंट्स दे सकते हैं। इसके अलावा आपके संशोधन ऐसे होंगे जिनको लेना आवश्यक होगा तो स्पीकर महोदय उसी दिन भी ले सकते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : वर्किंग डेज़ की हमारे पास सूचना नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : हमेशा जब सदन चालू रहता है असेम्बली सेक्रेटेरियेट की कोई छुट्टी नहीं रहती है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : हमारे पास

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

जो प्रोग्राम आया है उसमें कल और परसों की छुट्टी बतायी गई है ।

श्री मथुरादास माथुर : सदन की छुट्टी है, असेम्बली डिपार्टमेन्ट की छुट्टी नहीं है । आप आज दे सकते है, कल दे सकते हैं । इसके अलावा ऐसे अमेन्डमेन्ट्स जो स्पीकर महोदय स्वीकार कर लें उस दिन भी दे सकते हैं ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इस तरह का इम्पोर्टेन्ट बिल हम इस तरह नहीं ले सकते, आप २४ तारीख को ऑफिसियल लेंग्वेज बिल को रख दीजिये, इसको २५ तारीख को रख दीजिये ।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन हमने सादिकअली रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसके अनुसार हमें इस बिल को लाना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि पंचायतों के चुनाव हम नवम्बर-दिसम्बर में कराना चाहते हैं जिसका हमने वादा किया है उसको पूरा करना है । उसको पूरा करने के लिये इस बिल को इसी सत्र में पास करना जरूरी है ।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि इस बिल को २५ को रख दिया जाय और आफिशियल लेंग्वेज बिल को २४ को रख दिया जाय । उस बिल को २५ तारीख को रखने के कुछ कारण हैं, नहीं तो उसको २४ को ही ले लेते । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस बिल पर २४ तारीख को विचार किया जाय । इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर इस प्रकार से कोई विरोध नहीं होता । हमने जब यह वादा कर दिया है कि नवम्बर और दिसम्बर में चुनाव कराये जांय इसलिये इसको इसी सत्र में पास करना बहुत आवश्यक है । पंचायत राज से ताल्लुक रखने वाला बिल है इसमें आप अमेन्डमेन्टस रखिये किसी भी समय यदि इसमें लेने लायक होंगे तो उनको स्वीकार कर लिया जायगा ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इसके अलावा मेरा यह भी एतराज है कि इसका हिन्दी अनुवाद भी हमें नहीं मिला है ।

श्री मथुरादास माथुर : इसकी हिन्दी कॉपी आपके कमरे में पहुँच जायगी ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : हाउस के बन्द हो जाने के बाद यदि कोई कॉपी हमें देते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, आप गैर कानूनी काम करते हैं वहां तो आप हमें साथ देने के लिये कहने को तैयार हो जायेंगे लेकिन सही रेक्वेस्ट हमारी होने पर भी आप मानते नहीं । चेयर की रूलिंग है कि हिन्दी अनुवाद भी साथ साथ मिलना चाहिये ।

श्री मथुरादास माथुर : हिन्दी ट्रांसलेशन आपको मिल जायगा, साइक्लोस्टाइल हो रहा है, वह मिल जायगा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जो आपने समय बढाया था वह इस बिल को पास करने के लिये बढ़ाया है

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

उसके अलावा आप यह बिज़नेस कैसे ले रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आज की कार्यवाही खत्म होने तक के लिये समय बढ़ाने का कहा था।

श्री मोतीलाल चौधरी : On a point of order, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी की बिना स्वीकृति के क्या कोई सप्लीमेन्टरी बिज़नेस हाउस में लिया जा सकता है ? मेरा ला मिनिस्टर से निवेदन है कि यह सप्लीमेन्टरी बिज़नेस जो आप इस समय रख रहे हैं वह बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कस नहीं हुआ था और बिना उसकी मन्ज़ूरी के सदन में विचारार्थ नहीं रखा जा सकता। इसलिये सप्लीमेन्टरी लिस्ट बिज़नेस कमेटी की राय के बिना नहीं रख सकते। इसलिये यह सप्लीमेन्टरी लिस्ट निकाली गई है वह इनवेलिड है, गैर-कानूनी है और प्रोसीजर के खिलाफ है। मैं लॉ मिनिस्टर को निवेदन करूंगा वे इसको सोमवार को रख दें।

श्री मथुरादास माथुर : यह बिज़नेस कमेटी में आया था। इसमें दो सरकुलर के रूप में सर्कुलेट हुए हैं, पंचायत एक्ट संशोधन विधेयक, ५३ तथा पंचायत समिति और जिला परिषद् अमेन्डमेन्ट बिल। ये दोनों थे। तो इसमें इन दोनों बिलों को कन्सोलिडेट करके एक बिल हम यहां यह लाये हैं तो इसलिये इसका नाम भी हमने यह रखा है कि राजस्थान पंचायत राज अमेन्डमेन्ट बिल। तो इसलिये यह दोनों बिलों का यह एक ही अमेन्डेड या कन्सोलिडेटेड बिल है और यह बिज़नेस कमेटी में रखा गया था और उसी के आधार पर यहां लाया गया है। इसलिए आप इस पर विचार कर लें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक आपत्ति इसमें यह है कि जो संशोधन पंचायतों के कानून के सम्बन्ध में यहां लाना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से वह इतना महत्व का है कि जो राजस्थान के करीब डेढ़ करोड़ से ज्यादा जनता जो गांवों में रहती है, से सम्बन्ध रखता है और जिसके द्वारा उस जन-जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन हम करने जा रहे हैं। तो जहां इतना बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन इतने बड़े वर्ग के लिये होने जा रहा हो जिस कानून के द्वारा तो उस कानून को पूरी तरह से स्टडी करने का हमें अवसर मिलना चाहिये।

कानूनी तौर से भले ही आप सक्षम हों इसे आज लेने के लिये, बहुमत के अपने पाशविक बल से भले ही सक्षम हों, पर आपकी तरफ वाले भी यह चाहते हैं कुछ लोग कि इस पर विचार करने के लिये पर्याप्त समय मिले। तो यह बीच में दो दिन जो छुट्टी के हैं जो त्यौहारों से सम्बन्धित भी हैं इसलिये ज्यादातर हम में से लोग जाना चाहेंगे अपने अपने घरों को और इन दिनों का इसके सिवाय उपयोग नहीं हो सकेगा इसलिये इसके लिये समय हमें दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! order !

श्री मुकुटबिहारीलाल : सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट जो है वह बहुत बड़ी है इसलिये भी समय अधिक देने की व्यवस्था की जावे।

श्री मोतीलाल चौधरी : मेरे पोइन्ट ऑफ आर्डर का क्या हुआ उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : वह डिस्पोज ऑफ हो गया। इस समय आपत्ति यह आई है कि कई कारणों से बिजनेस नहीं लिया जावे। प्रथम तो बिजनेस एडवाइज़री कमेटी में न जाने की सूचना दी थी तो जैसा प्रभारी मन्त्री ने कहा इन दोनों बिलों को सम्मिलित करके एक स्वरूप देकर लाया जा रहा है इसलिये वाइटल डिफरेन्स नहीं रहता।

दूसरी बात यह है कि जनहित के लिये जेसा अभी विरोधी पक्ष के लोग कह रहे थे आवश्यक है जिला परिषद् और पंचायत समिति के इलेक्शन नवम्बर-दिसम्बर में हो जावें उस मंशा से सादिकअली रिपोर्ट आई है, उसकी मंशाओं को उसमें रखते हुए चुनाव प्रणाली की व्यवस्था इससे होगी तो यथा समय उसकी पूर्ति करने की दृष्टि से यह चीज लाई गई है। मैं समझता हूं इन्हीं कारणों से मैं माननीय सदस्यों का ध्यान रूल ६४ की तरफ भी आकर्षित करूंगा कि जिसके अन्तर्गत ऐसा मोशन आवे तो चेयर उसके लिए इजाजत दे सकती है और उसी के अन्तर्गत मैं इसको प्रस्तावित करने की इजाजत देता हूं।

श्री मोतीलाल चौधरी : There was no motion, Sir.

श्री मोतीलाल : I raise a point of order, Sir, मेरी इसमें यह आपत्ति है........

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत लॉ (अमेन्डमेन्ट) बिल, ६४ को प्रस्तुत करने की इजाजत दी जावे।

(स्वीकृत)

श्री अब्दुल जब्बार : I raise a point of Order, Sir इस विषय पर यह है.......

श्री मथुरादास माथुर : मैं इस बिल को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अब्दुल जब्बार : There is no Finnancial Memorandum. The Bill is not complete. From where the Goverment is going to give payments to the members from service cooperatives ? He is going to get some allowance from the Panchayat and some finance will be required.

इसलिए फाइनेन्सियल मेमोरेण्डम इसके साथ आना चाहिये थे।

श्री मथुरादास माथुर : The hon. Member does not know that the Bill relates only to structural changes in the Panchayat Samitis. It has no bearing to the other parts of Sadiq Ali Report. There will be a separate Bill for that. There is no question of finances.

श्री अब्दुल जब्बार : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय फरमा रहे हैं वह बात नहीं है।

(श्री अब्दुल जब्बार)

थर्ड क्लॉज़ रूल्स का भी कन्ट्रावेन्शन करता है। कोऑपरेटिव सोसायटी........

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप फिर टाइम नहीं देना चाहते, जल्दी में पास करवाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : This is not a Money Bill.

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु समय में वृद्धि

श्री परसराम मदेरणा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पब्लिक प्रेमिसेज़ एण्ड इविक्शन बिल पर प्रवर समिति के नियत समय को बुधवार, दिनांक २६ अगस्त, ६४ तक बढ़ा दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रवर समिति का, इसका, समय बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

प्रवर समिति का समय बढ़ाया गया।

सदन की बैठक सोमवार को प्रातःकाल ८ बजे तक के लिए की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही १ बज कर २५ मिनिट पर सोमवार, दिनांक २४ अगस्त, १९६४ के प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित की गई)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३७६ का उत्तर देखिये)

नाम	स्वीकृति अधिसूचना क्रमांक व दिनांक	दर तम्बाकू		दर कपड़ा
जयपुर	टैक्स, एफ १ (४) डी० एल० बी० ५६	मैन्युफैक्चर्ड	३—०० प्रतिशत	२—५० प्रति क्विन्टल
	दिनांक २२-२-६३	अन मैन्युफैक्चर्ड	५—०० प्रति क्विन्टल	
टोंक	एफ १ (ए) (१६४) एल० एस० जी० ५४	पीने की	०—०६ नये पैसे प्रति रुपया	०—०—३ पाई प्रति रुपया
		खाने की	०—०३ ,,	
	दिनांक २५-११-५४	पीने की शीरदार	०—२८ ,, मण	
निवाई	डी. ८८६१ एफ. ५ (३१०) एल.एस.जी. (ए) ५७			
	दिनांक २२-६-५७	सम्पूर्ण प्रकार	०—०१ नया पैसा प्रति रुपया	०—२५ नया पैसा प्रति सैंकड़ा

परिशिष्ट-२

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

माइनिंग लीज, सीमेंट वर्क्स लाखेरी

४०३. (२६०।सी. एम.) श्री हरि प्रसाद शर्मा, एम. एल. ए. (पाटन)—क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सीमेंट वर्क्स लाखेरी को माइनिंग लीज में करीब २०.५ मील का क्षेत्र एक लम्बी अवधि के लिये दे रखा है ?

(२) यदि हां, तो सरकार को इस कम्पनी से रायल्टी में कुल कितनी रकम-प्राप्त होती है ?

(३) क्या यह सही है कि माइनिंग लीज में रेवेन्यू का क्षेत्र व वन विभाग का क्षेत्र भी शामिल है ? यदि हां, तो माइनिंग लीज में कुल कितनी एकड़ भूमि ऐसी शामिल है जिन पर वर्षों से काश्त होती आ रही है ?

(४) क्या यह सही है कि माइनिंग लीज में बनी हुई आबादी, कुआ, तालाब, शमशान, बाग बगीचे आदि को शामिल कर लिया गया है ? लीज क्षेत्र के नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(५) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में ऐसी खाने हैं जहां पर कच्ची फर्शी उतराणा गेडोली ग्राम में निकलती थी किन्तु अब लीज में आजाने से सारा उद्योग बंद हो गया हैं ?

उत्तर

१. जी हां। १.८.४३ से ३१.७.७३ तक अर्थात् ३० वर्ष के लिये।

२. ३१.७.६४ तक करीब रु० २३,६३,००० की रकम रोयल्टी के रूप में प्राप्त हुई हैं।

३. जी हां। नियमानुसार माइनिंग लीज के जो एग्रीमेंट किये जाते है उनमें यह विवरण नहीं दिया जाता है कि कितनी भूमि काश्त करने योग्य है और कितनी काश्त करने

योग्य नहीं है। तदनुसार इस कम्पनी के साथ किये गये एग्रीमेंट में भी केवल कुल भूमि का क्षेत्र दिया गया है किन्तु उससे यह पता नहीं चलता कि वर्षा से काश्त करने योग्य भूमि इस इस कम्पनी के लीज मे कितनी है।

(४) जी हां। लीज के नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(५) राज्य सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

डेरी डेवलपमेंट अधिकारी द्वारा अनियमितताएं

४०४. **श्री भैंरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर)—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि डेरी डवलपमेंट ऑफिसर, राजस्थान, जयपुर ने एक सरकारी रेफरीजेरेटर सन् १९६० से स्टॉक रजिस्टर में ऑफिस के नाम इश्यू करवा कर अपने घर पर निजी उपयोग के लिये रखा ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त डी. डी. ओ. ने एक पेडस्टल केसल पेन इसी प्रकार से निजी उपयोग के लिए घर पर रखा ?

(३) क्या यह सही है कि सरकारी दो कारपेट भी अपने घर पर रखीं ?

(४) क्या यह सही है कि डी. डी. ओ. आफिस के नाम एक अंग्रेजी व हिन्दी का समाचार पत्र डी. डी. ओ. के घर आता है जिसका पेमेण्ट विभाग को करना पड़ता है ? क्या विभाग द्वारा इन समाचार पत्रों की कभी रद्दी बेची गई है ? यदि हां, तो इस मद की इन दो वर्षों में कितनी कितनी और कब कब रकम जमा हुई है ?

(५) क्या यह सही है कि मेसर्स स्टेण्डर्ड कर्टेन पोल ट्रेडर्स किशनपोल बाजार जयपुर के त्रिपाल की खरीद का ३४५) रु० का एक बिल उक्त डी. डी. ओ. ने मंजूर किया है ? यदि हां, तो त्रिपाल स्टोर में कब जमा हुआ और किस नम्बर की इसकी रजिस्टर में एण्टरी है ?

(६) क्या यह सही है कि उक्त डी. डी. ओ. द्वारा ३१-३-६२ से पूर्व मेसर्स बाम्बे एमोनिया एण्ड रेफरिजेरेटर कम्पनी, न्यू देहली को डेरी के १,१७,०००) रु० के उपकरणों की खरीद के लिए आर्डर दिया था ?

(७) यदि हां, तो इस आर्डर के अनुसार उक्त फर्म को माल का पेमेन्ट करने के लिये कब कब कितना कितना रुपया ड्रा किया गया और वास्तव में कब इसका पेमेण्ट हुआ ?

(८) इस आर्डर का माल कब कब कितना कितना वसूल हुआ और कब कब चैकिंग की जाकर स्टॉक रजिस्टर में एण्टर किया गया ?

(९) क्या यह सही है कि माल प्राप्त करने से पूर्व उक्त फर्म को पेमेन्ट कर दिया गया तथा मालकी गलत एण्ट्री स्टॉक रजिस्टर में कर दी गई ?

(१०) क्या यह सही है कि उपरोक्त वर्णित सरकारी सामान भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा उक्त अधिकारी के मकान पर पकड़ लिया गया ?

(११) इन उपरोक्त अनियमितताओं के लिये विभाग द्वारा अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) जी नहीं—गत दो वर्ष से डी० डी० डी० का ऑफिस खतम (Abolish) हो चुका है। अतः गत दो वर्षों में रद्दी बेचने का प्रश्न नहीं उठता।

(५) सम्बधित रेकार्ड भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पास है।

(६) जी हां

(७) जी हां, रकम बैंक ड्राफ्ट द्वारा दिनांक ३१-३-६२ को उठाई गई तथा भुगतान एक बार में ही किया गया था।

(८) सम्बन्धित रेकार्ड भ्रष्टाचार विरोध विभाग के पास है।

(९) जी नहीं

(१०) जी हां।

(११) सम्बन्धित अधिकारियों को नियुक्ति विभाग द्वारा क्रमशः क्रमांक एफ १ (७७) नियुक्ति।६४। ग्रुप III दिनांक ११-८-६४ को चार्ज शीट दे दी गई है। अब मामला नियुक्ति विभाग के पास है।

डी. एम. एण्ड एच० ओ० के ऑफिस को चित्तौड़गढ़ से हटाने पर व्यय

४०५. **श्री अब्दुल जब्बार** (निम्बाहेड़ा) :— क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि जिला पुनर्गठन समिति की रिपोर्ट के आधार पर डी० एम० एण्ड एच० ओज़ डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर होने चाहिये ? अगर हां, तो अब तक कितने डी० एम० एण्ड एच० ओज किन किन हैड क्वार्टर्स पर शिफ्ट किये गये हैं और जो नहीं किये गये हैं उनका क्या कारण हैं ? कारणों सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह भी सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ के डी० एम० एण्ड एच० ओ को प्रतापगढ़ से चित्तौड़गढ़ शिफ्ट होने के आदेश दे दिये गये थे और वह अपना तमाम सामान लेकर चित्तौड़गढ़ भी आ गए थे परन्तु पुनः उन्हें प्रतापगढ़ जाने के आदेश हुए और वह प्रतापगढ़ गए ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या इस प्रकार के आने जाने में लगभग दस हजार रुपया खर्च हुआ है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(१) जी हां। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर निम्न लिखित जिला चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य अधिकारी के हेड क्वार्टर स्थानान्तरित हुये थे :

(१) जिला परतापगढ़ से चित्तौड़गढ़

(२) करौली से टोंक

(३) जी हां।

(३) जी नहीं। केवल ४०२०.४४ रुपये खर्च हुये है।

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३८७ का उत्तर देखिये)

सूची

क्रम संख्या	नाम तहसील	कृषि भूमि के ट्रेसपार्सर के मामले जिनका नियमन किया गया	अनाधिकार निर्माण के मामले जिनका नियमन किया गया
१.	बूंदी	६००	००
२.	केशोरायपाटन	५२४	१४६
३.	हिन्डोली	५८४	२
४.	नैनवा	१६३१	१६८
		३५६४	३१६

मकानात के पट्टे देने की कार्यवाही जारी है ।

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३६६ का उत्तर देखिये)

सूची

नाम तालाब	नाम गांव	पीवल भूमि
(१) फतेहसागर	उदयपुर	४० एकड़
	बड़गांव	४५ ,,
	पुछा	३६ ,,
	मुवाना	१२६ ,,
	देवली	१८४ ,,
	सौभागपुरा	२७ ,,
(२) पिछोला	उदयपुर	१४५ ,,
	माडां की मगरी	२६ ,,
(३) मदार बडा	मदार	१४३ ,,
	वामनों की हुन्दर	१६ ,,
	डागिंओ की हुन्दर	३२ ,,
(४) मजार छोटा	धूर	२१६ ,,
	कविधा	१ ,,
	लोहिरा	६० ,,
	चिकलदास	७३ ,,
(५) लखावली	लखावली	१३१ ,,
(६) बडी	बडी	१७५ ,,
	छोटा कला	१५ ,,
	बढावाडा	२१ ,,
	लीओं का गुडा	१० ,,

(७) गोरधन विलास	गोरधन विलास	५६ एकड़
	समीना	३१ ,,
(८) उदयसागर	करगेट	११२ ,,
	देवारी	६२ ,,
	बीछड़ी	३२६ ,,
	पला का गुडा	४८६ ,,
	लियांडा	१६० ,,
	चपेडी	७५ ,,

(६) चीखा अभी निर्माणाधीन है।

❀ शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक २१ अगस्त, १९६४)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
८	१९	कर लेगी	कर लेंगी
१३	६	puota	quota
,,	१२	sonsulted	consulted
,,	१४	pripafely	privately
,,	१८	inqulry	inquiry
१४	८ व १६	ढ़ाबरिया	ढाबरिया
,,	८ व ११	खंडसारी	खांडसारी
१६	१३	intent to	intend to
२०	१	श्री हरदत्तसिह	श्री हरदत्तसिंह
२४	१७	श्री विजयसिह	श्री विजयसिंह
,,	१९	कम्प्लेन्ट	कम्प्लेन्ट
२६	शीर्षक	प्रश्नात्तर	प्रश्नोत्तर
२९	६	श्रीमती मुमित्रा	श्रीमती सुमित्रा
३४	२०	श्री विजजसिंह	श्री विजयसिंह
४६	१३	बरबड़	बरवड़
५०	४	घौलपुर	धौलपुर
५०, ५१ ५२ व ५३	क्रमशः २३, २७ व ६, १ व ३	श्री मुकटबिहारी लाल	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
५७	शीर्ष	मिर्घा)	मिर्धा)
५८	शीर्षक	प्रश	प्रश्नोत्तर
५९	१	श्री मुकटबिहारीलाल	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
६२	१५	श्री उपायध्त्त	श्री उपाध्यत्त
६९	२	प्रश्नोत्तर	प्रश्नोत्तरों
८१	अन्तिम से ३	विचार है ?	विचार रखती है ?

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
८५	अन्तिम	१९६३-१९६४ as	१९६३, as
८८	शीर्षक	शिक्षा विधेयक, १९६४	शिक्षा विधेयक, १९६३
९७	शीर्ष	(श्री विजयसिह	(श्री विजयसिंह
११६ से १४०	शीर्षक	शिक्षा विधेयक	शिक्षा विधेयक, १९६३
१३३, १३५ व १३७	शीर्ष	ढाव्ररिया)	ढावरिया)
१५३	शीर्ष	(श्री गोधसिंह	(श्री जोधसिंह
,	१७	श्री उपाध्यक्ष चौहान	श्री उपाध्यक्ष :
,,	२०	श्री जोधसिह	श्री जोधसिंह
१५५	५	श्री रामकिशन्	श्री रामकिशन
१५६	शीर्षक	विधेयक, ६२	विधेयक, ६३
१५८	,,	शिक्षा, विधेयक	शिक्षा विधेयक,
१७७	शीर्ष	(मोतीलाल	(श्री मोतीलाल
१८४	२१	श्री उपाद्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
१९२	शीर्षक	४९६३	१९६३
२०१	शीर्ष	(श्री निरन्जनलाल	(श्री निरंजननाथ
२०५	,,	(श्री अध्यक्ष)	(श्री उपाध्यक्ष)
२१९	,,	(श्री विजयसिह झाला)	(श्री विजयसिंह झाला)
२२३-२२४	शीर्षक	प्राथमिक शिक्षा विधेयक-२१ अगस्त, ६४-पंचायत विधियां	राजस्थान पंचायत विधियां —२१ अगस्त, ६४-(संशोधन) विधेयक, १९६४
२२५A	अन्तिम	श्री मोतीलाल	श्री अब्दुलजब्बार खां
२२७	९-१०	प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु समय में वृद्धि	राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अधि-वासियों की बेदखली) विधेयक, १९६४ (प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु-समय में वृद्धि)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
२२७–२२८	क्रमशः अन्तिम व १	राजस्थान पब्लिक प्रेमिसेज़ एण्ड इविक्शन बिल	राजस्थान पब्लिक प्रेमिसेज़ (एविक्शन ऑफ अन्‌आथोराइज्ड ऑक्यूपेशन) बिल
२२८	६	हजे	बजे
२३१	७	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
२३५	५	(४) मजार छोटा	(४) मदार छोटा

* **नोट** :—विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में प्रथक से मुद्रित होगा।